शासकीय उपयोग हेतु

प्रतिवेदन क्रमांक -

Chhattisgarh TRTI
TRIBAL RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE

कोंध जनजाति
का मानवशास्त्रीय अध्ययन

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,
नवा रायपुर (छ.ग.)

शासकीय उपयोग हेतु

प्रतिवेदन क्रमांक - 21

कोंध जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

निर्देशन

शम्मी आबिदी (आई.ए.एस)

संचालक

मार्गदर्शन

श्री एल. चौहान

संकलन एवं लेखन

डॉ. गुलाब पटेल

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,

नवा रायपुर (छ.ग.)

अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्रं.
अध्याय – 1	पृष्ठभूमि	01–08
अध्याय – 2	भौतिक संस्कृति	09–23
अध्याय – 3	आर्थिक जीवन	24–52
अध्याय – 4	सामाजिक संरचना	53–71
अध्याय – 5	शैक्षणिक स्थिति	72–75
अध्याय – 6	जीवन चक्र	76–91
अध्याय – 7	राजनीतिक संगठन	92–99
अध्याय – 8	धार्मिक जीवन	100–114
अध्याय – 9	लोक परम्परायें	115–126
अध्याय – 10	परिवर्तन एवं समस्याएँ	127–136
अध्याय – 11	विकास	137–145

अध्याय –1

पृष्ठभूमि

1.1 प्रस्तावना

भारत की जनसंख्या का कुछ भाग घने जंगलों, पहाड़ियों, घाटियों तराईयों तथा तटिय क्षेत्रों में आदिकाल से निवासरत है। प्रकृति के अत्यंत समीप रहने के कारण इनकी संस्कृति का प्रकृति के साथ अत्यंत निकट संबंध है। वन में रहने के कारण इन्हें वनवासी, वन्यजाति अथवा जनजाति तथा आदिकाल से भारत के मूल निवासी होने के कारण इन्हें आदिवासी, प्राचीन संस्कृति के संवाहक होने के कारण आदिमजाति के रूप में जाने जाते हैं। इनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य संबंधी स्थिति अन्य समाजों की तुलना में पिछड़ी हुई है। इनके जीवकोपार्जन का मुख्य स्त्रोत जंगली कंद–मूल, वनोपज संग्रहण, शिकार एवं आदिम कृषि पर आधारित है। अंग्रेजों के शासन से ही इनकी संस्कृति, रीति–रिवाज, सामाजिक–आर्थिक स्थिति का अध्ययन होता आ रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात् इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति का नाम देकर इनके संरक्षण एवं समग्र विकास हेतु अनेक प्रावधान किये गये हैं।

भारत में ग्रामीण एवं नगरीय संस्कृति के अलावा जनजातीय संस्कृति का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जनजातीय संस्कृति की विविधता एवं विशिष्टताओं को न केवल भारतीय समाजशास्त्रियों एवं मानवशास्त्रियों ने वरन विभिन्न यूरोपियन एवं अमेरिकन समाज वैज्ञानिकों द्वारा भी सुक्ष्म अध्ययन किया जाता रहा है। प्रसिद्ध भारतीय समाज सुधारक ठक्कर बाबा ने इनको आदिवासी कहा, तो हट्टन इन्हें आदिमजाति से सम्बोधित करते है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री एवं मानवशास्त्री जी.एस. घुरिये आदिवासियों को पिछड़े हुए हिन्दू मानते है। अंग्रेज समाजशास्त्री वेरियर एल्विन ने जनजातियों को देश का वास्तविक उत्तराधिकारी बताया।

आदिवासी समाज वर्तमान में भी संस्कृति के प्राथमिक धरातल पर जीवनयापन कर रहे है वे सामान्यतः समूहों में निवास करते है और उनकी संस्कृति अनेक दृष्टियों से परिपूर्ण रहती है। इनकी संस्कृति में ऐतिहासिक जिज्ञासा के अभाव में कुछ पीढ़ियों का ही इतिहास किंवदतियों और पौराणिक

कथाओं के रूप में मिलता है। अल्प जनसंख्या और सीमित परिधि में निवासरत होने के कारण इनकी संस्कृति में स्थिरता पायी जाती है।

नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य के लिए मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत् जारी अनुसूचित जनजाति की सूची में 42 जनजाति समूहों को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल किया गया है। भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग एक तिहाई (31.76 प्रतिशत) भाग अनुसूचित जनजातियों का है। छत्तीसगढ़ राज्य हेतु जारी अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुक्रमांक 23 पर कोंध (Kondh), खोंड (Khond), कांध (Kandh) जनजाति शामिल है, जो छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़, महासमुन्द, बलौदाबाजार एवं गरियाबंद आदि जिलों में निवासरत है।

W.H. SHOOBERT द्वारा **CENSUS OF INDIA, 1931 "CENTRAL PROUINCES & BERAR". VOL-1** के पृष्ठ क्रमांक 378 में कोंद (Kond) को खोंड (Khond) की उपजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस क्षेत्र में निवासरत लोगों द्वारा स्थानीय छत्तीसगढ़ी बोली में कोंध (Kondh) को कोंद (Kond) से भी उच्चारित किया जाता है।

विभिन्न समाजशास्त्रियों एवं मानवशास्त्रियों ने समय के बदलते परिवेश के साथ जनजातियों के सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों का अध्ययन किया है जिसमें मुख्य रूप से जनजातियों की बोली, रहन–सहन, खान–पान, वेशभूषा, रीति–रिवाज, लोक परम्परा आदि से संबंधित रहा है। इन्ही तथ्यों को ध्यान में रखकर संस्थान द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत **''कोंध जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन''** किया गया है।

इस अध्ययन का उद्देश्य कोंध जनजाति की सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, धार्मिक, राजनैतिक एवं लोक परम्पराओं के वर्तमान स्थिति को निरूपित करता है साथ ही साथ इन क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन एवं विकास पर प्रकाश डालता है।

1.2 अध्ययन का उद्देश्यः–

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैः–

1. कोंध जनजाति की सामाजिक–सांस्कृतिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. कोंध जनजाति की शैक्षणिक स्थिति ज्ञात करना।

3. कोंध जनजाति की आर्थिक स्थिति ज्ञात करना।
4. कोंध जनजाति में होने वाले परिवर्तन एवं विकास का अध्ययन करना।

1.3 अध्ययन पद्धति :–

प्रत्येक अध्ययन कुछ निश्चित उद्देश्यों के आधार पर किये जाते है, और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए योजनाबद्ध रूप से शोध कार्य करना होता है। इसी योजना की रूपरेखा को **''शोध प्ररचना''** कहते है। परिवर्तन प्रकृति की शाश्वत नियम होने के कारण मानव जीवन की परिवर्तनशील प्रकृति का अध्ययन एवं वास्तविक निष्कर्ष की प्राप्ति के लिए एक क्रमबद्ध वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता होती है। प्रस्तुतक अध्ययन **''कोंध जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन''** विषय पर आधारित है। अतः अध्ययन का स्वरूप **''वर्णनात्मक''** है।

किसी भी नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए संबंधित घटनाओं एवं परिस्थितियों का वास्तविक अध्ययन एवं विश्लेषण आवश्यक है। प्रस्तुत अध्ययन छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़, बलौदाबाजार, महासमुन्द एवं गरियाबंद जिलों के कोंध जनजाति निवासित ग्रामों में क्षेत्र अध्ययन प्रविधि द्वारा किया गया। ग्रामों का चुनाव **''सविचार निदर्शन प्रविधि (उद्देश्य मूलक प्रविधि)''** द्वारा किया गया है। अध्ययन हेतु कोंध जनजाति निवासित 04 जिलों के 07 विकासखण्डों में 23 ग्रामों के 120 कोंध परिवारों का अध्ययन किया गया है। इन परिवारों का चयन **''दैवनिदर्शन की लॉटरी प्रणाली''** द्वारा अध्ययनरत सभी ग्रामों के लगभग 90 प्रतिशत कोंध परिवारों को उत्तरदाता के रूप में चिन्हित किया गया है।

प्राथमिक तथ्यों का संकलन **साक्षात्कार, निरीक्षण एवं अवलोकन** प्रविधि द्वारा किया गया। सामाजिक–आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति ज्ञात करने हेतु **''अनुसूची''** विधि का प्रयोग किया गया है।

द्वितीयक तथ्यों के रूप में प्रकाशित पुस्तकों, जनगणना प्रतिवेदन व शासकीय प्रतिवेदनों का उपयोग किया गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण, सारणीयन कर प्रतिवेदन लेखन कार्य प्रारंभ किया गया।

1.4 सर्वेक्षित कोंध परिवारों का वितरणः—

छत्तीसगढ़ राज्य के कोंध निवासित 04 जिलों रायगढ़, बलौदाबाजार, महासमुन्द एवं गरियाबंद जिलों के 07 विकासखण्डों में 23 ग्रामों 120 परिवारों का अध्ययन किया गया। जिसका विवरण निम्नलिखित तालिका अनुसार हैः—

तालिका क्रमांक—01

सर्वेक्षित परिवारों का ग्राम, विकासखण्ड एवं जिलेवार वितरण

क्र.	जिला	विकासखण्ड	कुल सर्वेक्षित ग्राम	कुल सर्वेक्षित परिवार	कुल परिवारों से प्रतिशत
1	रायगढ़	1. सारंगढ़ 2. बरमकेला	03 02	16 08	13.33 06.67
2	बलौदाबाजार	3. कसडोल	04	14	11.67
3	महासमुन्द	4. बसना 5. सरायपाली 6. पिथौरा	04 04 02	19 24 13	15.83 20.00 10.83
4	गरियाबंद	7. देवभोग	04	26	21.67
योग	**04**	**7**	**23**	**120**	**100.00**

उपरोक्त तालिका अनुसार सर्वेक्षित कुल परिवारों में रायगढ़ जिले के दो विकासखण्डों से 24 (20 प्रतिशत) परिवारों का बलौदाबाजार जिले के कसडोल विकासखण्ड से 14(11.67 प्रतिशत) परिवारों का महासमुन्द जिले के तीन विकासखण्डों से 56 (46.66 प्रतिशत) परिवारों का एवं गरियाबंद जिले के देवभोग विकासखण्ड से कुल 26 (21.67 प्रतिशत) परिवारों को अध्ययन में शामिल किया गया।

1.5 कोंध जनजाति : परिचय एवं उत्पत्ति

कोंध जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इस समुदाय की उत्पत्ति के संबंध में समाज में अनेक किवदंतियाँ प्रचलित है। एक किवदंती अनुसार आदि काल में इस समुदाय के व्यक्ति घने जंगलों में ''कंद–मूल'' को खोद कर अपना जीविका चलाते थे। जिसके कारण समकालीन लोगों द्वारा वनों, जंगलों से ''कंद'' निकालने के कारण इन्हें कोंध कह कर संबोधित किया गया। कोंध समुदाय के व्यक्ति घने जंगलों में जहां अन्य लोगों की पहुंच (पांव) न हो, वहां पर खादा काटे (भोजन) बनाते थे, जैसे ही अन्य समुदाय के व्यक्ति वहां तक पहुंच जाते थे। कोंध जनजाति के सदस्य वहां से निकलकर अन्य घने जंगलों की ओर चले जाते थे।

एक अन्य किवदंती अनुसार ब्रम्हाजी ने जब सृष्टि की रचना की तब उस समय कोदेन बुढ़ी (जमुनादेवी) एवं कोंदन बुढ़ा **''हरिदेव''** नामक दो व्यक्तियों का श्रृजन किया और उन्हें घने जंगलों में वंश वृद्धि के लिए छोड़ दिया। दोनों जंगलों में घूमते–घूमते कंदमूल आदि से अपना भरण पोषण करते थे और गुफाओं में निवास करते थे। एक दिन कोंदेन बुढ़ा की तबीयत खराब हो जाने के कारण वह गुफा से कांदा (भोजन) हेतु बाहर नहीं निकल पाया तो उसकी पत्नी कोंदेन बुढ़ी अकेले ही कांदा के लिए निकल गयी। वह जंगल में जब बेल पेड़ के नीचे राम कांदा खोद रही थी, तो उसे कांदे के ऊपर खून दिखाई देने लगा एवं बच्चे के रोने जैसी आवाज सुनाई दी, जिसे देख–सुनकर जमुनादेवी वापस गुफा में आकर अपने पति को आपबीती सुनाई। पुनः दोनों बाहर जाकर कांदा को निकालकर खाने के लिए दो हिस्सों में बांटे, तो कांदा अपने आप तीन हिस्सों में बंट गया। दोनों समझ गये कि गुफा के आसपास कोई तीसरा भी है इसलिए कांदा अपने आप तीन हिस्सों में बंट जा रहा है। दोनों उस तीसरे का आव्हान करते हैं तो भगवान स्वयं बिल्ली रूप में आये और बोले कि मैं यहां मूस्क दैत्य को मारने के लिए आया हूँ और मैं यहीं पर रहकर तुम लोगों की रक्षा करूंगा और अपने हिस्से के कांदा को ग्रहण करने लगे। भोजन ग्रहण करने के पश्चात् भगवान बोले मांगो तुम्हे क्या वरदान चाहिए। तब दोनों हाथ–जोड़कर बोले भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए। हम लोग सदैव आपके चरणों की सेवा करना चाहते हैं। तब भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर वहां पर नरसिंह भगवान की पत्थरों का मंदिर निर्माण करा दिये। तब से नरसिंह भगवान इस समुदाय के रक्षक बन गये और कोंदेन बूढ़ी एवं कोंदेन बुढ़ा द्वारा वन जंगलों में कंदमूल द्वारा अपना जीवकोपार्जन करने के कारण इनके वंशजों को कोंध कहने लगा। आज भी इस समुदाय द्वारा कुशकांदा, रामकांदा,

पिथाडू कांदा आदि कंद को नरसिंह भगवान को भोग लगाया जाता है।

1.6 कुल जनसंख्या

भारत की जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में कोंध जनजाति की कुल जनसंख्या 10991 है जिसमें पुरूष 5386 (49.01) एवं महिला 5605 (51.99) जनसंख्या है। इनकी कुल साक्षरता दर 56.74 प्रतिशत है जिसमें पुरूष साक्षरता 68.12 एवं महिला साक्षरता 45.80 प्रतिशत है। जनसंख्या के अनुसार कोंध जनजाति में 1050 लिंगानुपात (प्रति हजार पुरूषों में महिलाओं की संख्या) पायी गई है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य की लिंगानुपात दर 991 से अधिक है। सर्वेक्षित कोंध जनजाति परिवारों की जनसंख्या निम्नानुसार पाया गयाः–

1. सर्वेक्षित जनसंख्या

कोंध जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़, बलौदाबाजार महासमुन्द एवं गरियाबंद जिलों में निवासरत है। यह जनजाति उड़ीसा राज्य के सीमा में लगे हुये जिलों में पाये जाते है। सर्वेक्षित 120 कोंध परिवारों में निम्नलिखित तालिकानुसार जनसंख्या पायी गईः–

तालिका क्रमांक–02

सर्वेक्षित परिवारों की कुल जनसंख्या

क्र.	व्यक्ति					
	पुरूष		महिला		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	270	49.63	274	50.37	544	100.00
कुल सर्वेक्षित परिवार–120						

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित 120 परिवारों में कोंध जनजाति की कुल जनसंख्या 544 पायी गई, जिसमें पुरूष जनसंख्या 270 (49.63 प्रतिशत) एवं महिला जनसंख्या 274 (50.37 प्रतिशत) पायी गई।

(ब) उम्र–लिंग अनुसार जनसंख्या वर्गीकरण

सर्वेक्षित कोंध जनजाति की कुल जनसंख्या का उम्र–लिंग अनुसार वर्गीकरण निम्नानुसार हैः–

तालिका क्रमांक–03

सर्वेक्षित परिवारों में उम्र–लिंग अनुसार जनसंख्या

क्र.	उम्र समूह (वर्षों में)	व्यक्ति					
		पुरूष		महिला		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	0–5	28	10.37	26	09.49	54	09.93
2	6–14	51	18.89	48	17.52	99	18.20
3	15–21	35	12.97	37	13.50	72	13.23
4	22–35	67	24.81	75	27.37	142	26.10
5	36–50	65	24.07	77	28.10	142	26.10
6	51–60	17	06.30	08	02.93	25	04.60
7	60 से अधिक	07	02.59	03	01.09	10	01.84
योग		**270**	**100.00**	**274**	**100.00**	**544**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित कोंध जनजाति परिवारों में सर्वाधिक 26.10 प्रतिशत व्यक्ति 22–35 वर्ष उम्र समूह के एवं इतने ही प्रतिशत व्यक्ति 36–50 वर्ष उम्र समूह में पाये गये। 18.20 प्रतिशत व्यक्ति 06–14 वर्ष उम्र समूह के, 09.93 प्रतिशत व्यक्ति 0–5 वर्ष आयु समूह के, 13.23 प्रतिशत व्यक्ति 15–21 वर्ष आयु समूह के पाये गये। 04.60 प्रतिशत व्यक्ति 51–60 वर्ष उम्र समूह के व सबसे कम 01.84 प्रतिशत व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक उम्र समूह में पाये गये।

कुछ उम्र समूहों में पुरूषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है। जैसे–15–21, 22–35 एवं 36–50 उम्र समूह में महिलाओं की संख्या अधिक है, किन्तु 0–5, 06–14, 51–60 एवं 60 से अधिक उम्र समूहों में महिलाओं की जनसंख्या पुरूषों की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम दिखाई देता है।

(ब) लिंगानुपातः–

सर्वेक्षित कोंध जनजाति परिवारों में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रति हजार पुरूषों पर 1015 महिलाएँ हैं। अर्थात् इस समुदाय में पुरूषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक है।

1.7 भाषा / बोली

पूर्व में कोंध जनजाति समुदाय के लोग **''कुई''** बोली बोलते थे जो कि द्रविड़ भाषा परिवार की बोली है। वर्तमान में उड़ीया एवं देवनागरी लिपि की छत्तीसगढ़ी बोली बोलते हैं, जो आर्य भाषा समूह की बोली है।

अध्याय –2

भौतिक संस्कृति

मानव प्रगतिशील प्राणी है, जो अपने बुद्धि का उपयोग कर चारो ओर की प्राकृतिक परिस्थितियों का निरन्तर सुधार और उन्नत करता रहा है। इस प्रकार जीवन पद्यति, रहन–सहन, रीति–रिवाज, आचार–विचार, नवीन अनुसंधान एवं आविष्कार आदि जो हमें पशुओं से उच्च स्थान प्रदान करता है, और हमें सभ्य बनाता है। सभ्यता संस्कृति का ही अंग है। सभ्यता मनुष्य के भौतिक पक्ष से संबंधित होता है, जबकि संस्कृति मानसिक पक्ष को सूचित करता है। मानव के जिज्ञासु प्रवृति का परिणाम धर्म एवं दर्शन है। वह सौन्दर्य की खोज में गीत, संगीत, नृत्य, साहित्य, मूर्ति, चित्र एवं वस्तु आदि कलाओं को विकसित करता है। **आगबर्न** के अनुसार भौतिक संस्कृति के अन्तर्गत उन सभी मूर्त वस्तुओं का समावेश होता है, जो मानव द्वारा निर्मित है, तथा जिन्हें हम देख एवं छू सकते है। जबकि अभौतिक संस्कृति के अन्तर्गत विचार, धर्म, कानून, ज्ञान, विश्वास, प्रथा, नैतिकता आदि को सम्मिलित किया जाता है, जिन्हें हम महसूस कर सकते है। उनका कोई मूर्त आकार नही होता है। भौतिक संस्कृति आदिम समाज की तुलना में आधुनिक समाजों में अधिक पायी जाती है।

मानव अपने चारों ओर उपलब्ध प्राकृतिक वस्तुओं से अपने जीवन को सरल बनाने के लिए वस्तुओं का आविष्कार एवं विकास करता है। कोंध जनजाति वन क्षेत्रों में निवास करती है। फलस्वरूप वे अपने लिए प्राकृतिक संसाधनों से सहज एवं सरल भौतिक वस्तुओं का निर्माण स्वयं करते है जिससे उनके सामाजिक–आर्थिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक संस्कृति में पर्यावरण का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है।

2.1 ग्राम की बसाहट

कोंध जनजाति निवासित ग्राम प्रायः आयताकार या लंबवत और घर आमने सामने होते है। इन जनजाति का पृथक ग्राम नहीं होता है। यह समुदाय प्रायः सामान्यतः गोंड, कंवर, बिंझवार, संवरा, सौंता आदि जनजातीयों के साथ ग्राम में निवास करती हैं। बड़े ग्रामों में यह जाति अलग मुहल्ला बना कर रहती हैं, जिसे कोंध पारा/टोला/मुहल्ला के नाम से जाना जाता है।

ग्रामों की संरचना प्रायः आयताकार या लम्बवत् पाया जाता है, जिसमें एक चौड़ा कच्चा मार्ग होता है। इस मार्ग के दोनों ओर घर बने होते हैं। मुख्य मार्ग से छोटी–छोटी सकरी गली अन्य पारे–टोले के लिए निकलती है। कोंध ग्राम के मध्य में प्रायः सामुदायिक उपयोग हेतु चबुतरा या सामुदायिक भवन पाया जाता है।

ग्राम के समीप खाली स्थान पर मवेशियों के लिए चारागाह होता है। ग्राम के मुख्यमार्ग पर शाला भवन, पंचायत भवन आदि स्थित होता है। ग्राम में साल, इमली, आम, मुनगा, कटहल, बांस आदि के वृक्ष पाये जाते हैं।

ग्राम के आसपास निस्तारी हेतु तालाब या नदी–नाला होता है। ग्राम बसाहट के बाहर उत्तर दिशा में ''देवालय'' होता है। जिसमें ठाकुरदेव की प्रतिकृति स्वरूप मूर्ति बनाया गया होता है। साथ ही ग्राम/पारा/मुहल्ला से लगे हुए छोटे आकार के खेत होते हैं।

2.2 आवास निर्माण

कोंध जनजाति के सदस्य अपने घर (आवास) का निर्माण स्वयं ही करते हैं। आवास निर्माण हेतु भूमि का चयन अपने ही मुहल्ले में, जहां अन्य कोंध, कोंद परिवार निवास करते है को प्राथमिकता दी जाती है। भूमि चयन के बाद धरती माता की पूजा–अर्चना कर गृह निर्माण की रूपरेखा तैयार की जाती है।

प्रायः इनके घर 2–3 कमरों के पाये गये। आवास के लिए कमरों के निर्माण के लिए सबसे पहले रस्सी से माप कर कमरे की आकृति का नींव हेतु चिन्ह बनाया जाता है। फिर फावड़े से हल्का चिन्ह बनाकर लगभग 1.5 से 02 फीट चौड़ा तथा 2–3 फीट गहरी नींद खोद देते हैं। तथा नींव को पत्थर और मिट्टी से अच्छी तरह भरा जाता है। नींव पक्की होने पर दीवार बनाने हेतु मिट्टी तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ किया जाता है। आवास हेतु मटासी अथवा लाल–पीली मिट्टी का उपयोग बहुतायत में किया जाता है, जिसे पानी से भिगोकर ''पैरा का पुलाव'' के साथ चिकना होने तक पैरों से कुचलकर मिट्टी को अच्छे से मिलाया जाता है, जिसके बाद उसका छोटी–छोटी लोई बनाकर नींव के आकार में भरा जाता है।

प्रायः प्रतिदिन 1–1.5 फीट ऊँचाई तक दीवार पर मिट्टी चढ़ाई जाती है, ताकि दिनभर की धूप से दीवार पर्याप्त सूखती रहे। लगभग 3–4 फीट ऊँचाई तक दीवार निर्माण हो जाने पर छोटी खिड़की या रो ानी, हवा आदि हेतु झरोखा बनाया जाता है। तथा लगभग 8–10 फीट दीवार की निर्धारित ऊँचाई पूर्ण होने पर गोल लकड़ी का ''म्यांर'' रख दी जाती है। जिसके बाद पुनः दीवार की ऊँचाई लगभग 2–3 फीट बढ़ायी जाती है। तत्प चात् ''म्यार'' के बीचों–बीच लकड़ी की बल्ली लगायी जाती है। जिसके ऊपर छत के आधार हेतु **''मोखेन''** बनाया जाता है जो घर की छत का आधार निर्माण करता है। मोखेन के चारों ओर दीवार पर लकड़ी की ''कांड़'' चढ़ायी जाती है, जिसके ऊपर बांस की चट्टियां बिछा दी जाती है, जिस पर पैरा की बनी ''खदर'' (घास–फूस का गुच्छा) अथवा देशी खपरैल से ''ढक'' दिया जाता है।

घर बनने के पश्चात् दीवारों को चिकनी मिट्टी से लिपाई–छबाई किया जाता है, जिसके सुखने के बाद **''छुई''** (सफेद मिट्टी) या चुने से पोताई की जाती है। घर के आंगन में आजू–बाजू पशुओं की उपब्धतानुसार एक ओर पशुओं के लिए **''कोठा''** (पशु शाला) बनाया जाता है। अधिकांश घरों के पीछे की ओर ''बाड़ी'' पायी जाती है जिसमें मौसमी साग–भाजी आदि लगायी जाती है।

आवास निर्माण में मिट्टी बनाने का कार्य महिलायें तथा लड़की लाने, दीवाल में मिट्टी चढ़ाने, छत बनाने आदि का कार्य पुरूशों द्वारा किया जाता है। आवास हेतु दरवाजे एवं खिड़कियाँ स्थानीय बढ़ई द्वारा निर्माण करायी जाती है।

2.3 आवास विभाजन

कोंध जनजाति में आवास आवश्यकतानुसार 2–3 कमरों का होता है जिसमें सबसे अंदर (भीतरी

भाग) को भीतर घर कहा जाता है। जिससे लगा हुआ बरामदा होता है, जिसे ''परछी'' कहते हैं। परछी के एक किनारे में रसोई कमरा होता है।

गाय, बैल एवं अन्य पशुओं को रखने हेतु आंगन में एक ओर कोठा (गोशाला) बनाया जाता है और दूसरी ओर धान कुटाई हेतु ''ढेकी सार'' कुछ घरों में पायी जाती है या प ुओं का चारा रखने हेतु स्थान होता है।

2.4 घर की सजावट एवं आवास व्यवस्था

कोंध जनजाति में महिलाएँ अपने घर की स्वच्छता–सफाई का ध्यान रखती हैं। घर की दीवारों को सफेद मिट्टी (छुही) से पुताई करते हैं। वही फर्श को गोबर पानी से लिपते हैं। दीवारों की पुताई विशेष त्यौहारों एवं अवसरों में किया जाता है, जबकि फर्श आदि को प्रतिदिन झाड़ू एवं गोबर पानी से लिपाई किया जाता है।

आवास के भीतरी कक्ष में एक ओर अनाज रखने हेतु **''कोठी''** एवं दूसरी ओर पूर्वज देव एवं गृह देवी–देवताओं का स्थान निश्चित होता है, जबकि दूसरे भीतरी कक्ष या बरामदे में अतिथियों के बैठने, ठहरने व सोने की व्यवस्था की जाती है। रसोई घर के एक कोने पर दो मुहा चुल्हा लगा होता है, जबकि दूसरे कोने में पानी रखने की हंडियाँ एवं अन्य बर्तन रखे जाते हैं। घर के भीतरी कक्ष में धान के अलावा महुआ, मक्का दाल आदि को प्लास्टि बोरियों में भरकर सुरक्षित रखा जाता है।

2.5 घर की स्वच्छता एवं सफाई

इस जनजाति में घर की स्वच्छता एवं सफाई का दायित्व महिलाओं का होता है। महिलाएँ प्रातः उठकर पहले रसोई घर साफ कर घर के अन्य कक्षों, बरामदा, आंगन आदि का झाड़ू–पोछा करती है। तत्पश्चात् गोबर से घर आंगन की लिपाई कर गोशाला की साफ–सफाई करती है तथा गोबर का ''छेना'' (कण्डा) थापती है, भोश कूड़ा–करकट को बाड़े में स्थित ''गोबर गड्ढा'' पर फेंकती है।

इस जनजाति की महिलायें घर की लिपाई–पुताई विशिष्ट त्यौहारों व विशेष संस्कारों जैसे–जन्म, विवाह एवं मृत्यु आदि में सफेद मिट्टी (छुई) एवं गोबर पानी से की जाती है।

2.6 व्यैक्तिक स्वच्छता

कोंध जनजाति में दातों की सफाई दातुन से की जाती है। कुछ परिवारों में टूथपेस्ट के रूप में गुड़ाखू का प्रचलन देखा जा सकता है। युवा वर्ग ब्रश एवं टूथपेस्ट आदि का उपयोग करते देखे जा सकते

हैं। शरीर पर नहाते समय साबून का उपयोग किया जाता है। वृद्ध महिला–पुरूष बाल धोने हेतु चिकनी मिट्टी का उपयोग है। नहाने हेतु नदी नाला, कुंआ, तालाब या शासकीय हैंडपम्प आदि का उपयोग किया जाता है।

स्नान पश्चात् सिर व शरीर पर डोरी का तेल अथवा नारियल आदि का तेल उपयोग किया जाता है। कपड़े धोने हेतु सोडा अथवा डिटर्जेन्ट पावडर का उपयोग करते हैं। महिलाओं में सौंदर्य प्रसाधन जैसे–बिन्दी, पाउडर, क्रीम आदि का उपयोग करते देखे जा सकते हैं।

2.7 वस्त्र विन्यास

कोंध जनजाति में प्रत्येक सदस्यों के पास लगभग 1–2 जोड़ी कपड़े पाये जाते हैं। नवजात शिशुओं को छठी के पूर्व तक नये गमछे, लुगी या अन्य कपड़ा में लपेटकर रखा जाता है। छठी पश्चात् स्थानीय बाजारों में उपलब्ध ''झबला'' आदि कपड़े पहनाये जाते हैं। स्कूलगामी बच्चों को हॉफपैंट व कमीज पहनाया जाता है, जबकि लड़कियों को स्कर्ट एवं ब्लाउज पहनाया जाता है। वहीं किशोरी बालिकायें घुटनों तक ''लुगड़ी'' अथवा सलवार पहनती हैं।

कोंध वयस्क पुरूष लुंगी या घुटने तक लंगोटी (पोटका) पहनते हैं। आधुनिक परिवेश में युवा वर्ग फूल पैंट व कमीज पहने देखे जा सकते हैं। वहीं महिलायें घुटने के नीचे तक रंग–बिरंगी साड़ी व ब्लाउज पहनती हैं। वृद्ध व्यक्ति घुटने तक ''लंगोटी'' (पोटका) पहनते हैं। सिर पर गमछा की पगड़ी बांधे रहते हैं। वही वृद्ध महिलाएँ घुटने तक **''लुगड़ी''** पहनती हैं तथा शरीर की ऊपरी भाग को लुगड़ी की पल्लू से ढंका जाता है। पति की मृत्यु पश्चात् विधवा महिलायें दशकर्म (दशगात्र) तक सामाजिक संस्कारों के तहत् सफेद साड़ी पहनती है। कुछ समय बाद इच्छानुसार लुगड़ी या साड़ी पहन सकती हैं। इस समुदाय में विशेष त्यौहारों एवं विवाह आदि अवसरों पर नये परिधान क्रय किये जाते हैं।

इस जनजाति में पुरानी कटी–फटी साड़ियां, लुगड़ी, लंगोटी, लुंगी आदि कपड़ो की कच्ची सिलाई कर ''गोदरी'' बनायी जाती है। जिसे ओढ़ने एवं बिछाने का उपयोग किया जाता है। कुछ परिवारों द्वारा स्थानीय बाजारों से ओढ़ने के लिए आर्थिक स्थिति के आधार पर चद्दर आदि खरीदने लगे हैं।

2.8 साज श्रृंगार एवं आभूषण

कोंध जनजाति की महिलायें स्नान उपरांत शरीर एवं बालों में नारियल तेल या अन्य सुगंधित तेल का उपयोग करती है। बालों में कंघी कर रंगीन फीता या रबर से बांधती हैं। कानों के ऊपरी भागों के बालों

में चिपकन लगाती है। श्रृंगार के लिए माथे में बिंदिया, आंखों में काजल व सुहागन के परिचायक के रूप में रंग–बिरंगी चुड़ियां, गले में मंगलसूत्र एवं माथे में सिंदूर लगाती हैं। पैरों में पैयरी (पायल) पहनती हैं। इस समुदाय की महिलाओं द्वारा श्रृंगार की जाने वाली आभूषण निम्न तालिका में दर्शित है:–

कोंध महिलाओं के साज श्रृंगार के आभूषण

क्र.	आभूषण	पहनने का स्थान, उपयोग	धातु	बाजार–मूल्य (रू. में)	
				गिलट	चंदी
1	कलदार	गले में	गिलट / चांदी	150–300रू	3000–5000रू
2	सुता	–,,–	–,,–	400–500रू	4000–5000रू
3	ठार, करछी	कान में	–,,–	150–200रू	1000–2000रू
4	नागमोरी	बाजू में	–,,–	300–500रू	3000–5000रू
5	ककनी	कलाई में	–,,–	200–300रू	1500–3000रू
6	करधनी	कमर में	–,,–	400–500रू	8000–10000रू
7	चुड़ा (पायल)	पैर में	–,,–	50–200रू	500–2000रू
8	चुटका	पैर की ऊंगली में	–,,–	10–50रू	100–200रू
9	मुद्री	हाथ की ऊंगली में	–,,–	10–50रू	100–200रू

उपरोक्त आभूषण एवं गहने को कोंध महिलायें स्थानीय हाट–बाजार अथवा फेरीवाले आदि से खरीदे जाते है। विधवा महिलायें हाथों में कनकी आदि पहनती है। अविवाहित बालिकाएं श्रृंगार की दृश्टि से गले में चैन, कान में ढार या करछी एवं पैरों में पायल आदि पहनती हैं। पुरूष वर्ग गले में गुरूमाला (तुलसी माला) कान में बारी, कलाई में चुड़ा एवं हाथ की उंगलियों में अंगूठी पहने देखे जा सकते हैं।

गोदना

छत्तीसगढ़ राज्य में गोदना का प्रचलन प्रायः सभी जनजातियों में पायी जाती है। कहीं कहीं तो किसी जनजाति विशेष के लिए गोदना को प्रतीक चिन्हों के रूप में उपयोग किया जाता है। आधुनिक समय में भी गोदना न केवल ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में प्रचलित है, बल्कि नगरी क्षेत्रों में आज गोदना फैशन का रूप धारण कर लिया है। समय

के साथ भले ही **''गोदना (टैटू)''** का स्वरूप बदलता जा रहा है, लेकिन उसका प्रचलन एवं महत्ता में कोई कमी नहीं आयी है। गोदना सौन्दर्य वृद्धि के साथ–साथ अपनी लोक मान्यताओं के कारण भी महिलायें विशेष रूप से अपने विभिन्न अंगो पर अलग–अलग आकार एवं प्रकार के गोदना गुदवाती है।

आदिवासी लोक संस्कृति में गोदना एक महत्वपूर्ण प्राचीन लोक कला है, जो इनमें शारीरिक सौन्दर्य वृद्धि का परम्परागत साधन है। गोदना कई सुईयों के गुच्छे एवं एक विशेष प्रकार के जंगली फल **''रीढ़ा''** की सहायता से शरीर के विभिन्न अंगो पर गोदा जाने वाला स्थायी आकृति या चिन्ह है, जो जीवन पर्यन्त तक बना रहता है। गोदना गुदने का कार्य देवार जाति की पेशेवर महिलायें करती है। गोदना सामान्यतः महिलायें अपने मांथे, कनपटी, कपोल, भुजाओं, हाथ, पैर एवं पीठ आदि स्थानों पर विभिन्न प्रकार के जीव–जन्तु, पशु–पक्षी, फूल आदि आकृतियों की गोदना गुदवाती है।

कोंध जनजाति में गोदना को पवित्र एवं स्थायी माना जाता है, इनमें सामान्यतः गोदना महिलाओं में प्रचलित है। गोदना को पक्का एवं स्थायी श्रृंगार मानते है, जो मृत्यु तक साथ देता है। कोंध महिलायें अपने शरीर के विभिन्न अंगों में सुन्दर आकृति की गोदना गुदवाती है। यह समुदाय मानती है कि गोदना शारीरिक सौन्दर्यता में वृद्धि तो करता ही है साथ ही मायका का याद भी दिलाती है और ससुराल में मान–सम्मान बढ़ाती है। इनमें गोदना प्रायः 12–15 वर्ष की आयु में गुदवा लिया जाता है। महिलायें मुख्य रूप से भुजाओं में ''बिच्छु'' हाथों पर ''डोरा'' घुटने के ऊपर ''पीपर पान'' उल्टी हथेली में खरगोश के तलवे की आकृति, ललाट में ''चीड़ी छाप'' पिण्डली के चारों ओर एवं पैरों में बिन्दी, फूल, नाग आदि आकृतियों के गोदना गुदवाती है। क्षेत्र में गोदना विवाहित कोंध महिलाओं की पहचान के रूप में जानी जाती है। कोंध जनजाति में महिलाओं द्वारा अपने विभिन्न अंगों में गुदवायी जाने वाली गोदना को निम्नानुसार दर्शाया गया है:–

क्रं.	गुदवाये जाने वाले अंग	आकृति
1	ललाट	बिन्दी, चीड़ी छाप
2	सीने के ऊपर	डोरा, बिन्दी, चीड़ी
3	भुजा	डोरा, बिच्छु, सर्प
4	कलाई	खरगोश के तलवे की आकृति
5	हथेली के ऊपरी भाग	बिच्छु, नाग
6	घुटने के ऊपर	पीपर पान
7	ऐड़ी के ऊपर	बिन्दी, फुल
8	पैर	बिन्दीओं की बिछिंया, पीपर पान

कोंध जनजाति की महिलायें ज्यादातर बिच्छु, सांप, चीड़ी, बिन्दी, पीपरपान, खरगोश के तलवे, फूल, पत्तीयों आदि के आकृति की गोदना गुदवाती है। पूर्व में इनमें बिना गोदना–गुदवाये युवतियों का विवाह नही होता था। इनमें गोदना के प्रति अनन्य आस्था एवं विश्वास होता है। ये लोग मानते है कि जो महिला गोदना नहीं गुदवाती है, उसे यमराज नरक लोक में सब्बल से गोदते है।

कोंध महिलायें स्थानीय देवारिनों से ग्राम में 2–3 कुरों चावल अथवा स्थानीय हाट–बाजार या मेले आदि में 50–100 रूपये देकर गोदना गुदवाती है।

2.9 कृषि उपकरण

कोंध जनजाति के सदस्य परम्परागत पद्धति से कृषि करते हैं, जिसके लिए उन्हें कुछ पारम्परिक कृषि उपकरणों की आवश्यकता होती है। कृषि उपयोग में लाये जाने वाले उपकरण निम्नलिखित हैः–

क्र.	कृषि उपकरण	निर्मित वस्तु	निर्माण	बाजार मूल्य	उपयोग
1	नागर	लोहा/लकड़ी	स्वनिर्मित	300–400रू.	भूमि जोतने हेतु
2	जुड़ा	लकड़ी	–,,–	–	बैल जोड़ने हेतु
3	खोपर	–,,–	–,,–	–	खेत की मिट्टी समतल करने में
4	रापा (फावड़ा)	लोहा/लकड़ी	बाजार	100–150रू.	मिट्टी खोदने/समतल हेतु
5	गैती	–,,–	–,,–	–,,–	खोदने हेतु
6	कुदाल	–,,–	–,,–	50–70रू.	साग–भाजी खोदने हेतु
7	सब्बल	लोहा	–,,–	150–200रू.	गहरी खुदाई हेतु
8	हसिया	लोहा+लकड़ी	बाजार	50–75रू.	फसल काटने हेतु
9	कांवर	बास+रस्सी	स्वनिर्मित	–	सामान ढोने हेतु
10	बेलन	लकड़ी	–,,–	–	फसल मिजाई हेतु
11	गाड़ी	–,,–	–,,–	–	फसल ढोने हेतु
12	कलारी	लोहा+लकड़ी	बजार	50–75रू.	मिंजाई में फसल पलटने हेतु

2.10 घरेलू उपकरण

कोंध परिवार अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर आवश्यक उपकरणों/वस्तुओं का संग्रह करता है, जो दैनिक क्रियाकलापों को संपादित करने में आवश्यक होता है। इस समुदाय में निम्नलिखित घरेलू उपकरण देखने को मिलते हैं:–

क्र.	घरेलू उपकरण	उपकरण का निर्माण सामग्री	मिलने का स्थान	बाजार मूल्य	उपयोग
1	करसी हांडी	मिट्टी	कुम्हार	25–50 रू.	ठंडा पानी पीने हेतु।
2	हाड़ी	–,,–	–,,–	15–25 रू.	भात बनाने हेतु।
3	कोंजी	–,,–	–,,–	10–20 रू.	दूध पकाने हेतु
4	ठेकली	–,,–	–,,–	05–10 रू.	चिल्हर–पैसा रखने हेतु
5	कड़ाही	एल्युमिनियम	स्थानीय बाजार	100–200 रू.	सब्जी आदि बनाने।
6	तवा	लोहा	–,,–	50–100 रू.	रोटी बनाने
7	डेचकी/डोभा	कांसा/स्टील	–,,–	300–400/100–150रू.	बासी खाने हेतु
8	डूआ	स्टील	–,,–	20–50 रू.	भात,सब्जी निकालने हेतु
9	करछुल	स्टील	–,,–	10–30 रू.	रोटी पलटाने हेतु
10	लोटा	स्टील/कांसा	–,,–	30–50/200–300रू.	पानी पीने/देने
11	गिलास	–,,–	–,,–	20–50/100–200 रू.	–,,–
12	थाली	–,,–	–,,–	100–200/300–400रू.	खाना खाने हेतु
13	माली/कटोरी	–,,–	–,,–	30–40/100–200 रू.	सब्जी खाने हेतु
14	हडुला	पीतल/कांसा	–,,–	1500–2000 रू.	पानी रखने/भरने
15	बाल्टी	एल्युमिनियम	–,,–	150–300 रू.	–,,–
16	पीढ़ा	लकड़ी	बढ़ई	20–50 रू.	बैठने हेतु
17	झऊहा	बांस	बजार	70–100 रू.	सब्जी आदि रखने
18	सुपा	–,,–	–,,–	–,,–	अनाज साफ करने हेतु
19	ढेकी	लकड़ी	स्वनिर्मित		अनाज कुटने
20	जाता	पत्थर	बाजार	50–100 रू.	दलने/पीसने हेतु
21	सिलबट्टा	–,,–	बाजार	–,,–	चटनी, मशाला पीसने हेतु
22	पठेरा	लकड़ी	स्वनिर्मित		पानी के बर्तन रखने
23	चटाई	खजूर, छिंदपत्ता	बाजार	50–100 रू.	बैठने/बिछाने हेतु
24	बहरी (झाड़ू)	बहरी घास	स्वनिर्मित		झाड़ने हेतु
25	चुल्हा	मिट्टी	–,,–		खाना बनाने, आग जलाने
26	सरकी	गेंदलाघास	–,,–	–,,–	बैठने, बिछाने हेतु

2.11 शिकार एवं मत्स्य आखेट उपकरण

जंगली जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध होने के कारण कोंध जनजाति द्वारा वर्तमान में खेदा (शिकार) नहीं किया जाता है। लेकिन नदी, तालाबों एवं वर्षाकाल में खेतों आदि में मत्स्य आखेट करता है। शिकार एवं मत्स्य आखेट हेतु निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग किया जाता हैः–

कोंध जनजाति के आखेट उपकरण

क्र.	शिकार उपकरण	उपयोग	निर्माण
1	सटका (डंडा)	पक्षी, जानवर, मछली आदि मारने	बांस
2	भाला	लोहा+बांस	लोहा + बांस
3	बरछी	–,,–	–,,–
4	परसी / परसा	–,,–	बांस+लोहा
5	टंगिया	लकड़ी, मांस आदि काटने हेतु	–,,–
6	धनुष–बाण	पक्षी, जानवर, मछली आदि मारने	–,,–
7	जाल	पक्षी, मछली फसाने / मारने	तात रस्सी
8	धोती	मछली फसाने / मारने	बांस–तांत
9	धीर	–,,–	–,,–
10	चोरिया	–,,–	बांस, रस्सी
11	कुमना	–,,–	बांस, रस्सी
12	छापा	–,,–	बांस+जाल
13	हथारी	–,,–	–,,–
14	पेलना	–,,–	बांस+जाल+तांत

2.12 संगीत के उपकरण

कोंध जनजाति में लोकगीत एवं संगीत का विशेष महत्व है। इन लोकगीतों को पारंपरिक वाद्ययत्रों की मदद से गाया जाता है। इस समुदाय में प्रायः लकड़ी एवं चमड़े से बनी ''ढोलक'' मिट्टी से बनी मांदर, झांझ, बांस की बनी किरकीच, खंझनी आदि का उपयोग प्रमुखता से किया जाता है।

2.13 आधुनिक उपकरण

आधुनिक परिवेश में इस जनजाति के लोग आधुनिक उपकरणों/वस्तुओं का उपयोग करने लगे हैं। इस समुदाय के अधिकांश घरों में सायकल, रेडियो, घड़ी, मोबाइल, टी.वी., फेन (पंखा), प्लास्टिक की कुर्सियां आदि सहज ही देखे जा सकते हैं। आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों में मोटर सायकल, कम्प्यूटर, मोबाइल आदि उपकरणों का उपयोग करते पाये गये।

2.14 आग प्रज्जवलन के उपकरण

इस जनजाति में आग जलाने हेतु पारंपरिक रूप से दो विधियों का प्रयोग किया जाता था।

प्रथम विधि में लकड़ी के दो चौड़े व समतल टूकड़ों के बीच में लगभग 1 इंच गहरा छेद कर सूखी घास डालते हैं तथा एक फीट लम्बी लकड़ी को दोनों हथेली के बीच में दबाकर नीचे की ओर दबाव डालते हैं और तेजी से घुमाते हैं, जिससे नीचे घर्षण से आग उत्पन्न हो जाता है।

द्वितीय विधि में दो चकमक पत्थरों का आपस में रगड़कर उत्पन्न चिंगारी को घास–फूस के माध्यम से आग तैयार कर लिया जाता है।

यह जनजाति घर में प्रकाश के लिए चिमनी (कांच की बाटल) में मिट्टी का तेल डालकर अथवा दीये में डोरी (टोरा) तेल डालकर किया जाता है। शीत ऋतु में ठंड से बचने हेतु साल या लकड़ी का ''अंगेठा'' लगाकर बरामदे में जलाया जाता है, जिसकी आग से रोशनी भी होती है और जंगली जानवर भी आग के डर से पास नहीं आते है।

2.15 आवागमन के साधन

कोंध जनजाति वर्तमान समय में प्रमुख सड़कों से दूर वनांचल में निवासरत है। सर्वेक्षित कुछ ग्राम कच्ची सड़कों से एवं कुछ ग्राम पक्की सड़कों से जुड़े पाये गये। उन्हें दैनिक आवश्यक उपयोग की वस्तुओं की पूर्ति स्थानीय हाट–बाजारों आदि से करना होता है। अधिकांश परिवार अपने वनोपज के साथ बाजार पैदल, सायकल अथवा मोटर सायकल में आना जाना करते हैं।

चिकित्सा आदि हेतु शहर जाने, अधिक दूरी की यात्रा करने के लिए उपलब्धतानुसार बस, ट्रैक्टर, मोटरसायकल आदि का उपयोग करने लगे हैं।

2.16 भोजन

कोंध जनजाति के मुख्य भोजन चावल (भात) है। चावल से बनी पेज, रोटियाँ एवं बासी आदि को बड़े चाव से खाया जाता है। सब्जी में मुख्य रूप से घर के बाड़े से प्राप्त सब्जियों को प्राथमिकता दी जाती है। अथवा बाजार से क्रय किया जाता है। बच्चे दो या अधिक बार भोजन करते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार दाल व सब्जी नियमित रूप से नहीं बना पाते है। इन परिवारों में सब्जियों को रसदार बनाकर या टमाटर, मिर्च, नमक आदि की चटनी के साथ भोजन किया जाता है।

इस जनजाति में मांसाहार नियमित नहीं किया जाता है। प्रायः अतिथि आगमन, त्यौहारों, विशेष अवसरों, साप्ताहिक हाट–बाजार के दिन मांस का सेवन किया जाता है। मांस में मुख्य रूप से बकरा, मुर्गा एवं मछली आदि का सेवन किया जाता है।

भोजन बनाने की विधि

भात :– भात बनाने के लिए सर्वप्रथम हण्डी में पानी उबालते हैं, जिसे 'अंधना' आना कहते हैं, अंधना आने पर चावल को धोकर उबलते पानी में डाल देते हैं। पकाते समय बीच–बीच में चम्मच चलाकर देखते रहते हैं। जब चावल पकने की स्थिति में आ जाता है तब उसे ढक्कन से ढंककर एक अन्य बर्तन में पानी (माड़) को निकाल दिया जाता है। तत्प चात् कुछ देर तक इसे हल्की आंच में रखा जाता है और चावल पककर **''भात''** बन जाता है।

सब्जी :– इस जनजाति के लोग प्रायः घर की बाड़ी की मौसमी सब्जियां खाते हैं, जिसे काटकर पानी से धो लिया जाता है और कढ़ाई में तेल–राई के पश्चात् डाल दिया जाता है। कुछ पकने के पश्चात् आवश्यकतानुसार नमक, हल्दी व मिर्च आदि डालकर चूल्हे पर पकने दिया जाता है। कुछ देर में सब्जी पककर तैयार हो जाता है। दाल न बनने की स्थिति में सब्जी प्रायः रस्सेदार बनायी जाती है।

मांसाहार सब्जी :– बकरा/मुर्गा आदि को इच्छानुसार टुकड़ों में काटकर पहले तेल में हल्का भून लिया जाता है। मांस के भूनने के प चात् अलग कढ़ाई में प्याज, मिर्च, हल्दी, मसाला आदि का ग्रेवी (म ाला) तैयार कर ली जाती है। मसाला तैयार होने पर भूने हुए मांस को उसमें डालकर पकने दिया जाता है।

इस जनजाति में खाना पकने के पश्चात् अग्निदेव को भोग लगाकर ही परिवार के सदस्यों को भोजन कराया जाता है। खाना बनाने वाली महिलायें परिवार के सदस्यों को भोजन कराने के पश्चात् ही ग्रहण करती है।

2.17 मद्यपान

कोंध जनजाति के अधिकांश सदस्य प्रायः मद्यपान करते हैं। वे स्वयं ही महुआ से ''कच्ची शराब'' बनाते हैं, जिसे मंद (दारू) कहा जाता है। त्यौहारों, उत्सवों एवं विशेष अवसरों पर कुछ महिलाओं एवं बच्चों द्वारा भी कच्ची शराब (मंद) का सेवन करते देखे जा सकते हैं।

शराब बनाने की परम्परागत विधि

सुखे हुए महुआ फूल को लगभग 02 दिनों तक हण्डी में भिगाकर रख दिया जाता है। भीगे हुए महुआ और पानी को बराबर मात्रा में एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है। इस पात्र के ऊपर एक पारदर्शी कपड़ा बांध दिया जाता है, जिसके ऊपर एक छोटा पात्र रखा जाता है। इसके पश्चात् एक और

पात्र को उल्टाकर उसके ऊपर ढंक दिया जाता है और महुआ युक्त हांडी को नीचे से ताप दिया जाता है।

जैसे–जैसे महुआ उबलता है तो उससे निकलने वाली भाप पारदर्शी कपड़े से निकलकर ऊपर ढंकी पात्र में ठंडी होती जाती है और ठंडी होने के पश्चात् छोटे पात्र में एकत्रित होती रहती है, जिसे बीच–बीच में निकाल लिया जाता है। इस प्रक्रिया को बार–बार दोहराया जाता है और प्राप्त पेय को ठंडा होने दिया जाता है, जिसे स्थानीय बोली में मंद (दारू) कहते हैं।

उपभोग के लिए जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उसे निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिलाकर सेवन किया जाता है।

तम्बाकू का उपयोग

कोंध जनजाति की अधिकांश महिला एवं पुरूष तम्बाकू की पत्ती को चूना के साथ रगड़कर चबाते/खाते हैं। वृद्ध पुरूष तेन्दूपत्ता में तम्बाकू को लपेटकर ''चोंगी/बीड़ी'' के रूप में धुम्रपान करते हैं। वही गुड़ाखू का प्रचलन विशेषकर महिलाओं में अधिक पाया गया। किशोर व युवा वर्ग तम्बाकू युक्त गुटखा (पान मसाला) का सेवन करते पाये गये।

दूध/मिठाईयां

कोंध जनजाति द्वारा दूध का सेवन घर में उपलब्धतानुसार चाय आदि बनाने में किया जाता है। इस जाति में मिठाई बहुत ही कम मात्रा में उपयोग किया जाता है। विशेषकर त्यौहारों, हाट–बाजारों के दिन अथवा विशेष अवसरों पर ही खाया जाता है।

अध्याय –3

आर्थिक–जीवन

प्रत्येक समाज की सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना में आर्थिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योकिं मनुष्य को अपने अस्तित्व के लिए कुछ आवश्यक भौतिक मूल्य एकत्र करने पड़ते है। मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र एवं निवास प्रमुख है, और इनकी पूर्ति के लिए किये जाने वाले कार्य आर्थिक संरचना के अन्तर्गत आते है। अर्थव्यवस्था समाज की भौतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, उत्पादन की व्यवस्था, वितरण पर नियंत्रण एवं समुदाय में स्वामित्व के अधिकार एवं दावों का निर्धारण करती है। अतः स्पष्ट है कि आर्थिक व्यवस्था किसी भी समाज चाहे वह आदिम हो अथवा आधुनिक हो, का मूल आधार होता है। प्रत्येक समुदाय अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति अपने–अपने तरीके से करता है, और जिस समाज की आर्थिक व्यवस्था जितनी सुदृढ़ होती है, वह समाज उतना ही उन्नत होता है।

कोंध जनजाति की अर्थ व्यवस्था सीमित एवं सरल है, जो मुख्य रूप से कृषि एवं वन पर आधारित है। ये वर्तमान में भी प्राकृतिक आय के स्त्रोतो पर निर्भर है। इनका आर्थिक जीवन ऋतुओं से संबंधित क्रियाकलापों पर आधारित होता है। इस जनजाति में आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साधनों को भी संपत्ति माना जाता है। सम्पत्ति स्वअर्जित एवं पूर्वजों से हस्तांतरण द्वारा प्राप्त होती है।

3.1 सम्पत्ति की अवधारणा

कोंध जनजाति में स्वामित्व के आधर पर सम्पत्ति को तीन भागों में बांटा जा सकता है :–

1. व्यक्ति सम्पत्ति
2. पारिवारिक सम्पत्ति
3. सामूहिक सम्पत्ति

1. व्यक्तिगत सम्पत्ति

कोंध जनजाति के किसी सदस्य द्वारा स्वयं की मेहनत से अर्जित अथवा क्रय की गई वस्तुयें व्यक्तिगत सम्पत्ति मानी जाती है। इसमें मोटर सायकल, मोबाइल, सायकल, ज्वेलरी, घड़ी आदि आते हैं।

2. पारिवारिक सम्पत्ति

कोंध जनजाति में परिवार के सदस्यों द्वारा परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राप्त सम्पत्ति अथवा बटवारा से प्राप्त पैतृक सम्पत्ति आदि पारिवारिक सम्पत्ति के अन्तर्गत आती है। इसके अन्तर्गत जमीन, घर, पशु, अनाज, पेड़–पौधे आदि आते हैं।

3. सामूहिक सम्पत्ति

कोंध जनजाति में जंगल, तालाब, चारागाह, नदी–नाला, मंदिर आदि को सामूहिक सम्पत्ति माना जाता है जिसमें सभी लोगों का समान अधिकार एवं स्वामित्व होता है।

3.2 सम्पत्ति का हस्तांतरण

कोंध जनजाति में पितृवंशीय, पितृस्थानीय सामाजिक व्यवस्था पायी जाती है जिसके फलस्वरूप सम्पत्ति या सत्ता का हस्तांतरण पिता से पुत्रों को प्राप्त होता है। पिता द्वारा अर्जित सम्पत्ति व पैतृक सम्पत्ति में उसके सभी पुत्रों का अधिकार होता है। सम्पत्ति के हस्तांतरण के समय इस समुदाय में परिवार के ज्येश्ठ पुत्र को अन्य की तुलना में कुछ ज्यादा सम्पत्ति या जमीन दी जाती है। जिसे स्थानीय बोली में **''ज्येष्ठोसी''** कहा जाता है। कोंध समाज यह मानती है कि बड़ा पुत्र अपने छोटे भाई–बहनों की परवरिश, शिक्षा, विवाह, कृषि आदि में पिता का सहयोग करता है इसी कारण ''ज्येष्ठोसी'' वितरण की इस प्रक्रिया में छोटे भाईयों को भी आपत्ति नहीं होती तथा इसे समाज द्वारा निर्धारित नियम मानते हुए इसका अनुपालन भी करते हैं। सामाजिक तौर पर पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों का अधिकार प्रायः नहीं पाया जाता।

इस जनजाति में विशेष परिस्थिति जैसे पिता के केवल पुत्री संतान हो तो पिता कोशिष करता है कि पुत्री के विवाह पश्चात् दामाद उसी के घर पर रहे अर्थात् ''घरजिया (घरजमाई)'' विवाह को प्राथमिकता देता है तथा सम्पत्ति का हस्तांतरण अपनी पुत्री एवं दामाद को करता है। घरजमाई (घरजीया) विवाह में दामाद को **''वधुमूल्य (सूकपैसा)''** चुकाना नहीं पढ़ता है।

यदि किसी दम्पत्ति की कोई संतान न हो तो वह अपने भाई के पुत्र अथवा बहन के पुत्र (भांजा) को 'गोद' लेता है और सम्पत्ति का हस्तांतरण करता है।

3.3 व्यवसाय

कोंध जनजाति की अर्थव्यवस्था कृषि, वनोपज संग्रहण, कृषि मजदूरी एवं अन्य मजदूरी पर आधारित होती है। वर्तमान में आय का मुख्य स्त्रोत निर्भरता के आधार पर प्राथमिक व द्वितीयक व्यवसाय के रूप में विभाजित किया जा सकता है।

3.3.1. प्राथमिक व्यवसाय

कोंध जनजाति के सर्वेक्षित 120 परिवारों की कार्यशील जनसंख्या निम्नांकित प्राथमिक कार्यों में संलग्न पाये गयेः—

तालिका क्रमांक—04

सर्वेक्षित परिवारों का प्राथमिक व्यवसाय

क्र.	प्राथमिक व्यवसाय का स्वरूप	संलग्न व्यक्ति					
		पुरूष		महिला		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	कृषि	127	72.57	93	56.02	220	64.52
2.	वनोपज	12	06.86	49	29.52	61	17.89
3.	मजदूरी	31	17.71	24	14.46	55	16.13
4.	नौकरी	02	01.14	00	00.00	02	00.59
5.	अन्य	03	01.72	00	00.00	03	00.87
योग		**175**	**100.00**	**166**	**100.00**	**341**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कोंध जनजाति के सर्वेक्षित 120 परिवारों में कुल जनसंख्या 544 है जिसमें से 341 (62.68 प्रतिशत) जनसंख्या कार्यशील है। कुल पुरूष जनसंख्या का 64.81 प्रतिशत एवं महिला जनसंख्या का 60.58 प्रतिशत कार्यशील है। इन कार्यशील जनसंख्या में से 220 (64.52 प्रतिशत) जनसंख्या कृषि को प्राथमिक व्यवसाय के रूप में कार्य करते पाये गये। इसी प्रकार 61 (17.89 प्रतिशत) व्यक्ति वनोपज को, 55 (16.13 प्रतिशत) व्यक्ति मजदूरी को प्राथमिक व्यवसाय के रूप में कार्य करते पाये गये। सर्वेक्षित परिवारों में केवल 02 (00.59 प्रतिशत) व्यक्ति ही शासकीय एवं गैर शासकीय नौकरी को

प्राथमिक व्यवसाय के रूप में करते पाये गये। वही मात्र 03 (00.87 प्रतिशत) व्यक्ति ही अन्य कार्यों जैसे दूकानदारी, फल–सब्जी बेचना आदि व्यवसाय को प्राथमिक व्यवसाय के रूप में कार्य करते पाये गये।

सर्वेक्षित परिवारों के कार्यशील पुरूष जनसंख्या 175 में से 127 (72.57 प्रतिशत) व्यक्ति कृषि को, 12 (01.14 प्रतिशत) व्यक्ति नौकरी को एवं 03 (01.72 प्रतिशत) व्यक्ति अन्य व्यवसाय को प्राथमिक व्यवसाय के रूप में करते पाये गये।

इसी प्रकार सर्वेक्षित परिवारों के कार्यशील महिला जनसंख्या 166 में से 93 (56.02 प्रतिशत) महिला कृषि कार्य को, 49 (29.52 प्रतिशत) महिला वनोपज को, 24 (14.46 प्रतिशत) महिला मजदूरी को प्राथमिक व्यवसाय के रूप में करते पाये गये। कोई भी कोंध महिला शासकीय/अर्द्धशासकीय नौकरी या अन्य व्यवसाय से जुड़ी हुई नहीं पायी गयी।

3.3.2 द्वितीयक व्यवसाय

कोंध जनजाति के सर्वेक्षित 120 परिवारों में कार्यशील जनसंख्या के आधार पर द्वितीयक व्यवसाय में संलग्नता निम्नलिखित सारणी अनुसार पाया गयाः–

तालिका क्रमांक–05

सर्वेक्षित परिवारों में द्वितीय व्यवसाय

क्र.	द्वितीयक व्यवसाय का स्वरूप	संलग्न व्यक्ति					
		पुरूष		महिला		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	कृषि	43	24.57	73	43.98	116	34.02
2.	वनोपज	42	24.00	56	33.73	98	28.74
3.	मजदूरी	84	48.00	37	22.29	121	35.48
4.	नौकरी	00	00.00	00	00.00	–	00.00
5.	अन्य	06	03.43	–	00.00	06	01.76
योग		**175**	**100.00**	**166**	**100.00**	**341**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों में कुल 341 (62.68 प्रतिशत) व्यक्ति कृषि कार्य को द्वितीयक व्यवसाय के रूप में कार्य करते पाये गये। इसी प्रकार 98 (28.74 प्रतिशत) व्यक्ति वनोपज

को, 121 (35.48 प्रतिशत) व्यक्ति मजदूरी को एवं केवल 06 (01.76 प्रतिशत) व्यक्ति अन्य व्यवसाय को द्वितीयक व्यवसाय के रूप में कार्य करते पाये गये।

द्वितीयक व्यवसाय के रूप में कार्य करने वाले कुल 175 पुरूषों में से 43 (24.57 प्रतिशत) व्यक्ति कृषि को, 42 (24 प्रतिशत) व्यक्ति वनोपज को, 84 (48 प्रतिशत) व्यक्ति मजदूरी को एवं 06 (03.43 प्रतिशत) व्यक्ति अन्य व्यवसाय को द्वितीयक व्यवसाय के रूप में कार्य करते पाये गये। इसी प्रकार द्वितीयक व्यवसाय के रूप में कार्य करने वाले कुल 166 महिलाओं में से 73 (43.98 प्रतिशत) महिला कृषि को, 56 (33.73 प्रतिशत) महिला वनोपज को एवं 37 (22.29 प्रतिशत) महिला मजदूरी को द्वितीयक व्यवसाय के रूप में करते पाये गये। कोई भी महिला शासकीय अर्द्धशासकीय नौकरी या अन्य व्यवसाय को द्वितीयक व्यवसाय के रूप में करते नहीं पायी गयी।

3.4 आर्थिक संरचना

कोंध जनजाति पूर्व में जंगली कंदमूल एकत्र कर जीवकोपार्जन करते थे। लघु वनोपज जैसे–महुआ, चार, आम, इमली, चिरौंजी, तेन्दुपत्ता, तेन्दू, शहद, लाख आदि एकत्र कर आर्थिक लाभ लेते

हैं। इनकी आर्थिक संरचना मानव एवं पर्यावरण की अन्तक्रिया का प्रतीक है अर्थात् प्रकृति आधारित होती है। यह समाज समय के अनुसार व भूमि उपलब्धतानुसार कृषि कार्य भी करता है। साथ ही साथ वनोपज संकलन, मजदूरी, मत्स्य आखेट, कृषि मजदूरी आदि से अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है।

(अ) कृषि

वर्तमान परिवेश में कोंध जनजाति कृषि एवं कृषि मजदूरी की ओर अग्रसर है। वह अपनी जीवकोपार्जन हेतु पूर्व में पेन्दा खेती एवं शिकार पर आश्रित थे लेकिन आज कुछ परिवारों के पास छोटे आकार के जोत हैं। सर्वेक्षित परिवारों में भूमि धारिता का विवरण निम्नलिखित तालिका अनुसार पाया गया:–

तालिका क्रमांक–06

सर्वेक्षित परिवारों की भूमि धारिता का वितरण

क्र.	श्रेणी	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1.	भूमिधारक	86	71.67
2.	भूमिहीन	34	28.33
योग		120	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित 120 परिवारों में 86 (71.67 प्रतिशत) परिवारों के पास कुछ न कुछ मात्रा में कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है। जबकि 34 (28.33 प्रतिशत) परिवार भूमिहीन पाये गये।

2. कृषि भूमि का वितरण

सर्वेक्षित कोंध जनजाति परिवारों में प्राप्त कृषि योग्य भूमि का वितरण असमान पाया गया। किसी परिवार के पास वर्ष भर के अनाज उत्पादन हेतु कृषि भूमि उपलब्ध नहीं है तो दूसरी ओर कुछ परिवारों के पास कृषि भूमि होते हुए भी अनेक कारणों से भरण–पोषण हेतु अनाज उत्पादन भी नहीं ले पाते हैं। सर्वेक्षित परिवारों में धारित कृषि भूमि का वितरण निम्नलिखित तालिकानुसार पाया गया :–

तालिका क्रमांक–07

सर्वेक्षित परिवारों में कृषि भूमि का वितरण

क्र.	वितरण	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1.	भूमिहीन	34	28.33
2.	0.1–3 एकड़	55	45.84
3.	3.1–05 एकड़	19	15.83
4.	5 एकड़ से अधिक	12	10.00
योग		120	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित 120 परिवारों में 34 (28.33 प्रतिशत) परिवार भूमिहीन पाये गये, वही 55 (45.84 प्रतिशत) परिवारों के पास 0.1 से 3 एकड़ की कृषि योग्य भूमि, 19 (15.83 प्रतिशत) परिवारों के पास 3.1 से 5 एकड़ कृषि योग्य जमीन पाया गया। मात्र 12 (10 प्रतिशत) परिवारों के पास ही 05 एकड़ से अधिक की कृषि भूमि पाई गई। इनमें से अधिकांश भूमि भांठा (टिकरा) व मानसुनी वर्षा पर निर्भर है।

3. मुख्य फसल

कोंध जनजाति मुख्य रूप से धान, कोदो, गेहूँ, मुंगफली एवं अरहर आदि की खेती करती है।

4. कृषि विधि

कोंध जनजाति पारम्परिक स्त्रोतों के माध्यम से एवं पारम्परिक विधि से कृषि कार्य करता है। कृषि जमीन पर समुदाय के बहुत कम ही लोग आधुनिक खाद जैसे– फास्फेट, यूरिया, जैविक खाद व रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। साथ ही क्षेत्र में इनका आर्थिक रूप से कमजोर होना, अज्ञानता, भूमि की उर्वरता का कम होना, पारम्परिक तरीके से पैदावार करना आदि इनका पहचान माना जाता है।

I. धान की कृषि विधि

धान कोंध जनजाति की मुख्य फसल है। यह फसल मानसूनी वर्षा पर निर्भर रहता है। प्रायः जून–जुलाई माह में मानसूनी वर्षा की पहली बरसात होने पर खेतों को **''नागर** (हल)'' द्वारा जोत लिया जाता है। जिन परिवारों में स्वयं के बैल नहीं होते वे निकट संबंधियों की सेवा लेते हैं। इस समुदाय के खेत छोटे–छोटे टूकड़ों में विखण्डित होते हैं, जिसे **''डोली'' (खेत)** कहते हैं। जिसे दो बार जुताई कर गोबर का खाद छिड़ककर निम्नलिखित विधियों से धान की बुआई/रोपाई की जाती है।

1. खुर्रा (बतरहा)

इस विधि में मानसून की प्रथम वर्षा पश्चात् खेत की 2 बार जुताई कर गोबर खाद एवं धान को छिड़क दिया जाता है। तत्पश्चात् पाटा **(कोपर)** से खेत को समतल कर दिया जाता है। जिससे खेत पर पानी का जमाव न हो सके एवं खेत उबड़–खाबड़ न हो।

2. लहियारा

इस विधि में वर्षा के पानी से खेतों की जुताई कर मिट्टी को लसलसा (कीचड़–युक्त) तैयार कर लिया जाता है। खेत को तैयार करने के 2–3 दिन पूर्व धान को 24 घण्टे तक पानी में भिगोकर रखने के

पश्चात् किसी सूखे स्थान पर धान को ढक दिया जाता है। जिससे 2–3 दिन पश्चात् जब धान अंकुरित हो

जाता है तब तैयार किये हुए खेत में अंकुरित बीज का छिड़काव कर दिया जाता है जिससे धान के पौधे शीघ्र ही जड़ पकड़ लेते हैं। बुआई के 8–10 दिनों बाद खेतों में आवश्यकतानुसार पानी भर दिया जाता है।

3. **रोपाई (रोपा)**

इस विधि में किसी अन्य स्थान पर धान की नर्सरी (थरहा) लगायी जाती है। 20–30 दिनों के पश्चात् जब धान के पौधे की लम्बाई 10–12 इंच हो जाता है तो तैयार किये हुए खेतों में धान की पौधों की रोपाई कर दी जाती है। धान के पौधों के जड़ पकड़ने एवं सीधे होने के पश्चात् खेतों में आवश्यकतानुसार पानी भर दिया जाता है। इस समुदाय द्वारा धान की रोपाई बहुत कम मात्रा में किया जाता है।

बियासी

धान बोने की प्रथम दो विधियों में धान बोनी के लगभग 30–40 दिनों बाद हल द्वारा **''बियासी''** किया जाता है, जिसमें बोये गये धान के पौधों वाले खेतों पर हल चलाया जाता है जिससे मिट्टी ढीली हो जाये और जड़ का फैलाव गहराई तक मजबूती से पकड़ सके तथा कुछ मात्रा में खरपतवार भी गल जाए। इसके बाद हाथ से धान के पौधों को समान मात्रा एवं दूरी पर चालते हैं जिससे खेत समतल एवं धान के पौधों की दूरी बराबर हो जाये।

निदाई

बियासी के लगभग 15–20 दिनों पश्चात् धान के पौधों के बीच उगे हुए घास एवं अन्य खरपतवार की निदाई की जाती है जिससे धान के पौधे पूर्ण विकसित हो सके। निदाई पश्चात् पर्याप्त मात्रा में खेतों में पानी भर दिया जाता है। कार्तिक–आश्विन माह (अक्टूबर–नवम्बर) तक फसल पक कर तैयार हो जाती है।

कटाई

फसल पक जाने पर **''धरती माता''** एवं **''लक्ष्मी माता''** की दूध, नारियल धूप अगरबत्ती आदि से पूजा कर अच्छे उत्पादन की कामना करते हुए हसिया से फसल की कटाई प्रारम्भ करते हैं। इस कार्य में समाज के अन्य सगे संबंधी परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। फसल की ढुलाई खलिहान तक बैलगाड़ी द्वारा किया जाता है। बैलगाड़ी उपलब्ध न होने की स्थिति में सिर में ढोकर खलिहान तक पहुँचाया जाता है।

मिंजाई

सभी फसल खलिहान में एकत्र होने के पश्चात् **''दवरी''** विधि (4–5 बैल को एक खूटे से हांककर फसल के चारों ओर चलाकर) मिंजाई की जाती है। मिजाई होने के पश्चात् धान की सफाई कर ली जाती है तथा फसल के पैरा को पशुओं के चारा के रूप में पृथक कर खलिहान के एक कोने पर रख दिया जाता है जिसे स्थानीय भाषा में **''पैरावट''** कहते हैं।

भण्डारण

मिंजाई पूर्ण होने के पश्चात् धान की सफाई कर भण्डारण किया जाता है। भण्डारण हेतु घर में बनी **''कोठी''** या पैरा को आठकर बनाया गया **''ढोलगी''** में रखा जाता है।

कोंध जनजाति द्वारा कृषि उत्पादन की पारम्परिक पद्धति एवं मानसूनी वर्षा पर निर्भरता के कारण इनमें धान की औसत उत्पादन 10–15 क्विंटल प्रति एकड़ होता है जो सरकार की समर्थन दर पर बाजार मूल्य 1940 रू. प्रति क्विन्टल होता है। सर्वेक्षित परिवारों में से सर्वोधिक 77.50 प्रतिशत परिवार धान की फसल का उत्पादन करते पाये गये।

II. गेहूँ

सर्वेक्षित कुछ ग्रामों में गेहूँ की फसल लेते पाये गये। सिंचाई की व्यवस्था होने पर नवम्बर–दिसम्बर माह में गेहूं की बोनी की जाती है। मार्च–अप्रैल में गेहूं की फसल पक कर तैयार हो जाता है जिसकी मिंजाई कर भण्डारण छोटे–छोटे प्लास्टिक की बोरियां आदि में किया जाता है। गेहूं की फसल प्रायः खाने के लिए किया जाता है।

तालिका क्रमांक 08 के अनुसार सर्वेक्षित 19.17 प्रतिशत परिवारों द्वारा गेहूं की खेती किया जाना पाया गया।

III. कोदो–कुटकी

कोदो–कुटकी की फसल का उत्पादन ज्यादातर भाठा (टिकरा) जमीन पर किया जाता है। मानसून की पहली बरसात में **''अकरस''** जुताई कर आषाण माह में इसकी बोनी कर दी जाती है। इसके बाद गोबर की खाद का छिड़काव किया जाता है तथा बाद में पट द्वारा खेत को समतल कर दिया जाता है। वर्षा के पश्चात् अश्विन

माह में फसल पक कर तैयार हो जाता है तथा इसे **''नवाखाई त्यौहार''** के पूर्व तक कटाई कर फसल को लकड़ी आदि से पीठ कर भिंजाई कर लिया जाता है जिसे ''पेज'' (पानी सहित कोदो–कुटकी) के रूप में खाया जाता है।

तालिका क्रमांक 08 से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित 54.17 प्रतिशत परिवारों द्वारा कोदो–कुटकी का फसल लेते पाये गये।

IV. मुंगफली

सर्वेक्षित कुछ ग्रामों में **''भाठा (टिकरा)''** जमीन पर मुंगफली की फसल ले रहे हैं। आषाण (जून) माह में अकरस जुताई कर मुंगफली की फसल लगाते हैं। फिर उसने ऊपर गोबर की खाद का छिड़काव कर देते हैं। फिर **''पाटा (कोपर)''** द्वारा जमीन को समतल कर दिया जाता है। यह फसल अक्टूबर–नवम्बर में तैयार हो जाता है। इस समुदाय में मुंगफली का उपयोग तेल के रूप में अथवा खाने के उपयोग में लाया जाता है।

सर्वेक्षित परिवारों में से 25.83 प्रतिशत परिवार मुंगफली की फसल लेते पाये गये।

V. तिलहन (सरसों, तिल, अलसी)

सर्वेक्षित कुछ क्षेत्रों में कोंध जनजाति के परिवारों द्वारा तिलहन (सरसों, तिल, अलसी) की फसल ली जाती है। सरसों की फसल प्रायः बाड़ी में आश्विन–कार्तिक माह में बोई जाती है जबकि तिल एवं असली की फसल खेतों के मेढ़ आदि में धान बोनी के पूर्व लगाया जाता है। सरसों की फसल मांग–पुस (जनवरी–फरवरी) में तथा तिल एवं अलसी की फसल नवम्बर–दिसम्बर में तैयार हो जाती है। सरसों तिल एवं अलसी का उपयोग कुछ मात्रा में उपयोग तथा विक्रय हेतु करते हैं।

सर्वेक्षित 10.83 प्रतिशत परिवारों द्वारा सरसों, तिल, अलसी की फसल लेते पाये गये।

VI. दलहन (अरहर, मूंग, उड़द)

अरहर, मूंग, उड़द आदि दलहन फसलों के लिए भर्री भूमि या टिकरा भूमि को उपयुक्त माना जाता है।

जून–जुलाई माह में अरहर, उड़द, मूंग के बीज बोये जाते हैं तथा गोबर खाद का छिड़काव किया जाता है। अरहर की फसल जनवरी–फरवरी में एवं उड़द–मूंग की फसल सितम्बर–अक्टूबर में हो जाता है। फसल पकने पर अरहर, उड़द–मूंग को उखाड़कर सुखा दिया जाता है तथा बाद में लकड़ी आदि से पीठकर मिंजाई कर लिया जाता है। सर्वेक्षित परिवारों द्वारा इन फसलों का उत्पान स्वयं के उपभोग के लिये किया जाता है।

सर्वेक्षित 22.50 प्रतिशत परिवारों द्वारा उपरोक्त दलहन का फसल लेते पाये गये।

VI. कुल्थी

सर्वेक्षित कुछ परिवारों द्वारा **''हिरवा (कुल्थी)''** की खेती की जाती है। प्रायः भादो माह के अंतिम सप्ताह में कुल्थी की बुआई की जाती है। वर्षा के 1–2 बार के पानी पड़ने पर बीज अंकुरित हो जाते हैं तथा कार्तिक अगहन माह में फसल पक कर तैयार हो जाता है, जिसे काटकर आंगन में सुखा दिया जाता है, जिसे लकड़ी से पीठ–पीठ कर मिंजाई की जाती है।

सर्वेक्षित 30 प्रतिशत परिवारों द्वारा विगत् वर्ष में **''हिरवा (कुल्थी)''** की फसल लेते पाये।

तालिका क्रमांक–08

सर्वेक्षित परिवारों में कृषि उपज में संलग्नता

क्र.	फसल	संलग्न परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1.	धान	93	77.50
2.	गेहूं	23	19.17
3.	कोदो–कुटकी	65	54.17
4.	मुंगफली	31	25.83
5.	तिलहन (सरसों, तिल, अलसी)	13	10.83
6.	दलहन (अरहर, मूंग, उड़द)	27	22.50
7.	कुल्थी	36	30
कुल सर्वेक्षित परिवार– 120			

(ब) वनोपजः–

कोंध जनजाति के आर्थिक जीवन में वन एवं वनोत्पाद का विशेष महत्व होता है। यह समुदाय वनोत्पादों के संकलन, उपभोग एवं विपरण से अपना जीवकोपार्जन करते हैं। वनों से लकड़ी, पशुओं के लिए चारा, चार–चिरौंजी, तेन्दूपत्ता, साल–बीज, हर्रा–बहेड़ा, कंदमूल जैसे गांठ कांदा, पीठा कांदा, झाड़ू की सींक, बांस, बबुल बीज एवं अन्य विभिन्न प्रकार की जड़ी बुटी आदि का संग्रह किया जाता है।

तालिका क्रमांक–09

सर्वेक्षित परिवारों में वनोपज में संलग्नता

क्र.	वनोपज	संलग्न परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1.	महुआ	97	80.83
2.	तेन्दूपत्ता	104	86.67
3.	सालबीज	45	37.50
4.	चिरौंजी	37	30.83
5.	सालपत्ता	24	20.00
6.	झाड़ू (बहरी)	36	30.00
7.	अन्य	12	10.00
कुल सर्वेक्षित परिवार– 120			

1. महुआ

कोंध जनजाति में महुआ वृक्षों का धार्मिक एवं आर्थिक रूप से विशिष्ट महत्व है। इसकी टहनियों एवं पत्तों को विवाह आदि अवसरों में पवित्रता की भावना से विवाह मंडप में लगाया जाता है। वहीं इसके फल–फूल, बीज आदि से आर्थिक जीवकोपार्जन किया जाता है।

महुआ के फूल का संग्रहण का उद्देश्य शराब बनाने एवं बेचकर आर्थिक लाभ हेतु किया जाता है। बीज से तेल निकालकर उपभोग किया जाता है। फल को सब्जी के रूप में भी खाया जाता है। इसका संकलन विशेषकर महिलाएं एवं बच्चों द्वारा सुबह 4–5 बजे से शुरू कर दिया जाता है।

तालिका क्रमांक 09 से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित कोंध परिवारों में से 80.83 प्रतिशत परिवारों द्वारा महुआ का संग्रहण किया जाता है। महुआ फूल को सुखाकर स्थानीय हाट–बाजार में 25–30 रू./– किलों की दर से विक्रय भी किया जाता है।

2. तेन्दूपत्ता

कोंध जनजाति के सदस्यों द्वारा तेन्दूपत्ता का संग्रहण नगद राशि हेतु मार्च से मई तक किया जाता है। इस कार्य में विशेषकर महिलायें एवं बच्चों की सहभागिता दिखाई देती है। तेन्दुपत्ता का संकलन प्रातः 05–06 बजे से शुरूकर 10–11 बजे तक किया जाता है। दोपहर में पत्तों को गिनकर बंडल बांधते हैं तथा सुखने के पश्चात् ग्राम वन समिति या ठेकेदार को विक्रय कर दिया जाता है।

सर्वेक्षित परिवारों में से 86.67 प्रतिशत परिवारों द्वारा तेन्दुपत्ता का संग्रहण करते पाये गये। शासकीय दर 4000 रू प्रति मानक बोरा निर्धारित है। कुछ परिवारों में वृद्ध पुरूष तेन्दुपत्ता में तम्बाकू को लपेटकर बीड़ी बनाकर पीने में किया जाता है।

3. साल–बीज

साल–बीज का संग्रहण कुछ परिवारों द्वारा उपलब्धतानुसार किया जाता है। सर्वेक्षित 37.50 प्रतिशत परिवारों द्वारा साल बीज का संग्रहरण करते पाया गया।

साल–बीज का विक्रय स्थानीय हाट बाजार में वस्तु विनियम द्वारा या आर्थिक लाभ हेतु वनोपज संग्रहरण केन्द्र में विक्रय किया जाता है। शासकीय दर पर साल बीज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 20 रू प्रति किग्रा पर विक्रय किया जाता है।

4. चिरौंजी

सर्वेक्षित कुछ ग्रामों के जंगलों में चार के पौधे पाये जाते हैं। चार पेड़ के फलों को तोड़कर आंगन में सुखा दिया जाता है। सुखने के पश्चात् ''जाता'' में दलकर चिरौंजी प्राप्त कर ली जाती है। शासन द्वारा 109 रू प्रति कि. ग्रा. के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चिरौंजी गुठली का क्रय किया जाता है। कुछ परिवारों द्वारा साप्ताहिक हाट बाजार या स्थानीय दुकानों में नगद विक्रय या वस्तु विनिमय किया जाता है।

सर्वेक्षित परिवारों में से 30.83 प्रतिशत परिवारों द्वारा चिरौंजी का संकलन करते पाया गया।

5. साल पत्ता

कुछ क्षेत्र के सर्वेक्षित परिवार साल पत्ता का संग्रहण करते पाये गये। साल पत्ता का उपयोग दोना–पत्तल बनाने में किया जाता है। इस क्षेत्र में सामाजिक संस्कारों के भोज में स्थानीय हाथ से गुथे दोना–पत्तल का उपयोग किया जाता है। अंगाकर रोटी के ऊपर भी साल पत्ता लगाकर उपयोग किया जाता है।

तालिका क्रमांक 09 से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित 20 प्रतिशत परिवारों द्वारा साल पत्ता का संग्रहण करते पाये गये।

6. झाड़ू की सींक

सर्वेक्षित ग्रामों के कुछ जंगलों में स्थानीय झाड़ू के छोटे–छोटे पौधे पाये जाते हैं जिसे स्थानीय बोली में ''बहरी'' घास के नाम से जाना जाता है जिसे तोड़कर, सुखाकर, कलात्मक मुठवाले झाड़ू तैयार किये जाते हैं जिसे बिचौलिये/स्थानीय बाजार में बेचकर आर्थिक लाभ भी लिया जाता है अथवा झाड़ू सीक को शासकीय दर पर 2300 रू प्रति क्विन्टल की दर से विक्रय भी किया जाता है।

सर्वेक्षित 30 प्रतिशत परिवारों द्वारा झाड़ू बनाने की सींक का संग्रहण करते पाया गया।

7. अन्य वनोपज

कोंध जनजाति द्वारा अन्य वनोपजों जैसे–कंदमूल, तेन्दू, बेर, आम, शहद, आंवला, बबूल बीज, दतौन, हर्रा–बेहड़ा आदि का संग्रहण उपलब्धतानुसार किया जाता है जिसमें से कुछ का वस्तु विनिमय, नगद अर्थोपार्जन एवं कुछ स्वयं उपभोग हेतु किया जाता है।

सर्वेक्षित परिवारों में 10 प्रतिशत परिवारों द्वारा उपरोक्त वनोपज का संग्रहण किया जाना पाया गया।

(स) मजदूरी

कोंध जनजाति में कृषि भूमि की धारिता कम होने के कारण अन्य कृषकों के खेतों में मजदूरी कार्य कर अपनी जीविका चलाते हैं। कृषि भूमि असिंचित होने के कारण वर्षाकाल में ही अपने खेतों में कार्य के साथ–साथ अन्य लोगों के खेतों में मजदूरी भी करते हैं। पूर्व में मजदूरी के रूप में इतने मूल्य के धान (अनाज) दिया जाता था। वर्तमान में अनाज के रूप में मजदूरी देने का प्रचलन बंद हो गया है।

कोंध जनजाति निवासित क्षेत्रों के स्थानीय पंचायतों द्वारा मनरेगा एवं अन्य शासकीय मजदूरी कार्य भी समय–समय पर संचालित किया जाता है। जिससे इन्हें शासकीय दर से मजदूरी मिलती है।

सर्वेक्षित परिवारों में 78.33 प्रतिशत परिवार मजदूरी कार्यों में संलग्न पाये गये जिसमें 16.13 प्रतिशत व्यक्तियों का प्राथमिक व्यवसाय मजदूरी करना पाया गया। जबकि 35.48 प्रतिशत व्यक्तियों का द्वितीयक व्यवसाय मजदूरी होना पाया गया। वर्तमान में 150–200 रू प्रतिदिन की दर से मजदूरी प्राप्त होती है।

(द) पशुपालन

कोंध जनजाति वर्तमान में कृषि, कृषि–मजदूरी, वनोपज आदि के साथ–साथ आवश्यकतानुसार पशुपालन में भी संलग्न पाये गये। सर्वेक्षित परिवारों में पाले जाने वाले जानवरों का विवरण निम्नलिखित तालिका अनुसार है:–

तालिका क्रमांक–10

सर्वेक्षित परिवारों में पशुपालन में सलग्नता का विवरण

क्र.	पशु	पशु संख्या	संलग्न परिवार		प्रतिपरिवार औसत पशु संख्या	कुल पशुधन संपत्ति (रू. में)	प्रति परिवार औसत पशुधन संपत्ति (रू. में)
			संख्या	प्रतिशत			
1.	गाय	157	78	65.00	02.01	871350	11171.15
2.	बैल	76	38	31.67	02.00	495000	13026.32
3.	भैंस/भैंसा	09	04	03.33	02.25	85500	21375.00
4.	बकरा/बकरी	328	88	73.33	03.73	574000	6522.73
5.	मुर्गा/मुर्गी	448	96	80.00	04.67	56000	583.33
6.	सुअर	13	03	02.50	04.33	84500	28166.67
7.	अन्य	03	02	01.67	01.50	–	–
कुल सर्वेक्षित परिवार– 120							

1. गाय

कोंध जनजाति में गाय पालने का उद्देश्य कृषि कार्य हेतु बछड़े पैदा करने एवं दूध के लिए किया जाता है। सर्वेक्षित परिवारों में से 65 प्रतिशत परिवारों द्वारा गाय पालते पाया गया। इन परिवारों के पास औसतन **11171.15 रू.** प्रति परिवार गाय पशुधन की सम्पत्ति पायी गई। छ.ग. शासन द्वारा गोबर को 2 रू प्रतिकिलो के दर से क्रय किया जाता है।

2. बैल

बैलों का पालन मुख्यतः कृशि कार्य के उद्देश्य से किया जाता है। सर्वेक्षित 31.67 प्रतिशत परिवारों के पास बैल उपलब्ध है। पशु–बाजार मूल्य के आधार पर इन परिवारों के पास औसतन **13026.32** रू. की बैल पशुधन पाया गया।

3. भैंस/भैंसा

कृषि कार्य हेतु बैलों की तुलना में भैंसा ज्यादा बलिष्ट होता है। कृषि कार्यों जैसेः– पाटा (कोपर) एवं धान ढोने हेतु भैंसा ज्यादा उपयुक्त होता है। सर्वेक्षित परिवारों में 03.33 प्रतिशत परिवारों के पास भैंसा पाया गया। इन परिवारों में औसतन **21375.00** रू. भैंसा पशुधन पाया गया।

4. बकरा/बकरी

इस जनजाति में बकरा/बकरी पालन का उद्देश्य सामाजिक–सांस्कृतिक उत्सवों में देवी/देवताओं की पूजा में बली देना, सामूहिक भोज देना तथा आर्थिक लाभ लेना है।

तालिका क्रमांक 10 से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित 73.33 प्रतिशत परिवारों द्वारा बकरा/बकरी का पालन करते पाया गया। इन परिवारों के पास औसतन 3 से 4 बकरियां पाई जाती हैं। प्रति परिवार **6522.73** रू. की औसत बकरा/बकरी पशुधन सम्पत्ति पायी गयी।

5. मुर्गा / मुर्गी

इस समुदाय में मुर्गीपालन का उद्देश्य कुल देवी / देवताओं, धार्मिक कर्मकाण्डों, जन्म विवाह आदि विशेष अवसरों पर बलि (पुजाई) देने एवं अतिथि सत्कार हेतु किया जाता है।

सर्वेक्षित कोंध जनजाति परिवारों में 80 प्रतिशत परिवारों द्वारा मुर्गीपालन करते पाये गये। प्रति परिवार 4–5 मुर्गीयाँ औसतन पाया गया। बाजार–मूल्य के आधार पर प्रति परिवार **583.33** रू. की मुर्गा / मुर्गी सम्पत्ति पायी गई।

6. सुअर

सर्वेक्षित कुछ परिवारों में सुअर पालते पाया गया जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक लाभ लेना था। सर्वेक्षित 02.50 प्रतिशत परिवारों के पास औसतन 4–5 सुअर पाया गया। बाजार–मूल्य के आधार पर इन परिवारों के पास औसतन **28166.67** रू. की सुअर पशुधन सम्पत्ति पायी गई।

(इ) शासकीय / अर्द्धशासकीय नौकरी

कोंध जनजाति में कम पढ़े–लिखे होने के कारण कुछ लोग ही शासकीय / अर्द्धशासकीय पदों में है। सर्वेक्षित परिवारों के केवल 01.67 प्रतिशत परिवारों में ही शासकीय / अर्द्धशासकीय सेवा करने वाले सदस्य पाये गये है।

(ई) अन्य

कोंध जनजाति में कुछ सदस्य अन्य आर्थिक स्रोत के रूप में आसपास के निजी फैक्ट्री, कारखाना आदि में मजदूरी का कार्य करते हैं जिससे इनको कुछ आर्थिक सहायता मिल जाता है।

सर्वेक्षित 02.50 प्रतिशत परिवारों के सदस्य अन्य स्त्रोत से आर्थिक लाभ लेते पाये गये।

3.5 समस्त स्रोतों से वार्षिक आय

कोंध जनजाति के लोग सीमित साधनों से अपनी आजीविका चलाते हैं। यह समुदाय अपने दिनचर्या का अधिकांश समय वनों में व्यतीत करता है तथा उसके आर्थिक जीवन में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः इनके वार्षिक आय में वनोपज का भी योगदान होता है। इस समुदाय में कृषि, वनोपज, मजदूरी, पशुपालन आदि से उनके वार्षिक आय की निर्भरता होती है। सर्वेक्षित परिवारों में समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय का विवरण निम्नानुसार तालिका में प्रदर्शित हैः–

तालिका क्रमांक–11

सर्वेक्षित परिवारों में समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय

क्र.	आय के स्रोत	आय प्राप्त करने वाले परिवार		कुल आय (रूपये में)	प्रति परिवार औसत आय (रूपये में)
		संख्या	प्रतिशत		
1.	**कृषि**	83	69.17	1780500	21451.80
2.	**वनोपज**	118	98.33	810400	6867.80
3.	**मजदूरी**	94	78.33	510200	5427.66
4.	**पशुपालन**	57	47.50	103600	1817.54
5.	**नौकरी**	02	01.67	881000	440500.00
6.	**अन्य**	03	02.50	420800	140266.67
कुल सर्वेक्षित परिवार–120				**4506500**	**37554.17**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, सर्वेक्षित कोंध जनजाति परिवारों के समस्त स्रोतों से प्रति परिवार औसत वार्षिक आय **37554.17** रू. प्राप्त हुई, जिसमें शासकीय सेवा में कार्यरत व्यक्तियों की औसत वार्षिक आय 440500 रू. को छोड़कर सर्वाधिक 98.33 प्रतिशत परिवारों को वनोपज विक्रय से 6867.80 रू. की औसत वार्षिक आय प्राप्त हुई, सर्वेक्षित 69.17 प्रतिशत परिवारों द्वारा कृषि उपज से औसत प्रति परिवार 21451.80 रू. की वार्षिक आय,

78.33 प्रतिशत परिवारों को मजदूरी से औसत प्रति परिवार 5427.66 रू. की वार्षिक आय, 47.50 प्रतिशत परिवारों को पशुपालन से प्रति परिवार औसतन 1817.54 रू. की वार्षिक आय एवं अन्य स्रोतों से 02.50 प्रतिशत परिवारों को औसतन प्रति परिवार 140266.67 रू. की वार्षिक आय प्राप्त हुई।

सर्वेक्षित परिवारों में शासकीय तथा अर्द्धशासकीय सेवा में संलग्न मात्र 01.67 प्रतिशत परिवारों की औसत वार्षिक आय 440500.00 रू. पायी गई।

3.6 कुल वार्षिक आय में समस्त मदों की सहभागिता

सर्वेक्षित कोंध जनजाति परिवारों के कुल वार्षिक आय में समस्त मदों की सहभागिता निम्नलिखित तालिका में दर्शित हैः–

तालिका क्रमांक–12

सर्वेक्षित परिवारों के कुल वार्षिक आय में विभिन्न मदों की सहभागिता

क्र.	आय के स्त्रोत	कुल आय (रूपये में)	कुल आय में सहभागिता का प्रतिशत
1.	**कृषि**	1780500	39.51
2.	**वनोपज**	810400	17.98
3.	**मजदूरी**	510200	11.32
4.	**पशुधन**	103600	02.30
5.	**नौकरी**	881000	19.55
6.	**अन्य**	420800	09.34
योग		**4506500.00**	**100.00**

तालिका क्रमांक 12 से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित कोंध जनजाति के परिवारों की कुल वार्षिक आय में सर्वाधिक सहभागिता 39.51 प्रतिशत कृषि उपज से होती है। तत्पश्चात् 17.98 प्रतिशत सहभागिता वनोपज से,

11.32 प्रतिशत सहभागिता मजदूरी से, 02.30 प्रतिशत सहभागिता पशुधन से, 19.55 प्रतिशत सहभागिता नौकरी से तथा 09.34 प्रतिशत सहभागिता अन्य स्त्रोतों से होना पाया गया।

3.7 कुल वार्षिक आय का वितरण

सर्वेक्षित कोंध जनजाति परिवारों के वार्षिक आय का वितरण निम्नानुसार पाया गयाः–

तालिका क्रमांक–13

सर्वेक्षित परिवारों में वार्षिक आय का वितरण

क्र.	वार्षिक आय श्रेणी	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1.	10000 रू. से कम	02	01.67
2.	10001–20000 रू. तक	13	10.83
3.	20001–30000 रू. तक	19	15.83
4.	30001–40000 रू. तक	54	45.00
5.	40001–50000 रू. तक	20	16.67
6.	50000 रू. से अधिक	14	10.00
योग		**120**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित कोंध जनजाति परिवारों में से सर्वाधिक 45.00 प्रतिशत परिवारों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 30001 से 40000 रू. के मध्य पाया गया। तत्पश्चात् 16.67 प्रतिशत परिवारों की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 40001 से 50000 रू. के बीच, 15.83 प्रतिशत परिवारों की वार्षिक आय 20001 से 30000 रू. के बीच, 10.83 प्रतिशत परिवारों की वार्षिक आय 10001–20000 रू. के बीच पायी गई।

01.67 प्रतिशत परिवार ऐसे भी हैं जिनकी वार्षिक आय 10000 रू. से भी कम है। जबकि 10 प्रतिशत परिवारों की सकल स्त्रोतों से वार्षिक आय 50000 रू. से अधिक है।

सर्वेक्षित परिवारों की समस्त स्रोतों से औसत वार्षिक आय **37554.17** रू. पायी गई तथा सर्वेक्षित परिवारों में 19.33 प्रतिशत परिवारों की वार्षिक आय 30000 रू. से नीचे पाये गये।

सर्वेक्षित परिवारों में किसी परिवार की न्यूनतम वार्षिक आय 7350 रू. व अधिकतम 440500.00 रू. वार्षिक पायी गई।

3.8 व्यय

कोंध जनजाति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न मदों में व्यय भी करता है, जिसमें मुख्य रूप से भोजन, सामाजिक कार्यों जैसे :– जन्म, मृत्यु, आवास, कपड़े, शिक्षा, धार्मिक कर्मकाण्डों तथा अन्य व्यय जैसेः– स्वास्थ्य, साप्ताहिक हाट–बाजार में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, मादक पेय पदार्थ, तम्बाकू, गुड़ाखू आदि व्यय में किया जाता है। सर्वेक्षित परिवारों में व्यय मदों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार पाया गया :–

तालिका क्रमांक–14

सर्वेक्षित परिवारों में वार्षिक व्यय वितरण

क्र.	व्यय मद	परिवार		वार्षिक कुल व्यय (रूपये में)	प्रति परिवार वार्षिक औसत व्यय (रूपये में)
		संख्या	प्रतिशत		
1.	**भोजन**	120	100.00	1996200.00	16635.00
2.	**सामाजिक कार्य**	43	35.83	610650.00	14201.16
3.	**धार्मिक कार्य**	120	100.00	257010.00	2141.75
4.	**आवास**	97	80.83	209550.00	2160.30
5.	**कपड़ा**	118	98.33	213900.00	1812.71
6.	**शिक्षा**	87	72.50	286830.00	3296.90
7.	**अन्य**	120	100.00	317010.00	2641.75
कुल सर्वेक्षित परिवार–120				**3891150.00**	**32426.25**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित कोंध जनजाति परिवारों का समस्त मदों में प्रति परिवार औसत वार्षिक व्यय 32426.25 रू. पाया गया, जिसमें प्रति परिवार औसत रूप से भोजन पर 16635.00 रू. वार्षिक व्यय करते पाये गये। इसी प्रकार सामाजिक कार्यों (जन्म, विवाह एवं मृत्यु) में 35.83 प्रतिशत परिवारों द्वारा प्रति परिवार औसत वार्षिक व्यय 14201.16 रू., धार्मिक कार्यों में प्रति परिवार वार्षिक व्यय 2141.75 रू., आवास (निर्माण एवं मरम्मत) पर 80.33 प्रतिशत परिवारों द्वारा औसत प्रति परिवार वार्षिक व्यय 2160.30 रू., कपड़ा पर 98.33 प्रतिशत परिवारों द्वारा प्रति परिवार वार्षिक व्यय 1812.71 रू., शिक्षा पर 72.50 प्रतिशत परिवारों द्वारा प्रति परिवार वार्षिक व्यय 3296.90 रू. एवं अन्य मदों विशेषकर साग भाजी, मादक पेय पदार्थों आदि सामग्रियों पर सर्वेक्षित परिवारों द्वारा प्रति परिवार वार्षिक व्यय 2641.75 रू. व्यय करते पाये गये।

3.9 कुल वार्षिक व्यय में विभिन्न मदों की सहभागिता

कोंध जनजाति के सर्वेक्षित परिवारों के कुल वार्षिक व्यय में विभिन्न व्यय मदों की सहभागिता निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार पाया गयाः–

तालिका क्रमांक–17

सर्वेक्षित परिवारों के वार्षिक व्यय में विभिन्न मदों की सहभागिता

क्र.	व्यय मद	कुल वार्षिक व्यय (रूपये में)	कुल वार्षिक व्यय में सहभागिता का प्रतिशत
1.	भोजन	1996200.00	51.30
2.	सामाजिक कार्य	610650.00	15.69
3.	धार्मिक कार्य	257010.00	06.60
4.	आवास	209550.00	05.39
5.	कपड़ा	213900.00	05.50
6.	शिक्षा	286830.00	07.37
7.	अन्य	317010.00	08.15
योग		**3891150.00**	**100.00**

उपरोक्त तालिकानुसार सर्वेक्षित परिवारों द्वारा समस्त मदों में किये गये कुल वार्षिक व्यय में सर्वाधिक 51.30 प्रतिशत भाग भोज्य पदार्थों पर किया गया। इसी प्रकार सामाजिक कार्य पर 15.69 प्रतिशत की सहभागिता, धार्मिक कर्मकाण्डों पर 06.60 प्रतिशत, आवास पर 05.39 प्रतिशत भाग, कपड़ों पर 05.50 प्रतिशत भाग, शिक्षा पर 07.37 प्रतिशत भाग तथा अन्य व्यय मदों पर 08.15 प्रतिशत की सहभागिता का होना पाया गया।

सर्वेक्षित परिवारों में शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मदों पर कुल वार्षिक व्यय का मात्र 07.37 प्रतिशत औसत वार्षिक व्यय की सहभागिता पाई गई।

3.10 कुल वार्षिक व्यय का वितरण

सर्वेक्षित कोंध जनजाति में कुल वार्षिक व्यय श्रेणी का वितरण निम्न तालिका अनुसार पाया गया:–

तालिका क्रमांक–16

सर्वेक्षित परिवारों में वार्षिक व्यय का वितरण

क्र.	वार्षिक व्यय श्रेणी (रूपये में)	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1.	10000 रू. से कम	03	02.50
2.	10001–20000 रू. तक	16	13.33
3.	20001–30000 रू. तक	23	19.17
4.	30001–40000 रू. तक	55	45.83
5.	40001–50000 रू. तक	14	11.67
6.	50000 रू. से अधिक	09	07.50
योग		**120**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों में सर्वाधिक 45.83 प्रतिशत परिवारों का समस्त मदों से वार्षिक व्यय रू. 30001–40000 रू. के बीच पायी गई, वही 19.17 प्रतिशत परिवारों का 20001 रू. से 30000 रू.

तक, 13.33 प्रतिशत परिवारों का 10001 रू. से 20000 रू. तक, 11.67 प्रतिशत परिवारों का 40001 रू. से 50000 रू. तक वार्षिक व्यय पाया गया।

सर्वेक्षित परिवारों में 02.50 प्रतिशत परिवार ऐसे भी हैं जिनकी वार्षिक व्यय 10000 रू से भी कम है जबकि 7.50 प्रतिशत परिवारों का समस्त मदों से वार्षिक व्यय 50000 रू. से अधिक है।

कुल सर्वेक्षित परिवारों का समस्त मदों में औसत वार्षिक व्यय **10808.75** रू. पाया गया।

3.11 ऋण की स्थिति

सर्वेक्षित कोंध जनजाति में ऋण ग्रस्तता व्याप्त पायी गई। इन परिवारों की समस्त स्रोतों से इतनी आय प्राप्त नहीं होती है कि वे परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, वहीं दूसरी ओर आकस्मिक परिस्थितियों जैसे – दुर्घटना, बीमारी, अकाल मृत्यु विवाह, आदि में ऋण लेना पड़ता है। सर्वेक्षित परिवारों में ऋण की स्थिति निम्नानुसार पायी गई:–

तालिका क्रमांक–17

सर्वेक्षित परिवारों में ऋण की स्थिति का वितरण

क्र.	ऋण की स्थिति	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1.	ऋण ग्रस्त परिवार	27	22.50
2.	ऋण विहिन परिवार	93	77.50
योग		**120**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों में 22.50 प्रतिशत परिवार किसी न किसी रूप में ऋणग्रस्त पाये गये।

3.12 ऋण का उद्देश्य एवं स्रोत

सर्वेक्षित कोंध जनजाति में 22.50 प्रतिशत परिवार ऋण ग्रस्त पाये गये जिनका ऋण का उद्देश्य एवं स्रोत्र निम्नलिखित तालिका में दर्शित है :–

तालिका क्रमांक–18

सर्वेक्षित ऋण ग्रस्त परिवारों का ऋण का उद्देश्य एवं स्रोत

क्र	श्रेणी	ऋण का उद्देश्य					ऋण का स्रोत				
		कृषि कार्य	स्वास्थ्य	उदरपूर्ति	अन्य	योग	भाास.बैंक	साहूकार	रिस्तेदार	अन्य	योग
1.	संख्या	22	03	–	02	27	21	02	03	01	27
2.	प्रतिशत	81.48	11.11	00.00	07.41	100.00	77.78	07.41	11.11	03.70	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि ऋणग्रस्त परिवारों में से 81.48 प्रतिशत परिवारों द्वारा कृषि कार्यों जैसेः– खाद, बीज, बैल आदि हेतु ऋण लेना पाया गया। 11.11 प्रतिशत परिवारों ने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं हेतु एवं 07.41 प्रतिशत परिवार अन्य आवश्यक कार्यों जैसेः– विवाह, दुर्घटना गृह निर्माण आदि हेतु ऋण लेना पाया गया।

कोंध जनजाति के ऋण ग्रस्त परिवारों में से 77.78 प्रतिशत परिवारों ने शासकीय संस्थाओं जैसे ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक आदि से ऋण लेना पाया है जबकि 07.41 प्रतिशत परिवारों ने स्थानीय साहूकारों से, 11.11 प्रतिशत परिवारों ने अपने घनिष्ट रिस्तेदारों से एवं 03.70 प्रतिशत परिवारों ने अन्य माध्यम से ऋण लिया हुआ है।

3.13 श्रम विभाजन

कोंध जनजाति में आयु एवं लिंग के आधार पर परिवार के सभी सदस्यों की दैनिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक कार्यों में भूमिकायें निर्धारित होती हैं। इस कोंध समुदाय में परिवार के सदस्यों में निम्नानुसार श्रम विभाजन पाया जाता हैः–

1. पुरूष वर्ग में श्रम विभाजन

इस जनजाति में बच्चे प्रायः वनोपज संकलन, पशु चराने एवं घर के अपने छोटे भाई–बहनों की देखभाल आदि करते हैं। वही युवा वर्ग घर की आर्थिक गतिविधियों एवं प्रमुख कार्यों जैसे घर निर्माण, छत छाना, हल चलाना, पशुओं की देखभाल, मजदूरी, मिंजाई, भण्डारण, शिकार आदि कार्यों में संलग्न रहते हैं। साथ ही साथ

धार्मिक कार्यों का सम्पादन भी करते हैं, जबकि वृद्ध पुरूष घर में बच्चों की देखभाल, रस्सी बनाने, मिंजाई एवं भण्डारण में सहायता करना, धार्मिक कार्यों में पूजापाठ, बलि देना एवं राजनैतिक कार्यों में संलग्न रहते हैं।

2. महिला वर्ग में श्रम विभाजन

इस जनजाति में लड़कियां घरेलू दैनिक कार्यों जैसे–झाड़ू लगाना, पानी भरना, कपड़े धोना, पशु चराना, वनोपज संकलन में हाथ बंटाना एवं घर में छोटे भाई–बहनों के देखरेख करने में अपना योगदान देती है। वही महिलायें सभी दैनिक घरेलू कार्यों एवं गतिविधियों में सहयोग देती है। इस समाज में महिलाओं को हल चलाने, छत छाने, शिकार करने बलि देने, कर्मकाण्ड करने एवं राजनैतिक कार्यों में हिस्सा लेने में मनाही है। वही वृद्ध महिलायें प्रायः झाड़ू लगाना, लिपाई–पुताई, पशुओं के कोठा की साफ–सफाई, धान कुटाई, खेतों में निंदाई, आदि घरेलू कार्यों में अपना योगदान देती है।

3.14 बाजार व्यवस्था

कोंध जनजाति में साप्ताहिक हाट–बाजार का विशेष महत्व होता है। पूर्व में हाट–बाजार संदेश एवं निमंत्रण देने का एक प्रमुख माध्यम भी होता था। जहां आसपास गांव के सगे संबंधियों का परस्पर मेल–जोल एवं सुख–दुःख का आदान–प्रदान किया जाता है।

स्थानीय कोंध जनजाति परिवार के लोगों द्वारा अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का क्रय या विक्रय नगद अथवा वस्तु विनिमय के माध्यम से किया जाता है। इस समुदाय द्वारा अपने वनोपज, जैसे– महुआ, लाख, चिरौंजी, टोरा, करील, बबूल बीज, साल पत्ता, झाड़ू आदि का वस्तु विनियम द्वारा आवश्यक दैनिक सामग्रीयां, जैसे– तेल, हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक, लहसून, धनिया, प्याज, गुड़, चाय, शक्कर आदि विनिमय में किया जाता रहा है, जबकि नगद में टमाटर, आलू, बैगन, साग–भाजी आदि क्रय किया जाता है।

इस समुदाय में वृद्ध महिला एवं पुरूष घरेलू दैनिक सामग्रियां जैसे– तम्बाकू, बीड़ी, कपड़े, बर्तन साफ करने का सोडा एवं महिलायें सौन्दर्य प्रसाधन आदि खरीदती हैं। साथ ही बाजार से मांस–मछली एवं पेय पदार्थ आदि का क्रय भी किया जाता है।

3.15 स्थानीय नाप–तौल की मानक प्रणाली

कोंध जनजाति के लोग वनोत्पादों, कृषि उपजों, दैनिक उपभोग की वस्तुओं का क्रय या विक्रय स्थानीय नाप–तौल की मानक सामग्री के माध्यम से करते है। कुछ वस्तुओं का विनिमय नगद लेन–देन के माध्यम से करते है तो कुछ सामाग्री का वस्तु विनिमय के माध्यम से लेन–देन किया जाता है। सामान्यतः क्षेत्र में स्थानीय बाजार अथवा फेरे वाले से साग–भाजी, मांस का भाग आदि में स्थानीय नाप –तौल का उपयोग किया जाता है। कोंध निवासित क्षेत्र में उपयोग में आने वाले स्थानीय नाप–तौल की मानक प्रणाली को तालिका में दर्शाने का प्रयास किया गया है जिसका उल्लेख निम्नलिखित हैः–

स्थानीय मानक नाप–तौल प्रणाली	संबंधी / वस्तु	मात्रा
1 हाथ	लम्बाई / दूरी	1 - फीट
6 हाथ	लम्बाई / दूरी	9 फीट
3 मुर्गा उड़ान	लम्बाई / दूरी	एक कोस = 3 कि.मी.
कोस	लम्बाई / दूरी	03 कि.मी.
1 कुरो	अनाज / महुआ / बीज आदि	1 कि.ग्रा.
2 मान	अनाज / महुआ / बीज आदि	1 कुरो
एक तामी	अनाज / महुआ / बीज आदि	4 कुरों
एक खाड़ी	अनाज / महुआ / बीज आदि	20 कुरो
एक बौगा	अनाज / महुआ / बीज आदि	लगभग 40 कि.ग्रा.
एक लोदर	अनाज / महुआ / बीज आदि	20 बौगा
जुड़ी	साग–भाजी, मुनगा,	लगभग 1 पाव या - किलो
शोर	सब्जी फल आदि	3 कि.ग्रा.
कुरो	तेल / द्रव्य आदि	लगभग 1 कि.ग्रा.
परछाई	समय / पहर आदि	समय देखने हेतु
चुण्डी	धान / अनाज / महुआ / अन्य	लगभग 30 कि.ग्रा.
भाग	मछली, साग–सब्जी आदि	मछली 1 पाव, साग–भाजी - कि.ग्रा.

==========00==========

अध्याय –4

सामाजिक संरचना

किसी समाज के अन्तर्गत कार्यरत विभिन्न अमूर्त और मूर्त इकाईयाँ (संस्थात्मक और समूहगत) जब एक दूसरे के साथ क्रमबद्ध रूप से जुड़ दिया जाती है, तो समाज के जिस स्वरूप का बोध होता है उसे सामाजिक संरचना कहते है। समाज की प्रत्येक इकाई की एक निश्चित स्थिति एवं कार्य होता है। अतः समाज में निश्चित कार्य संपादित करने वाली तथा निश्चित भूमिका का निर्वाह करने वाली समस्त इकाईयाँ परस्पर संबंधित होकर समाज को जो आकार प्रदान करती है वहीं सामाजिक संरचना कहलाती है। सामाजिक संरचना समाज के बाहरी ढ़ांचे को दर्शाता है, जो कि अमूर्त होती है, इसके प्रत्येक निर्मायक अंग अपने–अपने निर्धारित प्रकार्यो के आधार पर संबंधित रहते हुए जिस सन्तुलन का निर्माण करते है, उसे सामाजिक व्यवस्था कहा जाता है। सामाजिक संरचना रचनात्मक एवं प्रतीकात्मक पक्ष से संबंधित होने के कारण अपेक्षाकृत एक स्थायी अवधारणा है, जबकि सामाजिक व्यवस्था प्रकार्यात्मक पक्ष से संबंधित होने के कारण एक गतिशील अवधारणा है।

सामाजिक संरचना समाज के विविध इकाईयों को जैसे– परिवार, नातेदारी, गोत्र, सामाजिक प्रतिमान, व्यक्तियों की सामाजिक क्रियायें एवं आदर्शात्मक व्यवस्था, सामाजिक मापदण्ड एवं मूल्य आदि के स्थायी संबंधों के रूप में देखा जाता है। सामाजिक संरचना में एक दूसरे के पारस्परिक संबंधों द्वारा एक निश्चित प्रतिमान या ढांचा का निर्माण होता है, वही सामाजिक संरचना कहलाता है। किसी समुदाय के विश्लेषण में उस समुदाय के सदस्यों की विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियाँ तथा रूचियों के कार्यों को प्रकट करते हैं अथवा जो सामाजिक संबंध बार–बार दोहराये जाते हैं और प्रायः स्थायी प्रकृति के होते हैं। वे समुदाय की संरचना का निर्माण करते हैं, जिसमें जाति, गोत्र, नातेदारी, प्रथायें, राजनैतिक तथा आर्थिक व्यवस्था आदि सम्मिलित होते हैं। सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति का होता है, जिसमें परिवर्तन अत्यन्त धीमी गति से होता है।

4.1 जाति

जातीय संरचना भारतीय समाज का महत्वपूर्ण अंग है। जातीय व्यवस्था प्राचीन काल से ही भारतीय सामाजिक व्यवस्था एवं संगठन की एक प्रमुख विशेषता रही है। ग्रामीण समाज प्रायः अन्ध विश्वासी होते हैं।

इसलिए प्रत्येक नियमों और प्रतिबन्धों को स्वीकार कर लेते हैं। जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है और यह अपने सदस्यों पर विवाह, व्यवसाय, सामाजिक खानपान तथा सामाजिक सहवास आदि पर विशेष प्रतिबंध को लादता है।

कोंध समुदाय अपने आप में एक पृथक जनजातीय समुदाय है जिसकी अपनी अलग जाति व्यवस्था है। कोंध समाज सामाजिक स्तरीकरण में ब्राम्हण क्षत्रीय व वैश्य जातियों को अपनी जाति से उच्च मानती है, किन्तु शुद्र वर्ण की जातियों को अपनी जाति से निम्न मानती थी। वही क्षेत्र के अन्य अनुसूचित जनजातीय समुदायों को समानता की दृष्टि से देखते हैं। यह समाज उच्च जातियों के प्रति आदर भाव रखते हुए अनुसूचित जनजातियों जैसे गोंड, विंझवार, संवरा, कंवर, कलंगा आदि जातियों के प्रति बंधुत्व भाव रखते हैं साथ ही स्वजातीय सदस्यों में एकता, बंधुता, आत्मीयता एवं संगठन की भावना होती है।

4.2 उपजाति

कोंध जनजाति के बुजुर्ग समाज प्रमुखों के अनुसार कोंध समुदाय पूर्व में कई उपजातियों में विभक्त था, जो कि निम्नानुसार हैः—

1. राज कोंध
2. दल कोंध
3. कुटिया कोंध
4. हल्दिया कोंध

1. **राज कोंध** :— कोंध समुदाय में राज कोंध का स्थान सबसे ऊपर है तथा उनको इस समुदाय के लोग आदर एवं सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। समुदाय में इनकी पहचान भूधारी (भूस्वामी) के रूप में जाना जाता है। अर्थात् राज कोंध सदस्यों के पास कृषि योग्य भूमि अवश्य पायी जाती है।

2. **दल कोंधः**— कोंध की इस उपजाति को आदि कोंध के नाम से भी जाना जाता है। इस उपजाति के सदस्य राजा—महाराजाओं के यहां सिपाही (सैनिक) के रूप में काम करते थे।

3. **कुटिया कोंध** :– यह उपजाति पहाड़ी आदिम, आदिवासी कोंध के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनके सदस्य घनघोर जंगलों एवं पहाड़ों में निवास करते थे तथा आदि मानव की तरह जानवरों का शिकार कर जीवकोपार्जन करते थे।

4. **हल्दिया कोंधः**– यह उपजाति अपने समुदाय के सबसे निचले स्तर के थे।

उपरोक्त चारों उपजातियाँ के गोत्र एक समान पाया जाता है तथा इन उपजातियों में परस्पर खान–पान एवं वैवाहिक संबंध पाया जाता है।

4.3 वंश समूह

कोंध जनजाति पितृवंशीय सामाजिक व्यवस्था वाला समुदाय है। पितृवंशीय सामाजिक व्यवस्था होने के कारण वंश का निर्धारण पिता पक्ष से होता है। जिसके फलस्वरूप इस समुदाय में सत्ता एवं सम्पत्ति का हस्तांतरण पिता से पुत्रों को प्राप्त होता है। पितृवंशीय व्यवस्था होने के कारण रक्त संबंधी पुरूष सदस्य और उनकी संताने ही आती है जबकि महिलायें विवाह पश्चात् उस वंश से बाहर हो जाती है।

4.4 गोत्र एवं गोत्र चिन्ह

गोत्र एकाधिक वंशों का समूह होता है। कोंध जनजाति बहुत से गोत्रों में विभक्त है। प्रत्येक गोत्र एकाधिक वंश का समूह होता है, जो पितर पक्ष के समस्त रक्त संबंधियों से मिलकर बनता है। इस समुदाय के गोत्र पेड़–पौधे, पशु–पक्षी एवं प्राकृतिक वस्तुओं पर आधारित होता है। जो सदस्य जिस गोत्र का होता है। वह उसको सम्मान की दृष्टि से देखता है। वह न तो जीव को मारता है और न ही उसको मिटाने की कोशिश करता है बल्कि उसकी रक्षा करता है। प्रत्येक गोत्र के सदस्य अपनी उत्पत्ति एक कल्पित पूर्वज से मानते हैं जिसे **टोटम या ''गोत्र चिन्ह''** कहा जाता है। कोंध जनजाति में प्रमुख गोत्र तथा उस गोत्र का **टोटम (गोत्र चिन्ह)** निम्नलिखित हैः–

क्रं.	गोत्र	गोत्रचिन्ह
1.	बछास	बछड़ा
2.	बाघ	शेर
3.	मुटकिया	मटका
4.	चेरकिया	चरीहा (बांस की बनी टोकरी)
5.	तिलकिया	तिल का पौधा
6.	कलारंगिया	पक्षी
7.	हिकोका	घोड़ा
8.	घीबेलिया	घास
9.	केलका	किलकिला
10.	सड़मढ़िया	सांड

उपरोक्त के अलावा इस समुदाय में गहिर, कर्री, निबरगिया, मांझी, मलिक, नायक, कुंवर, पोरकिया, सुसकिया, दुतकिया, दुधिया, खेमाबिरिया, बुढ़किया, सिकियागहिर आदि गोत्र भी पाये जाते हैं जिनके टोटम पाये जाते हैं। यह समुदाय गोत्र बहिर्विवाह वाला समूह है। अर्थात् एक ही गोत्र के लोग आपस में विवाह नहीं करते। एक गोत्र के सभी सदस्य आपस में बंधुत्व का भाव रखते हैं।

4.4 नातेदारी

किसी समाज में प्रस्थिति एवं भूमिकाओं की वह प्रथागत व्यवस्था जो निकटस्थ स्वजनों के व्यवहार को संचालित एवं नियन्त्रित करती है, नातेदारी व्यवस्था कहलाती है। इस व्यवस्था में व्यक्ति एक दूसरे से विवाह अथवा एक सामान्य पूर्वज की संतान होने के नाते समरक्त आधार पर संबंद्ध होते है। यह व्यवस्था संबंध व्यक्तियों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को निर्धारित करता है।

कोंध जनजाति में नातेदारी सामाजिक जीवन का आधारभूत तत्व है। इनमें नातेदारी संबंध व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक बनने वाला संबंध है जो मनुष्य के लालन–पालन से लेकर व्यक्तित्व निर्माण, युवावस्था, वैवाहिक जीवन व प्रौढ़ावस्था तक अनेक नातेदारों से अंतः संबंधित रहता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण संबंध समाज के उन सदस्यों से होता है, जो रक्त संबंध या विवाह संबंध के आधार पर संबंधित होते हैं।

1. नातेदारी के प्रकार

कोंध समाज में नातेदारी दो प्रकार के पाये जाते हैं।

(अ) रक्त संबंधी नातेदारी

इस प्रकार के नातेदारी के अन्तर्गत ऐसे संबंधी जो समान रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे माता–पिता एवं उनकी संतान या दो भाईयों या दो भाई–बहन के बीच का संबंध रक्त संबंधों पर आधारित होता है।

(ब) विवाह संबंधी नातेदारी

इस प्रकार के नातेदारी के अन्तर्गत न केवल विवाह संबंध द्वारा आबद्ध पति–पत्नी आते हैं, बल्कि इन दोनों परिवारों के अन्य संबंधी भी आ जाते हैं। जैसे पति–पत्नी, पति या पत्नी के माता–पिता, भाई–बहन आदि जो विवाह संबंधों के दोनों पक्षों पर आधारित है।

कोंध जनजाति में प्रचलित नातेदारी को वंशावली के रूप में निम्नलिखित रूप से दर्शाया जा सकता हैः–

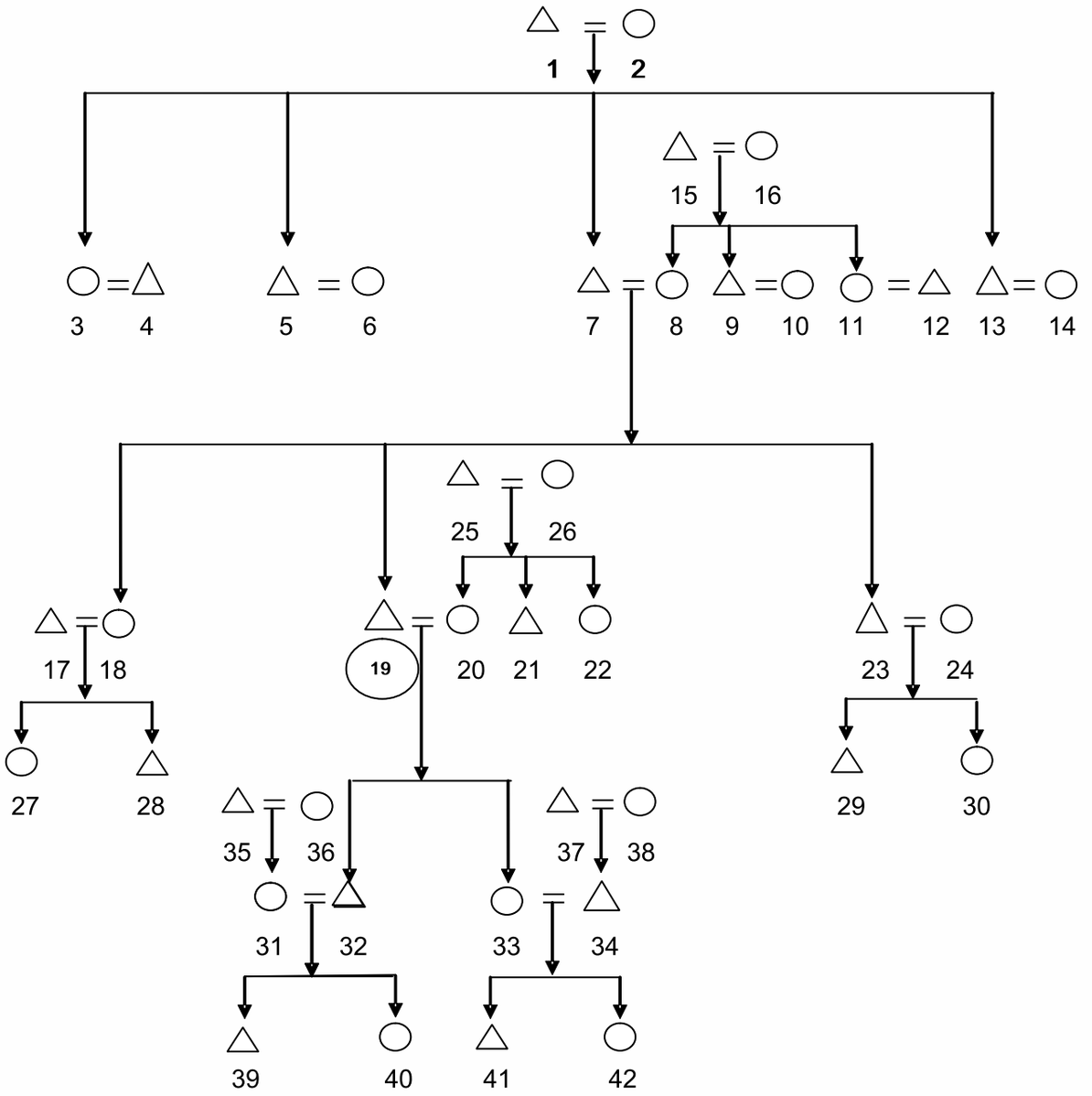
1
2
15
16
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
25
26
17
18
19
20
21
22
23
24
27
28
29
30
35
36
37
38
31
32
33
34
39
40
41
42

टीपः— ईगो = (19)

रक्त एवं विवाह नातेदारी वंशावली

उपरोक्त रक्त एवं विवाह संबंधी वंशावली का विस्तृत नातेदारी सम्बोधन

क्र.	संबंध	वंशावली में उल्लेख	नातेदारी शब्द	संबोधन
1	पिता	19–7	बाप	ददा
2	माता	19–8	मां	दई
3	बड़ी बहन	19–18	बहिन	दीदी
4	छोटा भाई	19–23	अनुज	नाम से
5	पिता का पिता	19–1	दादा	बाबा
6	पिता की माता	19–2	दादी	दयी
7	पिता की बड़ी बहन	19–3	बुआ	फूफू
8	पिता की बड़ी बहन का पति	19–4	फूफा	ममा
9	पिता के बड़े भाई	19–5	ताऊ	बड़े ददा
10	पिता के बड़े भाई की पत्नी	19–6	ताई	बड़े दई
11	माता के भाई	19–9	मामा	ममा
12	माता के भाई की पत्नी	19–10	मामी	मामी
13	माता की छोटी बहन	19–11	मौसी	मोसी
14	माता की छोटी बहन का पति	19–12	मौसा	मोसा
15	पिता के छोटे भाई	19–13	चाचा	कका
16	पिता के छोटे भाई की पत्नी	19–14	चाची	काकी
17	माता के पिता	19–15	नाना	ममा ददा
18	माता की बहन	19–16	नानी	ममा दई
19	बड़ी बहन का पति	19–17	जीजा	भाटो
20	पत्नी	19–20	पत्नी	डौकी
21	पत्नी का छोटा भाई	19–21	साला	सारा
22	पत्नी की छोटी बहन	19–22	साली	सारी
23	छोटे भाई की पत्नी	19–24	बहू	बहोरिया
24	पत्नी का पिता	19–25	ससूर	बाबूजी
25	पत्नी की माता	19–26	सास	माताजी
26	बड़ी बहन के पुत्र–पुत्री	19–27, 28	भांजी/भांजा	भांजी/भांजा

27	छोटे भाई के पुत्र–पुत्री	19–29, 30	भतीजा / भतीजी	नाम से
28	स्वयं का पुत्र / पुत्री	19–32, 33	पुत्र / पुत्री	नाम से
29	पुत्र के पुत्र एवं पुत्री	19–39, 40	पोता / पोती	नाती / नतनीन
30	पुत्री के पुत्र एवं पुत्री	19–41, 42	नाती / नातीन	–,,–
31	पुत्र के पत्नी	19–31	बहु	बहोरिया
32	बेटी का पति	19–34	दामाद	दमांद
33	पुत्र / बेटी के सास	19–36, 38	समधी	समधीन
34	पुत्र एवं पुत्री के ससूर	19–35, 37	समधी	समधी

1. नातेदारी की रीतियाँ

कोंध जनजाति में नातेदारी व्यवस्था के अन्तर्गत दो संबंधियों के बीच के संबंध व व्यवहार को प्रदर्शित करता है, जिसकी कुछ नियम या रीतियां समाज में प्रचलित है।

(अ) परिहार या निकटाभिगमन

''परिहार'' का शाब्दिक अर्थ है कि कुछ ऐसे संबंध या रिश्ते जो दो व्यक्तियों के बीच एक निश्चित संबंध तो प्रदर्शित करते हैं, किन्तु वे सामाजिक रूप से एक दूसरे से दूरी बनाये रखते हैं तथा पारस्परिक अन्तः क्रिया में यथा संभव प्रत्यक्ष भाग नहीं लेते। इस प्रकार की नातेदारी की रीतियां कोंध जनजाति में भी पायी जाती है, जिसमें कुछ विशेष संबंधियों के बीच परस्पर नियन्त्रण रखा जाता है, जो कि निम्नलिखित हैः–

सास – दामाद
जेठ – बहु (छोटे भाई की पत्नी)
ससुर – बहु
काकी – भतीजा
काका – भतीजी
दामाद – डेढ़सास

(ब) परिहास या निकटागमन

कोंध जनजाति में परिहास संबंध को मजाकिया संबंध कहा जाता है। यह संबंध आपसी रिश्ते को निकटता तथा मजबूती प्रदान करता है। इस प्रकार के संबंधों को समुदाय की मान्यता प्राप्त है। ऐसे संबंधियों में निम्नानुसार रिश्ते मान्य हैं :–

देवर	–	भाभी
जीजा	–	साला, साली
समधी	–	समधन
नाना–नानी	–	नाती, नातीन,
दादा–दादी	–	पोता, पोती

(स) माध्यमिक सम्बोधन

कोंध जनजाति में कुछ संबंधियों के बीच परस्पर संबोधन हेतु किसी माध्यम जैसे बच्चे, संबंधित के ग्राम आदि का सहारा लेकर संबोधित किया जाता है। इस प्रकार के माध्यमिक संबोधन, पति–पत्नी, भाई–बहु, दामाद–सास, ससुर द्वारा उपयोग किया जाता है। जैसे–पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती लेकिन उसे जब अपने पति को बुलाना हो तो वह अपने पुत्र का सहारा लेते हुए पुकारती है। जैसेः– दुकालू के पापा यहां आओ।

वर्तमान परिदृश्य में माध्यमिक सम्बोधन का प्रचलन कम हो रहा है। पति अपने पत्नी को नाम से बुलाते हैं तो पत्नी शासकीय तथा आवश्यक कार्य आने पर अपने पति का नाम लेने लगी है।

4.5 परिवार

परिवार कोंध जनजाति की प्रारंभिक तथा आधारभूत इकाई है। मानव के व्यक्तित्व का विकास, समाजीकरण एवं संस्कृतिकरण परिवार से ही प्रारंभ होता है। परिवार में दो या अधिक पीढ़ियों के सदस्य निवास करते हैं। कोंध जनजाति के परिवारों में वरिष्ठ वृद्ध पुरूष मुखिया होते हैं, जो पारिवारिक जीवन का संचालन, प्रमुख निर्णय, मार्गदर्शन आदि मुखिया द्वारा किया जाता है।

(क) परिवार का प्रकार

सर्वेक्षित कोंध जनजाति में परिवार का प्रकार निम्नलिखित तालिका अनुसार पाया गयाः–

तालिका क्रमांक–19

सर्वेक्षित परिवारों में परिवार का प्रकार

क्र.	प्रकार	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	एकल परिवार	97	80.83
2	संयुक्त परिवार	21	17.50
3	विस्तृत परिवार	02	01.67
योग		120	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों में से सर्वाधिक 80.83 प्रतिशत परिवार एकल परिवार पाये गये, वहीं 17.50 प्रतिशत संयुक्त परिवार तथा 01.67 प्रति ात परिवार विस्तृत परिवार पाये गये।

वर्तमान परिदृश्य में कोंध जनजाति में संयुक्त परिवार विघटित होकर एकल परिवार में परिवर्तित हो रहे हैं, जिसका मुख्य कारण युवा पीढ़ी विवाह पश्चात् अलग से एकल परिवार में रहना चाहते हैं।

(ख) परिवार का वर्गीकरण

सर्वेक्षित कोंध जनजाति में पाये जाने वाले परिवार के स्वरूप का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता हैः–

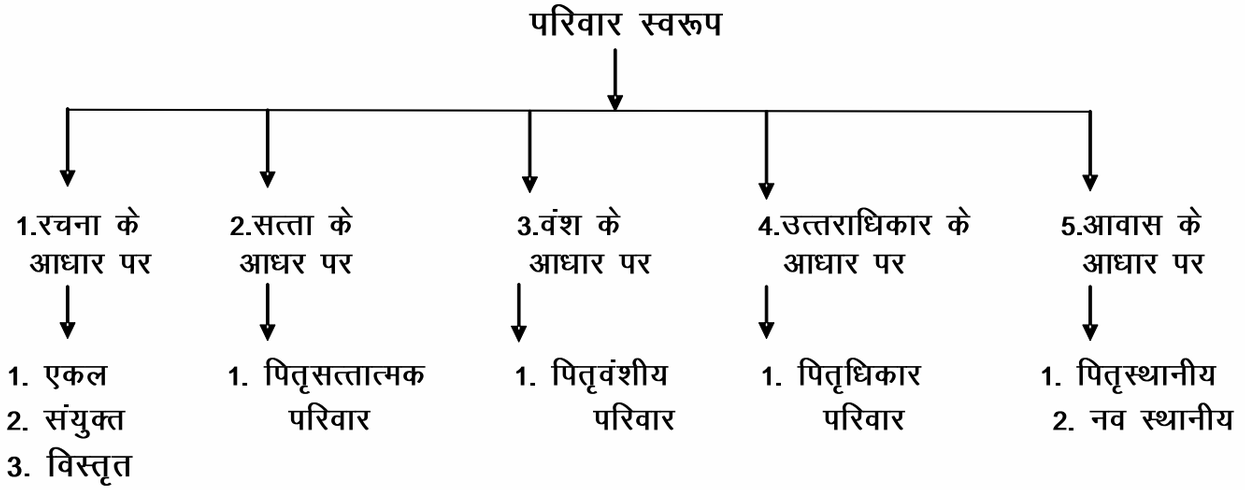

उपर्युक्त वर्गीकरण से कोंध जनजाति परिवारों की रचना में एकल, संयुक्त तथा विस्तृत परिवार पाये जाते हैं। परिवारों की सत्ता (मुखिया) परिवार के बुजुर्ग पुरूष सदस्य के पास होता है। अर्थात् यह समुदाय पितृसत्तात्मक परिवार है। परिवार में वंश पितृ पक्ष से निर्धारण होता है। अर्थात् पितृ वंशीय समुदाय है। इस समुदाय में सम्पत्ति एवं सत्ता का हस्तांतरण पिता से पुत्रों को प्राप्त होता है। साथ ही आवास के आधार पर भी यह समुदाय पितृस्थानीय पाया जाता है। कुछ कोंध दम्पत्ति विवाह के कुछ समय बाद नये आवास में एकल परिवार का निर्माण करते पाये गये।

(ग) धर्मः— कोंध जनजाति विशेष रूप से प्राकृतिक देवी/देवताओं पर आस्था रखता है। सर्वेक्षित कोंध परिवारों में शत् प्रतिशत हिन्दू धर्म को मानते पाये गये।

(घ) परिवार का आकार

कोंध जनजाति में परिवारों का आकार निम्न तालिका अनुसार पाया गयाः—

तालिका क्रमांक–20

सर्वेक्षित परिवारों में परिवार का आकार

क्र.	सदस्य संख्या	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	2 से कम सदस्य	3	02.50
2	2 – 4 सदस्य	68	56.67
3	5–6 सदस्य	35	29.17
4	7–8 सदस्य	10	08.33
5	8 से अधिक सदस्य	04	03.33
योग		120	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये कोंध परिवारों में सर्वाधिक 56.67 प्रतिशत परिवारों में 02 से 04 सदस्य पाये गये। 29.17 प्रतिशत परिवारों में 5–6 सदस्य पाये गये। 08.33 प्रतिशत परिवारों में 7–8 सदस्य एवं 03.33 प्रतिशत परिवारों में 08 सदस्य से भी अधिक पाये गये। सर्वेक्षित 02.50 प्रतिशत परिवार ऐसे भी हैं जिनमें केवल एकल सदस्य (विधवा/विधुर/परित्यक्ता) पाये गये।

5.3 पारिवारिक संबंध

सर्वेक्षित कोंध जनजाति में परिवार के सभी सदस्य आपसी सामंजस्य तथा तालमेल के साथ रहते हैं। इन सदस्यों को उनके संबंधों के आधार पर निम्नानुसार दर्शाया जा सकता है:–

1. माता–पिता

कोंध जनजाति में बच्चे के जन्म को परिवार की पूर्णता माना जाता है। बच्चे के जन्म पश्चात् माता–पिता बच्चे की देखभाल, पालन–पोषण करते हैं। साथ ही जीवन के दैनिक कार्यों के प्रत्येक क्षेत्रों की औपचारिक शिक्षा प्रदान करते हैं तथा बाल्यावस्था से माता–पिता संतान को परिवार एवं समाज के अनुरूप विकसित करते हैं।

2. पति–पत्नी

परिवार में पति–पत्नी के बीच मधुर संबंध पाया जाता है। घर की सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन पति–पत्नी मिलकर करते हैं। बड़े बुजुर्गों की देखभाल बच्चों का लालन–पालन जैसे कार्यों का निर्वहन साथ–साथ करते हैं। परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वनोपज, कृषि, पशुपालन, मजदूरी आदि कार्यों में पत्नी पति की मदद करती है। साथ ही साथ बच्चों की देखभाल व खाना बनाने की जिम्मेदारी पत्नी की होती है।

3. पिता–पुत्र

पिता–पुत्र का संबंध स्नेह व अनुशासन का होता है। पिता का व्यवहार पुत्र के प्रति बाल्यकाल में स्नेह पूर्ण, किशोर व युवावस्था में अनुशासित एवं विवाह पश्चात् मित्रवत् होता है। पिता किशोरावस्था में पुत्र को आर्थिक कार्यों जैसे हल चलाना, कृषि एवं शिकार आदि में प्रशिक्षित करता है। पुत्र पिता के प्रति आदरभाव रखता है। पिता वृद्धावस्था में अपनी सम्पत्ति पुत्रों में हस्तांतरित करता है व अपेक्षा करता है कि अब बेटा उसका लालन–पालन करें।

4. पिता–पुत्री

पिता–पुत्री का संबंध आत्मीय तथा वात्सल्यपूर्ण होता है। इस समुदाय में पुत्री का पराया धन मानते हुए पिता द्वारा पुत्री को अधिक स्नेह/वात्सल्य से पाला जाता है। पिता पुत्री को विवाह पश्चात् परिवार के सदस्यों से सामंजस्य बनाने की सीख देता है। वहीं पुत्री विवाह पश्चात् पिता को अधिक स्नेह भाव व सेवा करती है।

5. माता–पुत्र

माता के प्रति पुत्र का सम्मान होता है, जबकि पुत्र के प्रति माता का व्यवहार वात्सल्य का होता है अर्थात् माता–पुत्र में मधुर संबंध होते हैं।

6. माता–पुत्री

माता एवं पुत्री का संबंध वात्सल्यपूर्ण होता है। माता पुत्री को बाल्यावस्था से ही घर की

सामाजिक–आर्थिक कार्य सिखाती हैं। माता–पुत्री को परायाधन समझ कर ससुराल के नये परिवेश में सफलतापूर्वक सामंजस्य बनाने हेतु शिक्षित करती है।

पुत्री के विवाह योग्य होने पर मित्रवत् व्यवहार किया जाता है। विवाह आयु के निकट आने पर दोनों में बिछोह का डर भी सताता है, किन्तु पुत्री के प्रति अपनी जिम्मेदारियों की पूर्ति का सुख भी देखा जा सकता है।

7. भाई–भाई

भाई–भाई के मध्य प्रेमपूर्ण एवं मित्रवत् संबंध होता है। छोटा भाई बड़ेभाई का आदर व सम्मान करता है तथा बड़ाभाई छोटे भाई के प्रति स्नेह का भाव रखता है। दोनों पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक कार्यों का निर्वहन साथ–साथ करते हैं तथा एक–दूसरे की कठिनाईयों/समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं।

8. भाई–बहन

भाई–बहन का संबंध प्रेमपूर्ण होता है। बड़ा भाई/बड़ी बहन, छोटे भाई/बहनों को घरेलू कार्य सिखाती हैं तथा माता पिता के आर्थिक कार्य में व्यस्त होने के कारण उनकी देखभाल एवं घर की देखरेख करते हैं।

9. सास–बहू

सास–बहू का संबंध आदर, सम्मान, कर्तव्य तथा अपेक्षा पर आधारित होता है। सास अपनी बहू से आदर–सम्मान, पारिवारिक कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों के बखूबी निर्वहन की अपेक्षा रखती है। सास–बहू में आपसी ताल–मेल अच्छा रहने पर पारिवारिक जीवन अच्छा रहता है, किन्तु वे एक–दूसरे की अपेक्षाओं की पूर्ति न कर पाने के कारण आपसी संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं।

10. देवर–भाभी

देवर–भाभी का संबंध परिहास श्रेणी के अन्तर्गत आता है। इनके आपसी संबंध स्नेहपूर्ण एवं मित्रवत् होते हैं।

उपरोक्त प्रकार के संबंधों में वर्तमान परिवेश में आमूल–चुल परिवर्तन दिखाई देते हैं जो परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ व सुझबुझ पर निर्भर करता है।

4.6 मित / मितान संबंध

कोंध जनजाति क्षेत्र में निवासरत अन्य जातियों से निकटता व पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने अर्न्तजातीय संबंध दर्शाने वाले मित / मितान पाया जाता है। जो ग्रामदेव या देवी के सम्मुख पान–सुपाड़ी, धुप अर्पित कर नारियल की अदला–बदली कर, ''मितान (गिया)'' संबंध स्थापित किया जाता है जो किसी भी जाति से संबंधित हो सकता है। मित / मितान संबंध पारिवारिक स्तर पर एक–दूसरे के सुख–दुःख में अपना सहयोग देते हैं।

कोंध जनजाति अपनी ही जाति या अन्य जनजातियों जैसेः–गोंड़, कंवर, बिंझवार, अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां रावत, कुर्मी, अघरिया, कोलता, तेली, मरार, नाई, धोबी आदि जातियों के साथ मित / मितान संबंध रखते हैं। आधुनिक परिवेश में मित / मितान का संबंध जीवन पर्यंत का संबंध कम ही देखना को मिलता है।

4.7 अन्तर्जातीय संबंध

कोंध जनजाति ब्राम्हण, रावत, महकूल, कंवर, गोंड़, बिंझवार, कुम्हार, केंवट, धोबी, लोहार, नाई, गांड़ा, घसिया, संवरा आदि जातियों के साथ ग्रामों में निवासरत है। इनमें आपस में ग्राम स्तर पर पारस्परिक निर्भरता पायी जाती है तथा एक–दूसरे के त्यौहारों, उत्सवों, संस्कारों (जन्म, विवाह एवं मृत्यु) आदि में सहभागिता पायी जाती है। वहीं ग्राम समाज व्यवस्था के तहत् एक दूसरे की आव यक सेवाएं भी ली जाती हैं।

सामाजिक स्तरीकरण में कोंध जनजाति निवासरत ग्रामों में जन्म सामाजिक खानपान तथा कार्यों के आधार पर अन्य जातियों के साथ पाये जाने वाले स्तरीकरण को निम्न रूप में दर्शाया जा सकता हैः–

सामाजिक स्तरीकरण

क्र.	उच्च जातियाँ	समकक्ष जातियाँ
1	ब्राम्हण	गोंड
2	राजपूत	कंवर
3	बनिया	बिंझवार
4	अघरिया	खरिया
5	कुर्मी	कलंगा
6	मरार	कोडाकू

कोंध जनजाति अपने सामाजिक–सांस्कृतिक अवसरों जैसे जन्म, विवाह, उत्सव, कर्मा एवं मृत्यु आदि संस्कारों में उच्च जातियों को आमंत्रित करते हैं जिसमें उच्च जातियां यथासंभव अपनी सेवाएं देते हैं। सामाजिक मान्यताओं, रीति–रिवाजों के तहत् कुछ उच्च जातियां जैसे–ब्राम्हण आदि कच्चा भोजन ग्रहण नहीं करते, किन्तु उच्च जातियां के आयोजनों में इस समाज के सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार निम्न जातियों को भी आमंत्रण दिया जाता है। पूर्व में निम्न जाति के सदस्यों को अलग पंक्ति में बैठाकर खिलाया जाता था लेकिन वर्तमान में सभी के साथ सामाजिक खानपान कराया जाता है।

इस जनजाति की सामाजिक अर्न्तजातीय संबंध ग्राम स्तर पर होता है, इनके सामाजिक क्रियाकलापों में दूसरे जाति के लोग एक निश्चित भूमिका के दायरे में अपनी क्रियाकलाप संपादित करते हैं।

आधुनिक परिवेश में शिक्षा आदि के प्रभाव के कारण कुछ उच्च जातियां जैसे–ब्राम्हण, राजपूत को छोड़कर अन्य जातियों के साथ परस्पर सामाजिक क्रियाकलापों में इस समुदाय के लोग सामाजिक खानपान करते पाये गये।

2. आर्थिक–अन्तर्जातीय संबंधः–

इस समुदाय में अन्य जातियों की आर्थिक प्रास्थिति का प्रभाव कम दिखाई देता है। ग्राम में अर्थोपार्जन के कार्य जैसे–कृषि मजदूरी, अन्य मजदूरी, वनोपज संकलन आदि के कार्य अन्य जातियों के साथ परस्पर किये जाते हैं।

1. धार्मिक अर्न्तजातीय संबंध

ग्राम स्तर पर आयोजित धार्मिक अनुष्ठानों जो ग्राम की खुशहाली, समृद्धि, प्राकृतिक आपदाओं के बचाव हेतु ग्राम देवी–देवताओं से संबंधित धार्मिक आयोजनों में सभी जातियों के साथ कोंध जनजाति का भी योगदान रहता है, जबकि स्वयं समुदाय के अपने पूर्वज देव या देवी–देवताओं से संबंधित पारिवारिक स्तर पर आयोजित धार्मिक कर्मकाण्डों में ग्राम के अन्य जातियों की सहभागिता नही के बराबर होती है।

4.9 कोंध जनजाति में महिलाओं की स्थिति

कोंध जनजाति में महिलाओं की प्रास्थिति को निम्नांकित विवरण से समझा जा सकता है।

1. जीवन संस्कार में महिलाओं की स्थिति

कोंध जनजाति में बच्चों को भगवान की देन के रूप में माना जाता है तथा बालक एवं बालिका को समान रूप से महत्व दिया जाता है। फिर भी प्रथम संतान के लिए बालक शिशु की कामना की जाती है ताकि पिता के कामों में हाथ बंटा सके। लड़कियों को पराया धन समझा जाता है जो विवाह पश्चात् ससुराल चली जाती है लेकिन बालक बुढ़ापे का सहारा, घर की देखरेख, मृत्यु होने पर मिट्टी देने वाला, एवं वंश वृद्धि के लिए आवश्यक माना जाता है।

इस समाज में विवाह हेतु कन्या की सहमति आवश्यक मानी जाती है। यदि कन्या अनिच्छुक हो तो विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया जाता है। यदि कन्या पलायन विवाह कर ले तो भी वर पक्ष को सामाजिक दंड दिया जाता है। साथ ही ''सुकधन (वधुमूल्य)'' चुकाना पड़ता है। स्त्री के विधवा होने के पश्चात् भी पुर्नविवाह हेतु सहमति आवश्यक मानी जाती है।

मृत्यु संस्कार में महिलाओं की भागीदारी नहीं पायी जाती है। उन्हें भावयात्रा में शामिल होने तथा मिट्टी (डालने) देने का अधिकार नहीं होता है।

2. वंश एवं सत्ता निर्धारण में महिलाओं की भूमिका

कोंध जनजाति में नवजात शिशु के वंश का निर्धारण पिता पक्ष से होता है। परिवार का मुखिया व सत्ता पुरूष सदस्य के नियन्त्रण में रहता है तथा पिता की सम्पत्ति का बंटवारा पुत्रों को प्राप्त होता है। परिवार के अहम निर्णय पुरूष मुखिया द्वारा लिया जाता है। इस प्रकार यह समाज पितृवंशीय, पितृसत्तात्मक व्यवस्था वाला समुदाय है।

3. आर्थिक जीवन में महिलाओं की भूमिका

कोंध जनजाति की महिलाएं पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के साथ–साथ आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान देती है। महिलाएं प्रातः घर की साफ–सफाई, बच्चों की देखभाल व भोजन निर्माण पश्चात् वनोपज संकलन, मजदूरी, कृषि कार्य में सहायता तथा अन्य शासकीय मजदूरी में भागीदार बनती है। महिलाओं को स्व अर्जित धन के व्यय में कुछ सीमा तक स्वतंत्रता होती है।

4. राजनैतिक जीवन में महिलाओं की भूमिका

कोंध जनजाति की जातीय पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर होती है। उन्हें इन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व का सामुदायिक अधिकार नहीं है। समुदाय के राजनैतिक संगठन में महिलायें केवल स्वयं के मामले में या किसी अन्य मामले में गवाही हेतु उपस्थित हो सकती हैं।

वर्तमान में आरक्षण के फलस्वरूप आधुनिक ग्राम पंचायतों में इस समुदाय की महिलाओं का प्रतिनिधित्व देखे जा रहे हैं। आज सामाजिक संगठनों, जातीय पंचायतों में जिम्मेदारियाँ दी जा रही है।

5. धार्मिक जीवन में महिलाओं की भूमिका

इस जनजाति की सामाजिक–धार्मिक अनुष्ठान व पारिवारिक स्तर पर पूर्वज देव आदि की पूजा–अर्चना में महिलाओं की भागीदारी व सहभागिता नहीं पायी जाती है। परिवार की धार्मिक अनुष्ठानों में कर्म–काण्डीय हेतु आवश्यक सामग्रीयों की तैयारियां घर की महिला सदस्य करती है, परन्तु उसमें प्रत्यक्ष सहभागिता सामाजिक निशेधों के कारण नहीं रहती है। वही हिन्दू देवी–देवताओं की पूजा–अर्चना करते सहज देखे जा सकते हैं।

6. शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति

कोंध जनजाति में कन्या शिक्षा की स्थिति दयनीय रही है। कन्याओं को परायाधन समझकर प्राथमिक स्तर की शिक्षा के पश्चात् घरेलू कामकाज, वनोपज संग्रहण, छोटे भाई–बहनों की देखभाल एवं नैतिक शिक्षा देने में लगा दिया जाता था। बालिका विवाह लायक हो जाने पर उसका विवाह आदि के कारण उच्च शिक्षा के पक्षधर नहीं है, विहड़ ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत होने के कारण अन्य ग्राम में जाकर शिक्षा प्राप्त न करना भी इनके अशिक्षित होने का प्रमुख कारण रहा है।

7. कन्या शिशु के प्रति व्यवहार

कोंध जनजाति बालक, बालिकाओं को समान दृष्टि से देखता है तथा संतान को भगवान का दिया हुआ उपहार मानता है। फिर भी अपने वंशवृद्धि के लिए कम से कम एक पुत्र की कामना अवश्य की जाती है। कन्या शिशु के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जाता है तथा विवाह पश्चात् पराया हो जायेगी सोचकर एक धरोहर के रूप

में विशेष महत्व दिया जाता है।

8. परिवार की खानपान में महिलाओं की स्थिति

कोंध जनजाति की महिलायें खाना पकाने के पश्चात् छोटे बच्चों को खाना खिलाती है। बाद में अन्य सदस्यों व पति को भोजन कराने के उपरांत ही भोजन ग्रहण करती है।

==========00==========

अध्याय –5

शैक्षणिक स्थिती

शिक्षा मानव विकास का प्रमुख माध्यम है। जनजातिय क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति अन्य क्षेत्रों की तुलना निम्न रही है। राष्ट्र की मुख्य धारा में जनजातियों के एकीकरण में शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर भारत शासन द्वारा संवैधानिक उपाय किये गये। जनजातीय उपयोजना में शैक्षणिक विकास को प्राथमिकता दिया गया तथा 6–14 आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं को शिक्षा का मूल अधिकार बना दिया गया है।

किसी भी समाज में चाहे वह जनजातीय समुदाय हो या गैर जनजातीय समाज हो महिलाओं का शिक्षित होना नितांत आवश्यक होता है, जो परिवार के अंदर केन्द्र बिन्दू में रहकर अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। छ.ग. राज्य में जनजातीय समुदायों का शैक्षणिक स्तर विशेषकर महिलाओं की शैक्षणिक स्तर पुरूषों की तुलना में कम है। सर्वेक्षित कोंध जनजाति में सर्वेक्षण के दौरान उनकी शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन किया गया।

1. साक्षरता

सर्वेक्षण के दौरान कोंध परिवारों की साक्षर व निरक्षर सदस्यों का विवरण निम्नानुसार पाया गया :–

सारणी क्रमांक–21
सर्वेक्षित परिवारों में साक्षर व निरक्षर सदस्यों का विवरण
(0–5 आयु वर्ग को छोड़कर)

क्र.	श्रेणी	व्यक्ति					
		पुरूष		महिला		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	साक्षर	160	66.12	129	52.02	289	58.98
2.	निरक्षर	82	33.88	119	47.98	201	41.02
योग		**242**	**100.00**	**248**	**100.00**	**490**	**100.00**

सर्वेक्षित 120 कोंध परिवारों की कुल जनसंख्या (0–5 वर्ष की उम्र समूह को छोड़कर) में से 58.98 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर पाये गये, जिसमें पुरूष साक्षरता 66.12 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता 52.02 प्रतिशत पायी गई। सर्वेक्षित परिवारों में कुल 41.02 प्रतिशत व्यक्ति निरक्षर पाये गये, जिसमें 33.88 प्रतिशत पुरूष निरक्षर एवं 47.98 प्रतिशत महिला निरक्षर पाये गये।

1. शिक्षा का स्तर

सर्वेक्षित कोंध समुदाय की शैक्षणिक स्थिति में शिक्षा का स्तर निम्नलिखित तालिका में दर्शाये अनुसार पाया गयाः–

तालिका क्रमांक–22

सर्वेक्षित परिवारों में शैक्षणिक स्तर (0–5 आयु वर्ग को छोड़कर)

क्र	शिक्षा का स्तर	साक्षर व्यक्ति					
		पुरूष		महिला		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	बालबाड़ी	07	04.37	02	01.55	09	03.11
2.	प्राथमिक शाला	79	49.37	75	58.14	154	53.29
3.	पू.मा.शाला	41	25.63	34	26.35	75	25.95
4.	मा./उ.मा.शाला	20	12.50	11	08.53	31	10.73
5.	महाविद्यालय	7	04.37	03	02.33	10	03.46
6.	तकनीकी	03	01.88	00	00.00	03	01.04
7.	प्रौढ़ साक्षर	03	01.88	04	03.10	07	02.42
योग		**160**	**100.00**	**129**	**100.00**	**289**	**100.00**

उपरोक्त तालिका के आधार पर सर्वेक्षित कोंध परिवारों की कुल जनसंख्या (05 वर्ष की उम्र समूह को छोड़कर) में से 58.98 प्रतिशत व्यक्तियों ने किसी न किसी स्तर से शिक्षा अर्जित की है। साक्षर व्यक्तियों में से 03.11 प्रतिशत व्यक्ति बालबाड़ी स्तर की शिक्षा, 53.29 प्रतिशत व्यक्ति प्राथमिक शाला स्तर का, 25.95 प्रतिशत व्यक्ति पू.मा.शाला स्तर तक, 10.73 प्रतिशत व्यक्ति मा./उ.मा. शाला स्तर तक एवं मात्र 03.46 प्रतिशत व्यक्ति ही महाविद्यालयीन स्तर तक शिक्षा प्राप्त किये हैं। वही 02.42 प्रतिशत व्यक्ति प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से शिक्षित हुए हैं जबकि केवल 01.04 प्रतिशत व्यक्ति ही तकनीकी शिक्षा प्राप्त किये हैं।

1. शिक्षा की वर्तमान स्थिति

सर्वेक्षित कोंध परिवारों में अध्ययनरत व अध्ययन कर चुके (शाला त्यागी) व्यक्तियों की स्थिति निम्न तालिका अनुसार पायी गईः–

तालिका क्रमांक–23

सर्वेक्षित परिवारों में शालागामी एवं शाला त्यागी की स्थिति का विवरण

क्र.	शैक्षणिक स्थिति	व्यक्ति					
		पुरूष		महिला		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	अध्ययन जारी	62	25.62	56	22.58	118	24.08
2.	अध्ययन समाप्त	98	40.50	73	29.44	171	34.90
3.	निरक्षर	82	33.88	119	47.98	201	41.02
	योग	**242**	**100.00**	**248**	**100.00**	**490**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 0–5 वर्ष के उम्र समूह की जनसंख्या को छोड़कर कुल जनसंख्या 490 में से 289 (58.98 प्रतिशत) व्यक्ति साक्षर पाये गये, जिसमें 34.90 प्रतिशत व्यक्तियों ने किसी न किसी स्तर की शिक्षा प्राप्त कर अध्ययन समाप्त कर चुके है। जिसमें पुरूषों की साक्षरता (40.50 प्रतिशत) की तुलना में महिलाओं की साक्षरता (29.44 प्रतिशत) कम दिखाई देती है। वही सर्वेक्षित परिवारों में 24.08 प्रतिशत व्यक्तियों का अध्ययन जारी है जिसमें पुरूषों की साक्षरता 25.62 प्रतिशत एवं महिलाओं की साक्षरता 22.58 प्रतिशत है। वहीं कोंध जनजाति में 41.02 प्रतिशत व्यक्ति निरक्षर पाये गये जिसमें महिलाओं की संख्या (47.98 प्रतिशत) पुरूषों की संख्या (33.88 प्रतिशत) की तुलना में बहुत अधिक है।

1. शालागामी उम्र (6–14 वर्ष) में साक्षरता

सर्वेक्षित कोंध परिवारों में शाला जाने योग्य 6–14 वर्ष के बच्चों में से शासन के प्रयास व संवैधानिक उपाय के पश्चात् भी कुछ बच्चे पारिवारिक आर्थिक स्थिति की कमजोरी, घर में छोटे बच्चों के देखभाल, पशुचारण, अरूची एवं जागरूकता की कमी आदि कारणों से शाला जाने से वंचित है। शालागामी उम्र के कोंध जनजाति बच्चों में साक्षरता की स्थिति निम्न तालिका में दर्शित अनुसार पाया गयाः–

सारणी क्रमांक–24

सर्वेक्षित परिवारों में शालागामी उम्र (6–14 वर्ष) में साक्षरता

क्र.	साक्षरता	व्यक्ति (6–14 उम्र समूह)					
		पुरूष		महिला		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	साक्षर	50	98.04	46	95.83	96	96.97
2.	निरक्षर	01	01.96	02	04.17	03	03.03
योग		**51**	**100.00**	**48**	**100.00**	**99**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित कोंध जनजाति में शालागामी उम्र (06–14 आयु वर्ग) में कुल साक्षरता 96.97 प्रतिशत पायी गई जिसमें पुरूष साक्षरता 98.04 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता 95.83 प्रतिशत पायी गई जो कि इस उम्र समूह के पुरूषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर कम है। जबकि इसके विपरित 03.03 प्रतिशत व्यक्ति 6–14 वर्ष की उम्र समूह में निरक्षर पाये गये, जिसमें महिला निरक्षरता (04.17 प्रतिशत) की तुलना में पुरूष निरक्षरता (01.96 प्रतिशत) की संख्या कम हैं।

==========00==========

अध्याय –6

जीवन चक्र

सभी समुदायों में जीवन चक्र के समस्त संस्कारों में पूर्व निश्चित नियम के अन्तर्गत कुछ अनुष्ठानों को पूर्ण करना पड़ता है। परिवार की सामाजिक, आर्थिक स्थिति में भिन्नता के फलस्वरूप आयोजन के स्वरूप में विविधता दिखाई देती है किन्तु प्रत्येक समुदाय में कुछ मूलभूत नियमों का पालन अवश्य किया जाता है। जिन्हें जीवन संस्कार के नाम से जाना जाता है। कोंध जनजाति के जीवन चक्र में मुख्य रूप से तीन संस्कारों यथा जन्म संस्कार, विवाह संस्कार एवं मृत्यु संस्कार होता है, जिसका विवरण निम्नांकित हैः–

6.1 जन्म संस्कार

कोंध जनजाति में जन्म संस्कार को समझने के लिए निम्न बिन्दूओं को चरणबद्ध उल्लेख किया जाना आव यक हैः–

1. ऋतुकाल

कोंध जनजाति में जब किशोरी कन्या युवावस्था की ओर प्रवेश कर रही होती है तब प्रथम मासिक धर्म आने अर्थात् रजस्वला होने पर उसे विवाह योग्य मान लिया जाता है। प्रथम मासिक चक्र पर उसे वरिष्ठ महिलाओं या माता के द्वारा स्वाभाविक प्राकृतिक प्रक्रिया के बारे में बताया जाता है। तब तक उसे कुछ सामाजिक निशेधों का पालन करना आवश्यक होता है। जिसमें रसोई कक्ष में प्रवेश, खाना बनाना, पूजा–अर्चना करना निषेध होता है। 4–5 वे दिन साबून/मिट्टी से नहा–धोकर स्नान के पश्चात् शुद्ध माना जाता है।

2. गर्भावस्था

कोंध जनजाति के विवाहित महिलाओं में मासिक धर्म का रूकना गर्भावस्था का सूचक माना जाता है। गर्भ निरोधक संबंधी किसी भी प्रकार का आधुनिक या पारंपरिक तरीका नहीं अपनाया जाता है। संतान उत्पन्न होना ईश्वर की इच्छा व वंश बढ़ाने वाली प्रक्रिया समझा जाता है। गर्भधारण के छः माह पश्चात् महिलायें प्रायः वन जाना, मजदूरी, कृषि मजदूरी आदि शारीरिक श्रम छोड़ देती है। इस दौरान वह ज्यादा मांस–मछली का सेवन भी

नहीं करती है तथा घर में दैनिक उपलब्धतानुसार भोजन ग्रहण करती है।कोंध जनजाति में गर्भावस्था के दौरान स्त्री गर्भ में पल रहे शिशु के लिए कुल देवी–देवता के समक्ष शिशु की रक्षा व सुरक्षित प्रसव की कामना करती है। इस दौरान गर्भस्थ महिला को कुछ विशेष सामाजिक निशेधों का पालन करना पड़ा है। जैसे–चन्द्रग्रहण या सूर्यग्रहण में निकलना या देखना, जीव हत्या करना, भूत–प्रेत वाले स्थानों में जाना आदि निषेध होता है।

3. प्रसव

कोंध जनजाति में गर्भवती स्त्री का प्रसव घर पर ही कराया जाता है। प्रसव की पूरी गतिविधियां जानकार बुजुर्ग महिला ''सुईन'' द्वारा कराया जाता था। जिसे ''शहनीन'' कहते हैं। इस कार्य में आसपास की बुजुर्ग महिलायें भी सहयोग करती हैं। पूर्व में नाल काटने हेतु ''सुताई'' का उपयोग किया जाता था। वर्तमान परिवेश में अधिकांश परिवार अस्पताल में प्रसव कराने लगे है।

प्रसव पश्चात् सुईन द्वारा शिशु के नाल पर हल्दी व तिल का तेल लगाया जाता है। शिशु की साफ–सफाई, नहलाने आदि का कार्य छठी होने तक सुईन द्वारा ही किया जाता है। प्रसव के लगभग 24 घण्टे बाद पारंपरिक जड़ी–बुटियों से निर्मित **''छवारी काढ़ा''(शक्तिवर्धक पेय)** दिया जाता है। जो कि सिहाल जड़ी, पीपरा मूली, पीपरा आड़ी, अजवाइन आदि को कुल्थी के साथ उबाल कर निर्मित किया जाता है।

शिशु के नाल को आंगन में जलाकर घर के बाड़ा में गाड़ दिया जाता है। जन्म के दूसरे दिन से शिशु को दुग्ध पिलाना प्रारंभ किया जाता है। किन्तु शिशु को मां की प्रथम दूध (कोलोस्ट्रम) नहीं दिया जाता है। बल्कि धरती पर गिरा दिया जाता है। प्रसव पश्चात् प्रथम दुग्धपान की अवधि में शिशु को सुपाड़ी का पानी, बकरी का दूध या

आसपास की अन्य महिलाओं द्वारा दूध पिलाया जाता है। प्रसव के तीसरे दिन प्रसवा को चावल, बड़ी मूनगा की सब्जी आदि खाने को दिया जाता है। जब शिशु की नाभि से नाल सुखकर गिर जाता है तब छठी संस्कार का आयोजन किया जाता है। तब तक समुदाय द्वारा सामाजिक मान्यतानुसार प्रसवा व उसके परिवार को अपवित्र माना जाता है।

4. छठी

शिशु जन्म के छठवें दिन **''छठी संस्कार''** मनायी जाती है। इस दिन सुईन द्वारा जच्चा बच्चा को नहला कर तेल हल्दी लगाया जाता है। छट्ठी पूर्व घर की लिपाई–पुताई कर साफ–सफाई किया जाता है। छठी के दिन जच्चा–बच्चा के समस्त कपड़े सुईन ही साफ करती है। इस दिन सभी स्वजातीय बन्धुओं को आमंत्रित किया जाता है। सम्पूर्ण घर में हल्दी पानी का छिड़काव कर शुद्ध करने का कर्मकाण्ड किया जाता है तथा कुल देवी–देवता एवं पूर्वज देव की पूजा–अर्चना कर मुर्गा, शराब, पान सुपाड़ी, धुप भेंट कर ईष्टदेव को वंशवृद्धि हेतु कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं तथा इस दिन प्रसुता के मायका से आया नवीन वस्त्र को प्रसुता व नवजात शिशु को पहनाया जाता है तथा आमंत्रित सभी लोगों को शराब पीलाकर सामूहिक भोज कराया जाता है। भोज पश्चात् नवजात शिशु को सभी रिश्तेदार भेंट स्वरूप वस्तु/नगद आदि दिया जाता है। छठी पश्चात् प्रसुता, नवजात शिशु एवं परिवार को आंशिक रूप से शुद्ध या पवित्र मान लिया जाता है।

5. नामकरण

नामकरण छठी के दिन ही सम्पन्न होता है। नवजात शिशु के नामकरण के पूर्व **''मसान'' या ''आत्मा''** देखी जाती है। यह समुदाय आत्मवादी समूह है तथा मृत्यु पश्चात् आत्मा के अस्तित्व को मानती है। परिवार में आये नवजात शिशु की पूर्वज या वंश आधार पर मसान की पहचान की जाती है। धार्मिक कर्मकाण्डी प्रक्रिया कर मुर्गा की बलि एवं शराब का तर्पण किया जाता है। बच्चे का नामकरण बुआ, फूफू अथ्वा माता/पिता द्वारा किया जाता है। पूर्व में शिशु का नाम प्रायः दिन, माह अथवा ऋतु के आधार पर किया जाता था। वर्तमान परिवेश में आधुनिक प्रकार के नाम रखे जाते हैं।

6. मुण्डन

कोंध जनजाति में नवजात शिशु का **''मुण्डन संस्कार''** छठी के दिन ही सम्पन्न कराया जाता है। नवजात शिशु को नहलाते समय अन्य गोत्र के स्वजातीय अनुभवी पुरूश के द्वारा मुण्डन किया जाता है। वर्तमान परिवेश में शिक्षित परिवार एवं आर्थिक रूप से संपन्न परिवार जजमानी प्रथा अन्तर्गत नाई के द्वारा भी मुण्डन कराया जाने लगा है। मुण्डन पश्चात् ही नवजात को पारिवारिक सदस्य के रूप में सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है।

7. बरही

शिशु जन्म के बारहवें दिन **''बरही''** का आयोजन किया जाता है। इस दिन सुईन द्वारा जच्चा एवं बच्चा को तेल, हल्दी, आंवला, तुलसीपत्ता आदि का लेप लगाकर नहलाया जाता है। घर में हल्दी पानी छिड़ककर शुद्धिकरण किया जाता है। तत्पश्चात् कुल देवी–देवता एवं पूर्वज देव आदि में मुर्गा/बकरा की बलि चढ़ाकर शराब का तर्पण किया जाता है एवं नवजात शिशु के उज्जवल भविष्य की कामना की जाती है। बाद में आमंत्रित अतिथियों को शराब पिलाकर सामूहिक भोज कराया जाता है। बरही पश्चात् प्रसुता, शिशु व उसके घर को पूर्ण रूप से शुद्ध या पवित्र माना जाता है।

8. अन्न प्रासन (मुंह–जुठा)

कोंध जनजाति में नवजात शिशु लगभग 06 माह तक माता के स्तनपान पर निर्भर रहता है तब छः माह पश्चात् बच्चे को **''अन्न प्रासन''** (मुंहजुठा) कराया जाता है। कुछ परिवार खीर से मुंह जुठा कराते हैं तो कुछ परिवार मीठा पकवान से भी मुंहजुठा कराया जाता है।

6.2 बाल्यावस्था

शिशु जब 06–08 वर्ष का हो जाता है तब उसका **''कर्ण छेदन''** किया जाता है। इस संस्कार में बालक के कान एवं बालिका के कान–नाक अनिवार्य रूप से छिदवाये जाते थे। इसके पीछे मान्यता है कि कान छेद न कराने पर मृत्यु पश्चात् यमराज के दूत सब्बल से कर्ण बेधन करते हैं।

बाल्यावस्था से बालिका को घरेलू कार्यों का औपचारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। बालक–बालिकाओं को माता–पिता, खेत, वनोपज आदि में भी ले जाते हैं।

6.3 युवावस्था

कोंध जनजाति में लगभग 16–19 वर्ष की आयु में बालक अपने कार्य क्षेत्र जैसे कृषि कार्य, मजदूरी, वनोपज, शिकार आदि कार्यों में निपूर्ण हो जाता है। वही बालिकायें 14–15 वर्ष की आयु में अपने घरेलू कार्यों, वनोपज, मजदूरी आदि में दक्ष हो जाती है तथा उनको विवाह योग्य मान लिया जाता है। इस आयु वर्ग में आने के पश्चात् सामाजिक रूप से विवाह की अनुमति दे दी जाती है लेकिन वर्तमान में शासन द्वारा निर्धारित आयु पूर्ण होने के पश्चात ही विवाह किया जाता है।

6.4 विवाह संस्कार

कोंध जनजाति के जीवन चक्र का दूसरा महत्वपूर्ण संस्कार **''विवाह''** है। जहां से नव विवाहित युगल पारिवारिक क्रियाकलापों को प्रारंभ करते हैं। यह समुदाय गोत्र बर्हिविवाही समुदाय है। समगोत्रीय विवाह निशेध होता है क्योंकि एक गोत्र के समस्त सदस्य आपस में एक पूर्वज के संतान अर्थात् भाई–बहन माना जाता है।

इस समुदास में विवाह हेतु प्रस्ताव लड़के पक्ष के मुखिया द्वारा पहल की जाती है। वर/वधू के लिए मामा–फूफू के परिवार को प्राथमिकता दी जाती है। सर्वेक्षित कोंध परिवारों में वैवाहिक स्थिति निम्नानुसार पायी गईः–

तालिका क्रमांक–25
सर्वेक्षित परिवारों में वैवाहिक स्थिति

क्र.	वैवाहिक स्थिति	सदस्य संख्या					
		पुरूष		महिला		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	अविवाहित	115	42.59	113	41.24	228	41.91
2.	विवाहित	148	54.81	149	54.38	297	54.59
3.	विधवा/विधुर/परित्यक ता	07	02.60	12	04.38	19	03.50
योग		**270**	**100.00**	**274**	**100.00**	**544**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल सर्वेक्षित जनसंख्या में से 41.91 प्रतिशत अविवाहित, 45.59 प्रतिशत विवाहित पाये गये। वही 03.50 प्रतिशत व्यक्ति विधवा, विधुर एवं परित्यकता की श्रेणी के पाये गये।

1. विवाह–आयु

कोंध जनजाति में बालक/बालिकाओं के विवाह अपने–अपने दैनिक कार्यों में निपुर्ण हो जाने एवं एक निश्चित आयु आने पर किये जाते हैं। वर्तमान में लड़कों का विवाह सामान्यतः 21 वर्ष एवं लड़कियों का विवाह 18 वर्ष के पश्चात् संपन्न करा दिया जाता है। सर्वेक्षित परिवारों के विवाहित सदस्यों की विवाह उम्र निम्नानुसार पायी गई :–

तालिका क्रमांक–26

सर्वेक्षित परिवारों में वैवाहिक उम्र का विवरण

क्र.	विवाह उम्र (वर्षो में)	विवाहित सदस्य					
		पुरूष		महिला		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	18 वर्ष के पूर्व	05	03.23	24	14.91	29	09.18
2.	18–20 वर्ष	13	08.39	121	75.16	134	42.41
3.	21–25 वर्ष	114	73.54	13	08.07	127	40.18
4.	25 वर्ष से अधिक	23	14.84	03	01.86	26	08.23
योग		**155**	**100.00**	**161**	**100.00**	**316**	**100**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कोंध जनजाति में सर्वाधिक 41.02 प्रतिशत बालक–बालिकाओं के विवाह 18–20 वर्ष में संपन्न हुआ है। 14.91 प्रतिशत लड़कियों के विवाह 18 वर्ष से कम उम्र में होना पाया गया। वही 11.62 प्रतिशत पुरूषों का विवाह 21 वर्ष से कम उम्र में संपन्न करा दिये गये। कोंध जनजाति में 88.38 प्रतिशत पुरूषों का विवाह उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक की आयु में एवं 90.82 प्रतिशत स्त्रीयों का विवाह 18 वर्ष से अधिक की आयु में होना पाया गया।

2. वैवाहिक दूरी

किसी भी समुदाय का संकेन्द्रण क्षेत्र विशेष में एक निश्चित भाग या खण्ड में होता हैं। धीरे–धीरे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इनका फैलाव होता जाता है। कोंध जनजाति की अधिकार जनसंख्या भी एक विशेष क्षेत्र में अधिक है किन्तु वर्तमान में इनका फैलाव एक से अधिक क्षेत्र में पाया जाता है। इस समुदाय की अधिकतर जनसंख्या उड़ीसा राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। अतः इनका फैलाव एक से अधिक जिलों में पाया जाता है। आवागमन के साधन उपलब्ध होने के कारण उड़ीसा राज्य के बरगढ़, नरसिंहपुर एवं कालाहण्ड़ी जिलों में निवासरत कोंध परिवारों के साथ भी रोटी–बेटी का लेन–देन होना पाया जाता है। सर्वेक्षित कोंध परिवारों में विवाह स्थान की दूरी निम्नानुसार पायी गई :–

तालिका क्रमांक–27

वैवाहिक दूरी

क्र.	वैवाहिक दूरी	पुरूष		महिला		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	0	07	04.52	09	05.59	16	05.06
2.	1–10	24	15.48	23	14.29	47	14.87
3.	11–20	37	23.87	39	24.22	76	24.06
4.	21–30	54	34.84	58	36.03	112	35.44
5.	31–40	19	12.26	22	13.66	41	12.97
6.	41–50	08	05.16	07	04.35	15	04.75
7.	50 से अधिक	06	03.87	03	01.86	09	02.85
योग		155	100.00	161	100.00	316	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षित कोंध जनजाति के विवाहित सदस्यों में सर्वाधिक 35.44 प्रतिशत सदस्यों का विवाह 21–30 कि.मी. की दूरी में संपन्न हुये। तत्पश्चात् 24.06 प्रतिशत सदस्यों का विवाह 1720 कि.मी. की दूरी में, 14.87 प्रतिशत सदस्यों का विवाह 1–10 कि.मी. की दूरी में एवं 12.97 प्रतिशत सदस्यों का विवाह 31–40 कि.मी. की दूरी में विवाह संपन्न हुआ है। 05.06 प्रतिशत परिवारों ने अपने ही ग्राम में ही वैवाहिक संबंध बनाये। जबकि 04.74 प्रतिशत सदस्यों का विवाह 41–50 कि.मी. एवं 02.85 प्रतिशत सदस्यों ने

50 कि.मी. से भी अधिक की दूरी पर वैवाहिक संबंध होना पाया गया।

कोंध जनजाति समुदाय में विवाह हेतु कन्या की तलाश वर के पिता द्वारा सगे–संबंधियों की मदद से की जाती है। कन्या मिल जाने पर पहल वर पक्ष द्वारा की जाती है, पिता व उनके सहयोगी लड़के के साथ कन्या के घर जाते है वधू पक्ष भी इस दिन अपने घनिष्ठ संबंधियों के साथ तैयार रहते है। दोनों तरफ से अपने–अपने गोत्र के बारे में जानकारी दी जाती है। रिश्ता पंसद आने पर गोत्र मिलान की जाती है जिसे **''लाठी टेकना''** कहते है। लाठी टेकने का कार्य वर पक्ष द्वारा किया जाता है। वर पक्ष द्वारा वधू के लिए लाये कपड़े को पहनकर वधू सभी सगे–संबंधियों के बीच आती है और वहीं पर लड़की का पिता लोटे में पानी लेकर आता है। उस लोटे के पात्र को सात गोत्र के लोग छुते है, जिसके बाद लड़की का पिता लड़के के पिता को उस लोटे के पानी को पिलाता है, जिसका अर्थ ''आज से मेरी बेटी आपकी बहू हुई'' होता है। इसके बाद उस समुदाय का सबसे बुजुर्ग सदस्य वर एवं वधु के नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए **''सूर्य देव''** को साक्षी मानते हुए दोनों के विवाह गंठबंधन की घोषणा करता है। दोनों पक्ष द्वारा मिलकर विवाह हेतु निश्चित तिथि तय कर ली जाती है। जिसे **''लगन धरना''** कहते है साथ ही साथ **''मूलसुक'' (वधूमूल्य)** का निर्धारण भी कर लिया जाता है। इसके पश्चात् दोनों पक्ष मिलकर कन्या के घर पर सामूहिक भोज करते है भोजन पश्चात् वर पक्ष को विदा कर दिया जाता है।

3. मूलसुक (वधूमूल्य)

कोंध जनजाति में **''मूलसूक'' (वधूमूल्य)** के रूप में **02 लुगड़ा, 2 खंड़ी चावल (50 किलो), 4 कुरो दाल (8 किलो) हल्दी, गुड़, एक बकरा, वधू का श्रृंगार सामान, 51 रू. नकद** तथा आर्थिक स्थिति अच्छी होने पर कुछ गहने जैसे **ककनी, बनोरिया, सुता, डोड़ी, झकला** आदि दिया जाता है। मूलसुक का तात्पर्य वधू का मूल्य चुका कर बेटी के रूप में लाया जाता है।

मूलसुक को सामाजिक रूप से उपरोक्त नियमानुसार ''गोड़धोवा'' (सगाई) के दिन वर पक्ष को देना अनिवार्य होता है।

4. गोड़धोवा (सगाई)

वर पक्ष अपने घनिष्ठ सगे–संबंधियो के साथ मूलसुक को लेकर निश्चित तिथि में वधू के घर आते है।

समाज का धार्मिक बैगा के हाथों से मूलसूक लड़की के पिता को समर्पित करता है तथा सभी की उपस्थिति में माँ बम्लेश्वरी, दूल्हादेव, धर्मदेव आदि की स्तुती करते हुए पूजा–अर्चना की जाती है। वधू को वर के यहॉ से प्राप्त कपड़े एवं श्रृंगार से श्रृंगारित होकर सभा में उपस्थित जनों से सुखद वैवाहिक जीवन की शुरूवात का आशीष लिया जाता है। तत्पश्चात् सभी को **''गोड़धोवा''** का प्रसाद देकर एवं शराब पिलाकर सामूहिक भोज कराया जाता है।

5. विवाह रस्म

इस जनजाति में विवाह पांच दिनों का होता है विवाह निमंत्रण **''हल्दी गांठ''** के द्वारा दिया जाता है। विवाह का प्रथम दिन **''चुलमाटी''** का कार्यक्रम होता है। इस दिन वधू की बुआ, फूफू एवं अन्य महिलायें बारात आने वाली दिशा में बैगा के साथ ग्राम के बाहर ठाकूरदेव को पान, सुपाड़ी, धूप, अगरबत्ती दिखाकर पूर्जा–अर्चना की जाती है और शराब का तर्पण किया जाता है तथा वधू के माता द्वारा आंचल में मिट्टी लायी जाती है। पूर्व में चुलमाटी के पहले वर एवं वधू को **''चिरका पानी प्रथा''** को पूर्ण करना होता है। इस प्रथा में वर अथवा वधू का ग्राम के बाहर शाम को अंधेरा होते समय एक मटके को सात बार सिर से छुआ कर उतारते है तथा उसे निवस्त्र अवस्था में घर आना होता है। इसके पीछे यह अवधारणा है कि वर/वधू अपने बचपन एवं लज्जा को त्यागकर ग्रहस्थ अवस्था में प्रवेश के लिए अपने आप को योग्य साबित करना होता था। वर्तमान में यह प्रथा बंद कर दी गई है। चिरका पानी पश्चात् ठाकूरदेव के चरणों की माटी (चुलमाटी) लेने जाते है। इस दिन वर व वधू को घर पर ही तेल–हल्दी चढ़ायी जाती है।

विवाह का दूसरा दिन सुबह **मंडप** तैयार किया जाता है। पुरूष सदस्य वन में पूजा अर्चना कर सरई की लकड़ी, महुआ लकड़ी व डाल, जामुन डाल, आमडाल व बांस

लाते है। महुआ लकड़ी पर दुल्हादेव की प्रतिकृति बनाकर आँगन के बीच में गाड़ दिया जाता है। जिसके चारों तरफ मंडप बनाकर उपर महुआ पत्ती/जामुन पत्ती आम डाल आदि से **''छा'' (छाजन)** दिया जाता है। ग्राम बैगा वर या वधू की फूफू/बुआ एवं अन्य महिलाओं के साथ देगंसा (देवतला) में पूजा–अर्चना की जाती है। तथा ग्राम देव के साथ–साथ अन्य ग्राम देवी–देवताओं को तेल–हल्दी चढ़ाया जाता है। ग्राम के देवतला से लायी महुआ डाल को मंडप की बेदी पर प्रतिस्थापित किया जाता है, तथा चुलमाटी से लायी मिट्टी की **''गौरी''** (पार्वती) की प्रतिकृति बनायी जाती है फिर बेदी के चारों ओर चौक बनाकर सात महिलाओं द्वारा 7–7 बार वर/वधू को तेल–हल्दी चढ़ाते है।

इस जनजाति में विवाह के समय वर एवं वधू हमेशा धनुष के **''तीर''** को पकड़े हुये रहते है। ''तीर'' वर एवं वधू को आजीविका के साधन (शिकार एवं कंदमूल) जुटाने में सक्षम होने के प्रतीक के रूप में माना जाता है। रात्रि में मंडप के नीचे उपस्थित जनों को शराब पिलाकर **''मंडवा भात''** खिलाया जाता है।

विवाह के तीसरे दिन सुबह **''तेलवाही''** खेला जाता है जिसमें परिहास संबंधी रिश्तेदार आपस में एक–दूसरे को तेल–हल्दी लगाते है, वर एवं वधू को गोद में उठाकर नाच–गाना करते है। तत्पश्चात् वर–वधू को नहलाया जाता है। एक ओर वर पक्ष द्वारा दोपहर के बाद बारात जाने की पूरी तैयारी कर ली जाती है तो दूसरी ओर वधू पक्ष घर की साफ–सफाई कर बारातियों के स्वागत एवं विवाह संबंधी सभी तैयारी कर ली जाती है।

विवाह के **तीसरे दिन** शाम लगभग 4–5 बजे **''बारात''** निकलती है। बारात पहुंचने पर ग्राम के मध्य बारातियों की वधू पक्ष द्वारा **''परघनी''** (स्वागत) करते है। तत्पश्चात् वर एवं वधू के घनिष्ट संबंधियों द्वारा **''संबंध भेट''** का कार्यक्रम होता है। बारातियों को वधू घर के आसपास का घर **''डेरा (जनवासा)''** दिया जाता है। तत्पश्चात् डेरा घर मे सुआसिन एवं अन्य महिलाये दूल्हे को **''लालभाजी''** खिलाने की परम्परा का निवर्हन करती है उसके बाद सभी बारातियों को खाना खिलाते है। उसी समय डेरा घर में दूल्हा को **''दूधभात''** खिलाया जाता है फिर पूरी रात नाच–गाना चलता है।

विवाह के चौथे दिन शादी हेतु मड़वा के निचे का कार्यक्रम होता है जिसमें दूल्हा कमीज एवं धोती पहनता है तथा सिर में पगड़ी पहनता है, जबकि दूल्हन लुगड़ा, ब्लाउज एवं विशिष्ट श्रृंगार करते है तथा दोनों का गांठ जोड़ा कर मंडप में बैठाया जाता है। विवाह की सभी संस्कार धार्मिक मुखिया संपादित कराता है। वर–वधू द्वारा बेदी के सात फेरे लगाये जाते है विवाह की रस्में पूर्ण होने पर वधू पक्ष के संबंधी नवदंपती को भेटस्वरूप उपहार

टिकावन के रूप में देते है। इस दौरान महिलाओं द्वारा विवाह गीत भी गाया जाता है। विवाह सम्पन्न होने के पश्चात् सभी बारातियों को भोज कराया जाता है। अगली सुबह बरातियों को बिदा कर दिया जाता है।

बाराती वापस आते समय ग्राम के सीमा में वर एवं वधू के पैरों को बांध कर सामने में लकीर खींचकर सफेद मुर्गी की बलि दी जाती है। ग्राम देवी–देवता की पूजा–अर्चना कर सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना के साथ ग्राम सीमा में प्रवेश करते है। बारातियों के वापस लौटने पर घर की द्वारी में वर की माता द्वारा वर–वधू की **मौर सेकाई** की जाती है तथा वर–वधू का गृह प्रवेश कराया जाता है और गृह देवी–देवता एवं पूर्वज देव के समक्ष सुखद जीवन यापन की कामना की जाती है। विवाह में शामिल सभी सगे–संबंधियों को सामूहिक भोज के पश्चात् घर में विवाह टिकावन बैठाया जाता है। जहॉ वर पक्ष के सभी सगे–संबधी भेटस्वरूप उपहार देते है। वर के घर टिकावन पश्चात् विवाह सम्पन्न माना जाता है।

6. विवाह प्रकार

कोंध जनजाति में निम्नलिखित विवाह को सामाजिक मान्यता प्राप्त है :–

1. ममेर–फूफेरे विवाह

कोंध जनजाति में वर या वधू हेतु ममेरे–फूफेरे विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। यदि अपने मामा–फूफा के यहा योग्य लड़का/लड़की न होने की स्थिति में अन्यत्र देखा जाता है।

2. उढ़रिया विवाह

कोंध जनजाति समुदाय में जब लड़का–लड़की एक दूसरे को पसंद करते है और वे विवाह करना चाहते है किन्तु विवाह हेतु उनके परिवार के सदस्य सहमत नहीं होते है तो दोनों पलायन कर विवाह कर लेते है। कुछ दिनों पश्चात् वे दोनों वापस लौट आते है। दोनों परिवार के सदस्य लड़का–लड़की का जातिय पंचायत में निर्णय हेतु मामले को प्रस्तुत करते है। मामले की सुनवाई कर दोनों को पति–पत्नी के रूप में मान्यता दी जाती है ऐसे मामलों में जातीय पंचायत दोनो से आर्थिक दण्ड वसूल करती है एवं सामाजिक भोज देने का आदेश देती है।

3. घर देखी विवाह

इस जनजाति में जब ममेर–फूफेरे में विवाह योग्य लड़के–लड़कियाँ नहीं होती है तब घर देखी विवाह

सामाजिक रीति–रिवाज से किया जाता है जिसमें शुरूवात वर पक्ष द्वारा लड़की देखने से की जाती है। प्रायः अधिकांश विवाह इसी प्रकार के होते है इस विवाह में माता–पिता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

4. पुनर्विवाह

कोंध जनजाति में विधुर, विधवा तथा निःसंतान विवाहित व्यक्ति के पुर्नविवाह का प्रचलन पाया जाता है। पुनर्विवाह हेतु स्त्री की इच्छा या सहमति आवश्यक होती है पुर्नविवाह बंदवा, चूड़ी पहनाकर आदि द्वारा किया जाता है।

5. घरजिया विवाह

कोंध जनजाति में ऐसा विवाह प्रायः घर में पुत्र संतान न होने की स्थिति में किया जाता है। इसमें विवाह पश्चात् पति पत्नी के घर जाकर निवास करने लगता है। इस प्रकार के विवाह में मूलसुक (वधू मुल्य) चुकाना नहीं पड़ता है।

6. देवर भाभी एवं जीजा साली विवाह

कोंध जनजाति में पति की मृत्यु के पश्चात् पति के छोटे भाई के साथ विधवा स्त्री का विवाह सामाजिक मान्यता प्राप्त है किन्तु इस विवाह हेतु दोनों की रजामंदी आवश्यक होती है इसी प्रकार पत्नी की मृत्यु पश्चात् यदि साली कुंवारी हो तो उनका विवाह भी सामाजिक रूप से मान्य होता है। दोनों की सहमति होने पर चुड़ी पहनाकर उन्हें सामाजिक रूप से पति–पत्नी मान लिया जाता है।

6.5 दाम्पत्य जीवन

कोंध जनजाति में विवाह पश्चात् पति पत्नी दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते हुये अपने परिवार के भरण–पोषण एवं आर्थिक गतिविधियों की समस्त जिम्मेदारियों को वहन करता है। पिता द्वारा हस्तांतरित भूमि आदि पर कृषि कार्य करते है। कृषि भूमिं न होने पर मजदूरी, वनोपज आदि के माध्यम से अपनी व बच्चों का लालन–पालन करते हुए धीरे–धीरे वृद्धावस्था को प्राप्त होते है।

6.6 वृद्धावस्था

कोंध जनजाति में पिता अपने बच्चों की शादी–ब्याह करने के पश्चात् अपने आपको सामाजिक कर्तव्यों से

मुक्त मानकर अपनी वृद्धावस्था का अनुभव करता है। उसका कार्य परिवार के सदस्यों को पारिवारिक, सामाजिक व आर्थिक कार्यों में दिशा–निर्देश देने का रह जाता है तथा सामाजिक जाति पंचायतों की बैठकों में जाना, उसका प्रतिनिधित्व करना, शादी ब्याह संबंधी रिश्ते सुझाना आदि कार्य कर अपना समय व्यतीत करता है। वही कोंध महिलायें सामान्य घरेलु कार्य जैसे– धान कुटना, वनोपज सुखाना, बहूओं एवं बेटियों को दैनिक कार्य संबंधी सुझाव देना व नाती पोते की देखभाल आदि कार्य करते हुए मृत्यु को प्राप्त करती है।

6.7 मृत्यु संस्कार

कोंध जनजाति में मृत्यु को जीवन की पूर्णता एवं नियति माना जाता हैं परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर स्त्रियां जोर–जोर से विलाप करती है जिसे सुनकर पड़ोसी एकत्रित होते है सभी निकटस्थ सगे–संबंधियों को सूचना दी जाती है इस समुदाय में मृत भारीर को **दफनाने** की प्रथा प्रचलित है, इनमें सूर्यास्त के बाद भाव को दफनाया नही जाता है। सगे–संबंधियों एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में दिन के समय ही शव को दफन किया जाता है।

शव को ले जाने के पूर्व मृत देह में तेल हल्दी लगायी जाती है उसके नाक और कान में रूई डाल दी जाती है तथा शव को सफेद कपड़ा (कफन) से ढंक दिया जाता है शव को ले जाने के लिए बांस की **''चैली (अर्थी)''** बनायी जाती है जिस पर मृतक के कपड़े (ओढ़ने, बिछाने) आदि को बिछाया जाता है जिसके उपर शव को पीठ के बल लेटाया जाता है, तत्पश्चात् मृतक के पुत्र व अन्य सगे–संबंधी कांधा देकर शमशान घाट ले जाते है। दफनाने हेतु 5–6 फीट लम्बा, 2–3 फीट चौडी और 4–5 फीट गहरी कब्र (गड्ढा) खोदी जाती है।

1. माटी देना

मृत शरीर को गड्ढे (कब्र) में उत्तर दिशा में सिर व पैरों को दक्षिण दिशा पर रखा जाता है। शव के समीप उसके कपड़े, कुछ पैसा व खाने पीने की वस्तुएं रखी जाती है। इसके पश्चात् पांच अथवा सात बार कब्र की परिक्रमा की जाती है। मृतक को मिट्टी देने का प्रथम अधिकार बड़े पुत्र को होता है तत्पश्चात् सगे–संबंधी एवं उसी गोत्र के लोग व अन्य लोग मिट्टी डालते है। शव को दफनाने के पश्चात् सभी नदी, नाले अथवा तालाब में घाट के किनारे मृतक के नाम की ''ऊरई जड़ी'' को गाड़ते है और सभी नहाने के पश्चात् तीन–तीन अंजली जल

''ऊरई जड़ी'' पर डालते है तथा मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते है।

घर से भाव यात्रा के प्रस्थान पश्चात् महिलायें शव रखे स्थान की साफ–सफाई कर गोबर से लिपाई करती है और उपस्थित सभी महिलायें नहाने हेतु उसी घाट पर नहाकर ''ऊरई जड़ी'' पर पानी डालती है नहाने व पानी डालते के पश्चात् साडी के आंचल से पानी लेकर घर आती है और मृतक की आत्मा की शांति के लिए शव रखे स्थान पर अर्पित करती है और मृतक के नाम का दिया जलाया जाता है। सभी के घर वापस आने पर मृतक के नाम का **''मिट्टी भात'' (मृत्यु भोज)** खिलाया जाता है।

2. तीज नहान

मृत्यु के तीसरे दिन के संस्कार को **''तिज नहान''** कहा जाता है। इस दिन अन्य गोत्र की बहू–बेटी, बुआ या फूफू घर की साफ–सफाई एवं लिपाई–पुताई करते है, कपड़े धोते है। भोजन एवं पानी लाने का कार्य अन्य गोत्र के पुरूषों द्वारा किया जाता है। इस दिन शवाधान में शामिल सभी व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है। पहले सभी पुरूष नहावन हेतु नदी, नाला या तालाब के उसी घाट पर जाते है जहां पर ''ऊरई जड़ी'' गाड़ी हुई होती है सभी स्नान पश्चात् अंजली में मृत आत्मा की शांति के लिए जल अर्पित करते हैं। तत्पश्चात् यह प्रक्रिया महिलाओं द्वारा भी की जाती है। इसके बाद तीज नहावन में आये सभी लोगों का धार्मिक मुखिया द्वारा हल्दी पानी का छिड़काव कर शुद्धीकरण किया जाता है।

इसी दिन मृत्यु को प्राप्त पुरूष की बेवा (पत्नी) की चूड़िया अन्य महिलाओं द्वारा उतारी जाती है तथा उसके हाथो में सिल्वर या गिलेट धातु की चूड़ी पहनायी जाती है। तत्पश्चात् शव रखे स्थान पर दीप जलाकर दोना में मृतक के नाम का भोग लगाकर सामूहिक भोज कराया जाता है। इस दिन मृतक परिवार का आंशिक शुद्धीकरण हो जाता है और मृतक का परिवार घर में भोजन पकाकर खाना शुरू कर देता है।

3. दशगात्र

इस समुदाय में पुरूष मृत्यु होने पर दशवे दिन और महिला मृत्यु के नौवें दिन **दशगात्र संस्कार** किया जाता है जिसमें सगे–संबंधियों के अलावा ग्राम के अन्य जातियों के परिचितों को मृत्यु भोज हेतु बुलाया जाता है। दशगात्र के दिन सुबह मुखाग्नि या प्रथम मिट्टी दिये बड़े पुत्र का मुण्डन किया जाता है साथ ही मृतक के अन्य

रक्त संबधी पुरूष सदस्यों का मुण्डन किया जाता है पहले पुरूषों द्वारा उसी नदी, नाला, तालाब के घाट पर जहां ऊरई जड़ी को गाड़ा गया होता है नहाने के पश्चात् आत्मा शांति हेतु जल अर्पित किया जाता है बाद में महिलाओं द्वारा इसी प्रक्रिया को दोहराया जाता है।

मृतक के परिवार द्वारा दशगात्र में शामिल सभी लोगों को सामर्थ्य अनुसार दाल–भात, साग–सब्जी एवं शराब आदि का सामूहिक भोज कराया जाता है। सामूहिक भोज के पूर्व कुल देवी–देवता एवं पूर्वज देव की नारियल, धूप अगरबत्ती आदि से मृत आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की जाती है। हल्दी एवं चंदन पानी से घर, आंगन आदि जगहों पर तथा दशगात्र में शामिल सभी लोगों पर छिड़कांव कर शुद्धीकरण किया जाता है। पुरूष सदस्यों में चंदन का टीका (तिलक) भी लगाया जाता है। इस दिन मृतक के भांचा (भांजा) को दैनिक उपयोग की वस्तु एवं दाल चावल दान दिया जाता है। यह एक पवित्र कार्य माना जाता है।

4. पुनर्जन्म की अवधारणा

दशगात्र की रात धार्मिक मुखिया (बैगा) द्वारा मृतक की **''आत्मा का अवह्रान''** कर पुर्नजन्म किस योनी में हुआ है, का पता लगाया जाता है, जिसके लिए बैगा एवं समाज के बुजुर्ग सदस्य मृतक को दफनाये/जलाये दिशा में जाते है तथा एक स्थान की साफ–सफाई कर **''पीढ़ा''** रख देते है, पीढ़ा के चारों ओर एक छोटा तम्बू बनाते है, तम्बू के चारो ओर चावल एवं आटे का घेरा बनाते है तथा बैगा मृतक की आत्मा का अवह्रान करता है। मृतक की आत्मा किसी न किसी जीव के रूप में चावल एवं आटे से बने घेरे में प्रवेश करती है तब आटे की बनी लोई से उस जीव को थापकर लोहे के दो टुकड़े को बजाते हुए घर वापस आते है। घर में उपस्थित पुरूष सदस्य मुख्य कमरे में

नौरंग का घेरा बनाये रखते है जिसके चारों दिशाओं में रास्ता बना कर कमरे को अंदर से बंद कर देते है और जैसे ही बैगा एवं अन्य सदस्य बाजा बजाते हुए घर पहुंचते है, ओर दरवाजा खटखटाते है, तो कमरे के अंदर से पूछा जाता है कि मृतक की आत्मा कहा गयी थी तो बाहर वाले जवाब देते है कि गंगा गयी थी, तब दरवाजा खोलकर उनका स्वागत सत्कार किया जाता है।

घर के अंदर प्रवेश कर बैगा उस नौ रंग के घेरे में मृत आत्मा का पुनः अवह्यान करता है। यह प्रक्रिया तब तक दोहरायी जाती है, जब तक कोई जीव उस नौ रंग के घेरे में ना आ जाये, जो जीव उस घेरे में आता है, उसे आटे की लोई से ढ़क दिया जाता है। मृतक यदि पुरूष हो तो मुर्गा एवं महिला हो तो मुर्गी की बलि चढ़ाई जाती है फिर उसके पंख निकालकर अर्थी उठाने वाले आगे के व्यक्तियों को पीछे वाला व्यक्ति पंख से सात बार उतारता है, यही प्रक्रिया आगे वाले व्यक्ति पीछे वाले व्यक्ति को करता है तत्पश्चात् बुजुर्ग जानकार व्यक्ति पूर्वज देव के पास लोई को गाड़ देता है, तथा बाहर आकर मृतक की आत्मा किस योनी (जीव) के रूप में शामिल हुई, बताया जाता है।

इस जनजाति में आकस्मिक मृत्यु, दुर्घटना से हुई मृत्यु, पुरानी बीमारी, फैलने वाली बीमारी व कुष्ठ रोग आदि से मृत व्यक्ति को जलाया जाता है, जबकि मृत जन्में नवजात शिशु या जन्म के बाद शिशु की मृत्यु हो जाने पर बाड़ी आदि में दफनाया जाता है।

==========00==========

अध्याय –7

राजनैतिक संगठन

मानव समाज में संगठन तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए सामाजिक प्रतिमान एवं सामाजिक नियन्त्रण के अनेक साधन होते है, जो अपने समुदाय को निर्देशित एवं नियन्त्रित करता है। सरल समाज में ये साधन अनौपचारिक, अचेतन एवं सहज होते है। इस प्रकार प्रत्येक जनजाति में सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखने के लिए एक पृथक राजनितिक संगठन पाया जाता है, जिसे **'जाति पंचायत'** के रूप में जाना जाता है, जो समुदाय में प्रचलित रीति–रिवाज, परम्परा एवं प्रथाओं को सामुदायिक रीति से सामन्जस्य बनाकर कार्य करती है। आजादी मिलने के पूर्व तक सामाजिक मामलों के निपटारे जातीय पंचायतों के माध्यम से ही किया जाता था। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् न्यायालयों की स्थापना, विभिन्न कानून निर्माण के बाद आज भी न केवल जनजातीय समुदायों में वरन ग्रामीण समुदाय में जातीय पंचायतों की भूमिंका महत्वपूर्ण होती है।

प्रत्येक जाति संगठन अपने जाति या समुदाय को अन्य समाज से अलग मानती है। कोंध जनजाति के लोग भी स्वयं को अन्य समाज या समुदाय से पृथक एवं विशिष्ट मानती है। ये अपने जातीय पंचायत के माध्यम से अपनी संस्कृति की रक्षा एवं सामाजिक एकता को बनाये रखने का प्रयास करते है, साथ ही यह समुदाय के सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान भी करता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जातीय पंचायत वंश एवं परम्परा को संचालित करने वाला महत्वपूर्ण संस्था है, जो समुदाय में रक्त की शुद्धता को बनाये रखता है। जातीय पंचायत समुदाय के लोगों के साथ होने वाले शोषण का विरोध भी करता है। समुदाय में प्रचलित रीति–रिवाज, परम्परा, लोक–संस्कृति एवं लोकाचार की रक्षा भी जातीय पंचायत के माध्यम से होता है। इस प्रकार कोंध जनजाति की जातीय पंचायत एक बहु–आयामी संस्था है।

कोंध जनजाति में सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक नियन्त्रण के लिए जनजाति पंचायत का त्रिस्तरीय स्परूप पाया जाता है, जो कि निम्नलिखित हैः–

1. जनजाति पंचायत (ग्राम स्तर पर)
2. गद्दी पंचायत (क्षेत्रीय स्तर पर)
3. महापंचायत (केन्द्र स्तर पर)

1. जनजाति पंचायत (ग्राम स्तर पर)

कोंध निवासित प्रत्येक ग्राम में पृथक–पृथक **''जाति पंचायत''** होती है, जिसमें कोंध समुदाय के ही व्यक्ति सदस्य होते है। जाति पंचायत का मुखिया बुजुर्ग अनुभवी **''श्याना''** व्यक्ति होता होता है, जिसका पद परम्परागत होता है। साथ ही ग्राम के प्रत्येक कोंध परिवार का मुखिया जाति पंचायत के सदस्य होते है। जाति पंचायत में उपरोक्त के अलावा कोटवार का पद भी होता है, जो बैठक आयोजन की सूचना जाति के सभी लोगो तक या लोगों की समस्या आदि को जाति के मुखिया तक पहुंचाने का कार्य करता है।

ग्राम स्तर की जाति पंचायत में ग्राम में घटित समस्या या मुद्दे सर्वसम्मति से न्यायपूर्वक तरीके से हल किये जाते है। मुखिया समुदाय के नियमों के जानकार होने के साथ–साथ निर्णय देने की क्षमता रखता है। इसमें ग्राम स्तर के मामलों जैसे– चोरी, शराब पीकर गाली–गलौच करना, मारपीट, पति–पत्नी का विवाद एवं सम्पत्ति का बंटवारा आदि का समस्याओं को सुलझाया जाता है।

कोंध जनजाति में जनजाति पंचायतों की कार्यवाही के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाती हैः–

1. अपराध या घटना की सूचना देना

कोई समस्या या घटना घटित होने पर पीड़ित व्यक्ति सर्वप्रथम ग्राम के जातीय मुखिया **''श्याना''** को सूचित करता है सूचना के आधार पर मुखिया तय करता है कि समस्या/अपराध छोटा या बड़ा है। ग्राम स्तर पर निपटने योग्य मामला हो तो समाज के कोटवार या चपरासी से सभी सदस्यों तथा संबंधितों को सूचना दी जाती है, कि नियत तिथि एवं समय में संबंधित के मामला का निपटारा जाति पंचायत में होना है।

2. बैठक स्थल

ग्राम स्तरीय जाति पंचायत की बैठक प्रायः किसी निश्चित स्थान पर न होकर पीड़ित/दोषी व्यक्ति के घर पर आयोजित होता है। गद्दी पंचायत की बैठके भी प्रायः क्षेत्र के पीड़ित व्यक्ति के घर अथवा गद्दी पंचायत के मुखिया के यहॉ की जाती है। जबकि महापंचायत की बैठक कार्यालय में ही आयोजित की जाती है।

3. बैठक की कार्यवाही

नियत तिथि, समय एवं स्थल पर श्याना, सदस्य एवं दोनों संबंधित पक्ष सम्मिलित होते है। दोनों पक्षों को ग्राम देवी–देवता या भू देवी (धरती माता) की शपथ दिलायी जाती है। तथा जाति पंचायत के निर्णय/फैसले को मानने की बाध्यता पर आगे की कार्यवाही की जाती है। सहमति की दशा में मामले या घटना में कोई प्रमाण स्वरूप साक्ष्य या गवाह हो तो प्रस्तुत करने को कहा जाता है।

4. निर्णय व फैसला

संबंधित मामले का गहनता से अवलोकन कर, उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाह, दोनों पक्षों के पूर्व संबंध, आपसी रंजिश आदि जानने के पश्चात बुजुर्ग परिषद आपस में मंत्रणा कर किसी ठोस नतीजे पर पहुंच कर उपस्थिति सदस्यों के समक्ष मुखिया द्वारा निर्णय सुनाया जाता है।

5. दण्ड

कोंध जनजाति में निर्णय के पश्चात् दोषी व्यक्ति को मामले के आधार पर अर्थदण्ड, सामाजिक भोज, जाति बहिष्कृत आदि की सजा सुनायी जाती है।

6. ग्राम स्तरीय जनजाति पंचायत के कार्यः

1. ग्राम स्तरीय जाति पंचायत ग्राम देवी–देवताओं की पूजा, उत्सवों की तिथि एवं मनाये जाने वाले त्यौहारों की तिथि का निर्धारण करना।
2. आपसी लड़ाई–झगड़े का निपटारा करना।

3. कोंध समुदाय के विजातीय प्रेम–पंसग का निपटारा करना।
4. समुदाय में प्रचलित मान्यताओं, प्रथाओं, रीति–रिवाजों को जाति के सदस्यों में लागू करना व नियमित क्रियान्वित करना।
5. गद्दी या महापंचायत के निर्देशों पर दृष्टि रखना एवं उनसे सामजस्य स्थापित करना।
6. सम्पत्ति का बंटवारा करना।

यदि कोई पक्ष ग्राम स्तर की जातीय पंचायत के निर्णय से संतुष्ट नहीं है या भेद–भाव पूर्ण निर्णय महसूस करता है, तो वह मामले को गद्दी पंचायत में गुहार (अपील) कर सकता है।

2. गद्दी पंचायत (क्षेत्रीय स्तर पर)

गद्दी पंचायत का निर्माण 10–15 ग्रामों की जातीय पंचायतों को मिलाकर किया जाता है जिसका मुखया सरपंच कहलाता है। प्रत्येक ग्रामों के मुखिया गद्दी पंचायत के क्रियाशील सदस्य होते है। इन क्रियाशील सदस्यों में से एक को सचिव बनाया जाता है। गद्दी पंचायत में क्षेत्र के अन्तर्गत आनेवाली समस्याओं का निराकरण सर्वसम्मति से किया जाता है। इसमें ग्राम स्तर की जातीय पंचायत के निर्णय से असंतुष्ट पक्ष या मुद्दे पेश कर सकता है। इस पंचायत में सभी छोटे–बड़े मामले शामिल किये जाते है। लेकिन साधारणतः यह अपेक्षा की जाती है कि मामलों को ग्राम स्तर पर ही निपटा लिया जाये अथवा दोनों पक्षो में समझौता करा दिया जाए। इस पंचायत में चपरासी/कोटवार का पद भी होता है जो बैठक आदि की सूचनाएं सदस्यों तक पहुंचाता है। गद्दी पंचायत को निम्नलिखित रूप से दर्शाया जा सकता हैः–

गद्दी पंचायत का स्वरूप

सरपंच

⬇

सचिव

⬇

सदस्य

⬇

कोटवार/चपरासी

गद्दी पंचायत के कार्यः

1. क्षेत्र में घटित बड़े अपराधों का निपटारा करना।
2. विजातीय प्रेम प्रसंग संबंधी मामलों का निपटारा।
3. तलाक, विवाह, झगड़े आदि का निपटारा करना।
4. ग्राम स्तरीय जाति पंचायतों के अनसुलझे मामलों का सुलझाना।
5. जातिगत देवी–देवताओं से संबंधित वार्षिक कर्मकाण्डीय नियमों को सरल बनाना।
6. केन्द्रीय पंचायत के जातिगत नियमों व निर्णयों को पालन करवाना व उससे समन्वय बनाएं रखना।

3. केन्द्रीय पंचायत (महापंचायत)

सभी क्षेत्रीय पंचायतों को मिलाकर राज्य स्तर पर **केन्द्रीय पंचायत (महापंचायत)** का गठन किया जाता है। केन्द्रीय पंचायत के मुखिया को **''सभापति या अध्यक्ष''** कहा जाता है। जिसका चयन सभी गद्दी व ग्राम स्तर के पंचायतों के मुखिया द्वारा सर्व सम्मति से किया जाता है। सभापति से अपेक्षा की जाती है कि वह सामुदायिक नियमों का जानकार एवं निर्णय लेने की क्षमता रखता हो तथा ईमानदारी पूर्वक लोगों से पारम्परिक संबंध बनाये रखे। सभापति के सहयोग, सलाह एवं मार्गदर्शन आदि के लिए संरक्षक भी होता है। इसके अलावा उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं कोटवार का भी पद होता है।

संक्षेप में महापंचायत को निम्न रूप से दर्शाया जा सकता हैः–

महापंचायत का स्वरूप

संरक्षक

↓

सभापति / अध्यक्ष

↓

उपाध्यक्ष

↓

सचिव

↓

महामंत्री

↓

कोषाध्यक्ष

↓

कार्यकारिणी सदस्य

↓

चपरासी / कोटवार

महापंचायत की बैठक का आयोजन वर्ष में प्रायः एक बार किया जाता है, किन्तु विशेष परिस्थितियों में एक से अधिक बार आयोजित की जा सकती है। कोंध जनजाति में आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ग्राम स्तरीय एवं गद्दी पंचायतों में मामलों को निचले स्तर पर ही निपटारे हेतु निर्देशित किया जाता है। इसमें निचले स्तर के पंचायतो के अनसुलझे मामलों का निपटारा एवं जाति के उत्थान के लिए नियम बनाना एवं दिशा–निर्देश जारी करना होता है।

केन्द्रीय पंचायत (महापंचायत) के कार्य

1. ग्राम या गद्दी पंचायत के अनसुलझे मामलों को सुलझाना।
2. सामुदायिक नियमों, निषेधों एवं मान्यताओं में एकरूपता लाना।
3. जातिगत उत्थान के लिए नियमों का निर्माण व उसके हितो की रक्षा करना।
4. अन्तर्जातीय विवाह संबंधी मामलों का निपटारा करना।
5. बाल विवाह एवं अधिक वधूमूल्य प्रथा संबंधित कार्यो का निषेध करना।
6. समुदाय में सहयोग की भावना जागृत करना तथा अन्य जातियों के साथ परस्पर प्रेम एवं सहयोग बनाये रखने हेतु निर्देशित करना।
7. शिक्षा के प्रति समुदाय के लोगों का प्रोत्साहित करना।

7.2 कोंध जनजाति की जातीय पंचायतों में दण्ड का प्रावधान

कोंध जनजाति की जातीय पंचायतों में शराब पीकर लड़ाई करना, आपसी लड़ाई–झगड़े, निषेधों की उल्लघन, वैवाहिक नियमों में व्यवधान, अधिक वधूमूल्य, अन्तर्जातीय विवाह एवं तलाक आदि मसलों पर दोषी व्यक्ति/पक्षों को दण्ड का प्रावधान है, जिसका स्वरूप निम्नलिखित प्रकार का हो सकता हैः–

1. आर्थिक दण्डः

कोंध समुदाय में जाति पंचायत द्वारा मामले या अपराध आधारित आर्थिक दण्ड दोषी व्यक्ति या पक्ष को सुनाया जाता है। सामान्यतः आपसी लड़ाई–झगड़े, चोरी, शराब पीकर गाली–गलौच, महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल न होना, सामाजिक निषेधों का उल्लघन आदि साधारण अपराध पर आर्थिक दण्ड लगाया जाता है, साथ ही उसे सामूहिक भोज का खर्च भी वहन करना होता है।

2. जाति बहिष्कारः

समाज द्वारा निर्धारित मापदण्ड़ों के विपरित किसी मुद्दे पर दोषी व्यक्ति को समुदाय से वहिष्कृत कर दिया जाता है। इसके अन्तर्गत बड़े अपराध जैसे– गौ–हत्या, अन्तर्जातीय विवाह, विवाह पूर्व गर्भवती होना आदि अपराधों पर समाज से बहिष्कृत करने का प्रावधान है। समाज से बहिष्कृत सजा अन्तर्गत उस परिवार के किसी भी सदस्य से बातचीत, भोजन–पानी, रोटी–बेटी आदि का संबंध प्रतिबंधित कर दिया जाता है।

3. अर्थदण्ड एवं बहिष्कारः

विशेष अपराधिक मामले जैसे– निम्न–उच्च अन्तर्जातीय विवाह, विवाह पूर्व गर्भाधारण, भागकर शादी करना, बलात्कार करना, पूर्व दण्डित आदेश का उल्लघंन आदि परिस्थितियों में अर्थदण्ड एवं जाति बहिष्कार की सजा निर्धारित की जाती है।

इनके जाति पंचायत में दोषी व्यक्ति या पक्ष को उपरोक्त दण्ड के अतिरिक्त सामाजिक भोज का समस्त खर्च भी वहन करना होता है। भोज में बकरा अथवा मुर्गा एवं शराब आदि की व्यवस्था का प्रावधान होता है।

दण्ड का परिपालन

कोंध जनजाति में जनजाति पंचायत द्वारा दोषी व्यक्ति को सुनाये गये दण्ड का पालन उसे हर परिस्थिति में करना होता है, क्योकि दोषी व्यक्ति समुदाय में अकेला नही रह सकता। उसे परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं सामाजिक सुरक्षा आदि के लिए समुदाय पर ही निर्भर रहना पड़ता है। दण्ड की राशि अधिक होने पर उसे कम करने अथवा किस्तों में चुकाने जाति पंचायत से निवेदन कर सकता है, लेकिन सामाजिक भोज एवं जुर्माना का दण्ड उसे तत्काल चुकाना पड़ता है।

==========00==========

अध्याय –8

धार्मिक जीवन

जनजाति मूलतः आदि धर्म पर विश्वास करती है। इनका धर्म प्रकृति, अलौकिक शक्ति, आत्मा एवं देवी–देवता के विश्वास पर आधारित होता है। इन शक्तियों के समक्ष अपने प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य की पूर्णता एवं मनोकामनाओं के लिए नतमस्तक होते है और कार्य सिद्ध होने पर अपने पारम्परिक रीति–रिवाजों, मान्यताओं के आधार पर पूजा–अर्चना, बलि भेंट आदि के माध्यम से अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते है। जनजातीय धर्म उनके सामाजिक, आर्थिक एवं जीवन के विभिन्न संस्कारों से जुड़ा हुआ होता है, जो सामुदायिक एकीकरण एवं सामाजिक समरसता बनाये रखने की उत्तम व्यवस्था है। जनजातियों में पर्व एवं उत्सव अपने आराध्य देवी–देवताओं की पूजा–अर्चना व स्तुति लोकनृत्य एवं गीत संगीत के माध्यम से करते है।

कोंध जनजाति का धर्म मौलिक रूप से प्रकृति, आत्मा, अलौकिक शक्ति संबंधी मान्यताओं एवं विश्वासों पर आधारित है। वे आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते है, और मृत्यु उपरांत अलग–अलग शरीर के माध्यम से पुनर्जन्म में उनका विश्वास है। आत्मा के रूप में पितृदेव (पूर्वज) अपने वंशज की सुरक्षा एवं मार्गदर्शन करते है। उनका विश्वास है कि मानव की सफलता या असफलता ऐसी दैविय शक्तियों के हाथों में होती है, जो घटनाक्रम को परिवर्तित कर सकती है। कोंध जनजाति में 84 प्रकार के देवी–देवतायें पाये जाते है जो सामाजिक, आर्थिक एवं जीवन के अन्य संस्कारों से गुथा हुआ है और सामुदायिक एकीकरण एवं सामाजिक समरसता बनाये रखने की उत्तम व्यवस्था है।

8.1 कोंध जनजाति के देवी–देवता

कोंध जनजाति अपने जीवन के प्रत्येक क्रियाकलापों, पर्व, उत्सव, विशेष अवसरों एवं जीवन संस्कारों पर अपने ईष्ट देवी–देवताओ, प्रकृति के अलौकिक शक्तियों तथा पितृदेव (पूर्वज देव) आदि की पूजा–अर्चना करते है। इनमें अलग–अलग कार्यो के लिए अलग–अलग देवी–देवतायें पायी जाती है। इस प्रकार कोंध जनजाति के देवी–देवताओं को निम्नानुसार दो श्रेणीयों में विभक्त किया जा सकता हैः–

(अ) गृह देवी–देवता

(ब) ग्राम देवी–देवता

(अ) गृह देवी–देवता

कोंध जनजाति के गृह देवी–देवता गोत्र आधारित होते हैं, प्रत्येक गोत्र के सदस्य अपनी–अपनी उत्पत्ति अलग–अलग पूर्वजों से मानते है। प्रत्येक सदस्य आभार स्वरूप त्योहारों एवं उत्सवों आदि पर गृह देवी–देवताओं की पूजा–अर्चना करते है। कोंध जनजाति के प्रत्येक घर में गृह देवी–देवताओं को प्रतिकात्मक स्वरूप पांच स्थलों में स्थापित किया जाता है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :–

1. गृह पूजा कक्ष

कोंध जनजाति के हर घर के भीतरी कक्ष में एक कोने पर देवी–देवताओं को प्रतिस्थापित किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से नरसिंहदेव कोंदेनबुढ़ी, बुढ़ाराजा एवं पूर्वज देव है, साथ ही साथ हिन्दू धर्म के प्रभाव फलस्वरूप हिन्दू देवी–देवताओं को भी प्रतिस्थापित कर प्रत्येक त्यौहारों में पूजा–अर्चना किया जाता है।

नरसिंहदेव कोंध जनजाति के आराध्य देव है, ये इनके संरक्षक माने जाते है। समुदाय की रक्षा एवं समृद्धि के प्रतीक के रूप में कार्य करते है। कोंदेनबुढ़ी एवं बुढ़ाराजा कोंध जनजाति के मुख्य देवी–देवता है, इनमें ऐसी

मान्यता है कि कोंदेन बुढ़ी एवं बुढ़ा राजा के संयोग से ही कोंध जनजाति की उत्पत्ति मानी जाती हैं इसलिए प्रत्येक कोंध परिवार के गृह गर्भ में इनको स्थापित किया जाता है। कोंध समुदाय के लोग अपने प्रत्येक मांगलिक कार्य एवं जाति पंचायत की बैठक का प्रारंभ कोंदेन बुढ़ी एवं बूढ़ाराजा की स्तुती कर शुरू करते है। कोंध जनजाति समुदाय में कोंदेन बुढ़ा एवं कोंदेन बुढ़ी का स्थान हिन्दुओं में **''शिव–पार्वती''** के समान है। इनको समस्त जीव–जन्तु की रक्षा एवं पालन हेतु प्रत्येक त्यौहारों में **''पीथाडू कांदा''** का भोग लगाकर नारियल, धूप अगरबत्ती आदि से पूजा–अर्चना की जाती है।

2. रसोई कक्ष (रंधनीकुरिया)

कोंध जनजाति के प्रत्येक घर में रसोई कक्ष (रंधनीकुरिया) में माता समलाई एवं बररोंल (अग्नि देव) की पूजा की जाती है। इनका निवास चूल्हा में माना जाता है, जिन्हें भोजन पकने के पश्चात् भोग लगाने के बाद ही घर के सदस्यों को भोजन परोसा जाता है।

3. घर के द्वार पर

कोंध जनजाति अपने घर के द्वार पर **''द्वारसेनी''** देवी की पूजा करती है जो घर की बुरी आत्माओं से रक्षा करती है। इनका निवास घर की चौखट पर माना जाता है। इनकी पूजा–अर्चना में मुर्गा की बलि दी जाती है, जिसका प्रसाद परिवार के केवल पुरूष सदस्य ही ग्रहण करते है।

4. आंगन

इस जनजाति के हर आंगन में **''पहटिया देव एवं धरनी देवी''** आदि का वास माना जाता है। धरनी देवी कोंध जनजाति के मुख्य देवी है। इन्हें धरती माता, माटी देवी तथा अन्नपूर्णा देवी के नाम से भी जाना जाता है। ये समृद्धि, खुशहाली एवं प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। फसल की अच्छी पैदावार, बीमारीयों से रक्षा एवं समस्त जगत के पालन हेतु पूर्व में पशुबलि देने की प्रथा थी। इनकी पूजा आषाढ़ माह के अक्षय तृतीया को विशेष रूप से की जाती है।

5. तबेला (कोठा)

प्रत्येक परिवार के तबेला (कोठा) में पशुओं को बीमारी से रक्षा एवं सुरक्षा हेतु **''गोररिया'' एवं ''बघिया''** देवी–देवताओं का निवास स्थान होता है जिनकी हरेली त्यौहार, गोवर्धन पूजा के दिन विशेष रूप से लाल रंग की मुर्गी, फूल, चावल, सिंदूर, नारियल एवं धूप आदि से पूजा–अर्चना कर शराब का तर्पण किया जाता है।

उपरोक्त के अलावा प्रत्येक घर में **''पितृदेव''** (मृत पूर्वज) का विशेष महत्व होता है। ये मृत पूर्वजों को अपने आराध्य देवी देवता के समतुल्य मानते हुए उनकी पूजा–अर्चना करते है और घर के भीतरी कक्ष में एक कोने पर प्रतीकात्मक स्वरूप में स्थापित किया जाता है। यह समुदाय आत्मावादी विचारधारा में विश्वास होने के कारण

यह मानती है कि पितृदेव आत्मा के रूप में अपने वंशज की सुरक्षा एवं मार्गदर्शन करते है, इसलिए कोंध जनजाति आश्विन माह के पितृ पक्ष में इनकी विशेष रूप से पूजा–अर्चना की जाती है। यह जनजाति हिन्दू धर्म के सम्पर्क में होने के फलस्वरूप हिन्दू देवी–देवताओं जैसे– लक्ष्मीनारायण, श्री गणेश, दुर्गामाता, शंकर भगवान, श्री राम–सीता, राधा–कृष्ण एवं बंजरंग बली आदि को गृह में प्रतिस्थापित कर पूजा–पाठ करतें है।

(ब) ग्राम देवी–देवता

ग्राम देवी–देवता की श्रेणी में ऐसे देवी–देवता को शामिल किया जाता है, जिनकी कोंध जनजाति के साथ–साथ ग्राम में निवासरत अन्य जाति एवं जनजाति के लोग भी पूजा करते है व पूरे ग्राम के लिए आराध्य होते है, इनकी विशेष अवसरों पर पूजा–अर्चना की जाती है। ग्राम की खुशहाली, समृद्धि एवं आपदाओं से रक्षा आदि उद्देश्य से इनको स्थापित किया जाता है।

ग्राम देवी–देवता में मुख्य रूप से ठाकुरदेव, धरमधजा, बघियादेव, धरनी देवी, भाटबरसी (बंजारी माता) एवं समलाई माता आदि आती है। इन ग्राम देवी–देवताओं की पूजा–अर्चना ग्राम के धार्मिक बैगा द्वारा किया जाता है तथा ग्राम के अन्य जातियों के साथ मिलकर की जाती है जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

1. ठाकुरदेव

यह ग्राम का मुख्य देवता होता है, जो अन्य देवी–देवताओं को उनके कार्यो को पूर्ण करने के लिए निर्देशित करते है। इनके मान्यतानुसार ग्राम के रक्षा की जिम्मेदारी ठाकूरदेव की होती है। ग्राम के बाहर प्रतीकात्मक स्वरूप में इनको स्थापित किया जाता है। इनकी पूजा की जिम्मेदारी ग्राम के धार्मिक मुखिया –बैगा की होती है, जो सावन

के हरेली त्यौहार (सावन माह की पूर्णिमा) एवं नवाखाई त्यौहार के दिन बैगा उनको बकरा अथवा मुर्गा आदि की बलि देकर नारियल, धूप, अगरबत्ती आदि से पूजा–अर्चना कर शराब अर्पित करता है, और ग्राम की बाहरी अनिष्टकारी शक्तियों से रक्षा की कामना करता है।

2. धरमधजा

इन्हें 'धरमदेव' के नाम से भी जाना जाता है। ग्राम के मध्य में इनका निवास माना जाता है। इनकी प्रतीक के रूप में लगभग 7–8 फीट की मोटी लकड़ी को ग्राम के मध्य में गाड़ देते है, जिसके मांथे पर सिंदूर का टीका लगा दिया जाता है। धरमदेव भूत–प्रेत, पिचास, बुरी नजर, जादू–टोना, प्राकृतिक आपदाओं एवं बुरी आत्माओं से ग्राम की रक्षा करते है। फागून त्यौहार के दिन इनको विशेष रूप से नारियल, धूप, अगरबत्ती आदि से पूजा–पाठ किया जाता है।

3. धरनी देवी (धरती माता)

धरनी देवी कोंध जनजाति के आराध्य होने के साथ–साथ पूरे ग्राम के लिये भी पूजनीय होती है, जिसे धरती माता के नाम से जाना जाता है। धरती माता ग्राम की समृद्धि, खुशहाली एवं प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा करती है। ग्राम में फसल की अच्छी उपज, ग्राम की तरक्की, बीमारी/दुर्घटना से बचाव एवं समस्त जीव–जन्तु के पालन हेतु प्रत्येक त्यौहार में नारियल, धूप, अगरबत्ती आदि से विशेष पूजा की जाती है।

4. बघियादेव

कोंध जनजाति के अनुसार यह ग्राम की रक्षा करने वाले देवता है, इसलिए इनका निवास ग्राम की सीमा में माना जाता है, जो ग्राम में फैलने वाली बीमारियों के प्रकोप, बाह्य भुत–प्रेत का साया आदि से ग्राम की रक्षा करता है। कोंध जनजाति के परम्परानुसार इनकी वार्षिक पूजा नारियल, धूप अगरबत्ती एवं पशु की बलि चढ़ाकर किया जाता है। ग्राम में बारात से लौटते समय वर एवं वधु द्वारा इनका आशीर्वाद लेकर ही ग्राम सीमा में प्रवेश किया जाता है।

5. भाठ्बरसी देवी (बंजारी माता)

यह कोंध जनजाति की 'वनदेवी' है, जंगल में इनका निवास माना जाता है, इन्हें बंजारी माता के रूप में भी जाना जाता है। इनके मतानुसार भाठ्बरसी देवी वनों में हिंसक जंगली जानवरों से रक्षा, पालतू पशुओं की रक्षा, अच्छे शिकार एवं वनोत्पाद के प्रतीक के रूप में जानी जाती है। कोंध जनजाति के सदस्य वनोपज संकलन के पूर्व भाठ्बरसी देवी की स्तुती करते है। पूर्व में जंगल में शिकार मिलने पर जानवर के सिर को भाठ्बरसी देवी को अर्पित करते थे। इनकी फागून माह में मुर्गा की बलि देकर विशेष पूजा की जाती है।

6. समलाई देवी

कोंध जनजाति में समलाई माता बहुत प्रिय देवी है, इन्हें अलग–अलग क्षेत्रों में पृथक–पृथक नामों से जाना जाता है। इनकी निवास ग्राम के देवतला (देवगुड़ी) में माना जाता है। यह माता दैवीय प्रकोप एवं प्राकृतिक आपदाओं से ग्रामीणों की रक्षा करती है। हरियाली त्यौहार में इनको बकरा की बलि देकर पूजा–अर्चना की जाती है।

7. बररोंल

बररोंल को अग्नि का सूचक माना जाता है। प्रत्येक घर में बररोंल (अग्नि देव) का वास माना जाता है। इनका निवास रसोई कक्ष के चुल्हा में माना जाता है। जिन्हें भोजन पकने के पश्चात् खाना का भोग लगाकर ही घर के सदस्यों को भोजन परोसा जाता है।

इसके अतिरिक्त कोंध जनजाति में खेत–खलिहानों की रक्षा हेतु भैंसासुर, रात्री में ग्राम की रखवाली हेतु ठेंगा परेतीन, पानी एवं हवा से फैलने वाली बीमारी की रोकथाम के लिए तरी पेन्नू, देवी प्रकोप से रक्षा हेतु बेरा पेन्नू, पालतू जानवरों की रक्षा एवं बीमारियों से सुरक्षा हेतु पुरऊ बैगा आदि को प्रत्येक त्यौहारों पर आवश्यकतानुसार बकरा, सुअर या मुर्गा–मुर्गी की बलि चढ़ाकर पूजा–पाठ किया जाता है।

8.2 कोंध जनजाति में जात्रा

जनजातीय जीवन शैली में **जात्रा** एक महत्वपूर्ण धार्मिक एवं सांस्कृतिक पक्ष रहा है, जो अपने आराध्य

देवी–देवता के प्रति समर्पण एवं श्रद्धा को अभिव्यक्त करता है। कोंध जनजाति के देवी–देवता बीहड़ वनो, पहाड़ों एवं घाटियों में निवासरत माना जाता है, जिसकी पूजा–पाठ वार्षिक अथवा विशेष अवसरों पर किया जाता है, जिसके लिए ये अपने परिवार एवं समुदाय के साथ देवी–देवताओं की पूजा के लिए जंगल की ओर प्रस्थान करते है। ये अपने धार्मिक मुखिया बैगा के साथ पूजा की साम्रगी एवं बलि हेतु बकरा अथवा मुर्गा/मुर्गी को लेकर चलते है। जात्रा के दौरान ये वन से प्राप्त जड़ी–बुटियॉ, वनोपज, कंदमूल आदि का संग्रहण भी करते है, या संग्रहण के लिए देवी–देवता से आशीष प्राप्त करते है। निर्धारित स्थान पर पहुंच कर बैगा पूरी विधि–विधान से पूजा–अर्चना कर पशु की बलि देते हुए सामुदायिक सुख–समृद्धि की कामना करता है। कोंध समुदाय में पाये जाने वाले प्रमुख देव जात्रा का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित हैः–

1. माहुल जात्रा

कोंध जनजाति में माहुल जात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक देव जात्रा है। यह जात्रा **चैत्र माह के दशवे दिन** किया जाता है। इस जात्रा का उद्देश्य अच्छे वनोत्पाद के लिए वन देवी का आशीष लेना होता है। इस दिन समुदाय के सदस्य अपने धार्मिक मुखिया बैगा के साथ उबला हुआ महुंआ फूल, चावल के दाने, नारियल, सुपाड़ी, धूप अगरबत्ती एवं बलि देने वाले बकरा या मुर्गा को लेकर जंगल की ओर जात्रा के लिए प्रस्थान करते है तथा **भाठ्बरसी माता (बंजारी माता)** की पूजा–अर्चना कर बकरा की बलि एवं शराब का तर्पण करता है। उनको प्रसन्न करने के लिए ढोल, नगाड़े आदि वाद्ययंत्रों के साथ गीत, संगीत एवं नृत्य किया जाता है। तथा उन्हें प्रसन्न कर अच्छे वनोत्पाद विशेषकर महुंआ फूल की मनौती (वरदान) की जाती है। इनकी पूजा–अर्चना पूर्ण विधि विधान के साथ किया जाता है अथवा देवी के कुपित होने का भय रहता है।

2. चाऊर जात्रा

यह जात्रा आश्विन माह में शुक्ल पक्ष के 10वें दिन सम्पन्न किया जाता है, इस जात्रा के दिन कोंध जनजाति के सदस्य "**धरती माता (अन्नपूर्णा)**" की आराधना के लिए पके हुए धान के खेत में जाकर अच्छे पैदावार की कामना करते है। खेत पर पहुंच कर पुर्व के ध्वज एवं पताके के स्थान पर नये लगाया जाता है, और साफ–सफाई कर माता का श्रृंगार किया जाता है। बैगा द्वारा नये अनाज के दाने को माता पर अर्पित कर पूर्ण विधि–विधान के

साथ पूजा–अर्चना कर बकरा की बलि चढ़ाई जाती है। जात्रा में शामिल सभी लोग धरती माता की पूजा करते हुए फसल की अच्छी पैदावार की कामना करते है, और बलि में चढ़ाये गये बकरे के मांस को पकाकर उपस्थित सभी लोगों में प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। तत्पश्चात् सभी लोग शराब का सेवन कर गीत–संगीत कर नाचते हुए धरती माता की स्तुती करते है।

3. सेमी जात्रा

कोंध जनजाति में सेमी जात्रा बहुत प्रसिद्ध जात्रा है। यह जात्रा कोंध निवासित प्रत्येक ग्रामों में कोंध सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। इस जात्रा का संबंध कोंध जनजाति की उत्पत्ति एवं उनके वंश वृद्धि से है। क्योंकि कोंध जनजाति यह मानती है कि उनकी उत्पत्ति जंगल के कंद से हुई है और जिसकी रक्षा **कोंदेन बूढ़ी माता** के द्वारा किया गया है। इसी उपलक्ष्य में कोंध लोग वर्ष में एक बार कोंदेन बूढ़ी माता की कृतज्ञता हेतु इस जात्रा का आयोजन किया जाता है। इस जात्रा में पुरूष–महिला और बच्चे सभी शामिल होते है। निर्धारित तिथि एवं समय के दिन सभी लोग ढ़ोल, नगाड़े के साथ जंगल की ओर जात्रा का प्रारंभ करते है। धार्मिक बैगा कोंदेन बूढ़ी माता के महिमाओं का वर्णन गीत के माध्यम से गाता जाता है, और सभी उसे दोहराते हुए माता का गुणगान करते हुए पूर्व निर्धारित स्थान पर पहुंचते है। जंगल में माता के निवास स्थल की साफ–सफाई की जाती है। माता को लाल चुड़ी, चुनरी एवं सिंदूर आदि से श्रृंगार किया जाता है, उन्हें विभिन्न जंगली कंद–मूल का भोग लगाया जाता है। बैगा बकरा या मुर्गी का बलि देता है। उपस्थित सभी लोग माता की पूजा–अर्चना करते है, और सुख शांति एवं समृद्धि का आशीर्वाद मांगते है। सभी ढ़ोल नगाड़े की थाप पर तालबद्ध एवं सुरताल में नांचते गाते उत्सव मनाते है।

8.3 तीज–त्यौहार

कोंध जनजाति में तीज–त्यौहार आमोद–प्रमोद का मुख्य साधन होते है। इस दिन कोंध लोग अपने समस्त दुखों को भुलकर अपने ईष्ट देवी–देवता के समक्ष समर्पित होकर अपने महत्वपूर्ण कार्यो की पूर्णता हेतु पूजा–अर्चना करते है अथवा कार्य पूर्ण होने की स्थिति में अपने पारम्परिक रीति–रिवाजों, मान्यताओं एवं विश्वासों के आधार पर स्तुति और बलि भेंट कर अपनी भावनायें व्यक्त करते है। यह समुदाय तीज–त्यौहार में

देवी–देवताओं के सम्मुख अपने खुशियों का इजहार पारम्परिक लोकगीत एवं नृत्य के माध्यम से करते है। प्रायः इनके तीज–त्यौहार माह के अमावश्या या पूर्णिमा के दिन होते है। सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठानों में पारम्परिक वांद्ययंत्रों के ताल पर लोकगीत एवं नृत्य संगीत से हर्षोउल्लास करते है। कोंध जनजाति के तीज–त्यौहार निम्नलिखित है :–

1. अक्ती

यह त्यौहार **वैसाख माह में शुक्ल पक्ष के तृतीया** को मनाया जाता है। कोंध सदस्य इसे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ सम्पन्न करते है। यह त्यौहार फसल प्रारंभ करने एवं अच्छी पैदावार के उद्देश्य से मनाया जाता है, इस दिन प्रत्येक घर के मुखिया अपने खेतों में जाकर **''धरती माता''** को दूध का तर्पण कर पूजा करते है, और अनाज की अच्छी फसल की कामना करते हुए खेतों में बुआई का कार्य प्रारंभ करते है। इनमें ऐसी मान्यता है कि इस दिन बुआई शुरू करने से फसलों में बीमारी नहीं होती और फसल की अच्छी पैदावार होती है। सभी धरती माता की पूजा पश्चात् घर वापस आकर हर्षोउल्लास से त्यौहार मनाते है।

2. हरेली

हरेली त्यौहार **सावन माह की अमावश्या को** मनाया जाता है। किसान जब अपने खेती के सभी कार्यो जैसे– बुआई, व्यासी, रोपाई आदि सम्पन्न करने के बाद सावन में चारों ओर धान के हरे–भरे लहराते फसल को देखता है तो किसान के हृद्य में आनंद हिलोरे उढ़ने लगती है, जिसकी खुशी के इजहार स्वरूप यह त्यौहार बड़े हर्षोउल्लास से मनाया जाता है। कृषक इस दिन अपने सभी कृषि उपकरणों की साफ–सफाई कर एक स्थान पर रख कर उनकी पूजा की जाती है। परिवार के मुखिया अपने धार्मिक मुखिया बैगा के साथ **'देवतला'** में विशेष रूप से पूजा–अर्चना की जाती है। बैगा ठाकुरदेव को ग्राम की खुशहाली एवं सुरक्षा की कामना करते हुए बकरा अथवा मुर्गा की बलि देता है। बैगा देवतला में पूजा पश्चात् ग्राम में प्रत्येक घर के द्वार पर भेलवा व करमा पेड़ के डाल लगाता है। इसके पीछे इनमें ऐसी मान्यता है कि बुरी आत्मा एवं भूत–प्रेत घर में प्रवेश नही कर पाते है। घर के मुखिया अपने आराध्य देवी–देवताओं की पूजा घर में बने पकवान से भोग लगाकर करता है और बुरी नजर, टोटका, भूत–प्रेत और बीमारी से रक्षा की कामना करता है। इस त्यौहार में बच्चों के लिए बांस की बनी गेड़ी विशेष

रूप से बनाया जाता है, तो कुछ ग्रामों में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार कोंध जनजाति में हरेली त्यौहार पूर्ण हर्षोउल्लास से मनाया जाता है।

3. पोला

पोला त्यौहार **भाद्र माह के अमावश्या** को मनाया जाता है, यह त्यौहार विशेष रूप से कृषि कार्य में सहायक पालतू पशुओं की पूजा की जाती है। इस दिन ग्राम में प्रातः से ही त्यौहार की चहल–पहल होती है। पालतू पशुओं को नहा–धुलाकर सजाया जाता है। इनकी पूजा के लिए विशेष रूप से गेहुँ आटा, चावल आटा एवं गुड़ की बनी **''गुचकलिया (पकवान)''** रोटी बनाया जाता है। प्रत्येक घरों में मिट्टी की बनी बैल की मूर्ति भी बनायी जाती है। तत्पश्चात् कृषि कार्य में सहयोगी बैलों एवं अन्य पशुओं की पूजा–अर्चना कर घर में बने पकवान को खिलाया जाता है। साथ ही साथ पशुओं के रक्षक भाट्बरसी देवता में खैरी मुर्गी की बलि चढ़ाकर पशुओं की रक्षा, बीमारियों से सुरक्षा एवं पशुधन का विकास की मंनौती (वरदान) मांगा जाता है। गोशाला में दी गई बलि का प्रसाद केवल पारिवारिक पुरूष सदस्य ही ग्रहण करते है। इस प्रकार सभी घर में बने पकवान ग्रहण कर उत्सव मनाया जाता है।

4. नवाखाई

नवाखाई **भाद्र माह में शुक्ल पक्ष नवमीं** को नये अनाज (धान की बालियॉ) आने के स्वागत सम्मान में मनाया जाता वाला प्रकृति पर्व है। यह त्यौहार जनजातियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्यौहारों में से एक है। बरसात के बाद भाठा जमीन पर जल्दी पकने वाली धान की बालियॉ जब पकने को होती है, तो ग्रामवासी ''देवतला'' में निर्धारित तिथि को धरती माता (अन्नपूर्णा) देवी को धान की नई बालियॉ अर्पित करते है। इस दिन धार्मिक बैगा उपवास रहकर देवी–देवताओं के धार्मिक क्रियाकलापों को संपादित करता है तथा नये अनाज के दाने को धरती माता में अर्पित कर मुर्गा या बकरा की बलि चढ़ाता है। देवालय स्थल पर ही सामूहिक भोजन की व्यवस्था की जाती है और बलि दिये गये पशु का पकाकर सभी लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण कर घर वापस आ जाते है।

बैगा प्रत्येक घर के चौखट पर नये धान की बालियॉ बांधता है और परिवार का मुखिया उपवास रहकर गृह देवी–देवताओं की पूजा नये अनाज के आटे एवं गुड़ से बने प्रसाद का भोग लगाकर करता है। परिवार के सभी सदस्य उस प्रसाद को कोरिया पेड़ के पत्ते से ग्रहण कर खाते है। इस दिन रात्रि के भोजन में ''मछली'' का खाना

अनिवार्य होता है इनमें ऐसी मान्यता है कि इस दिन रात्री में मांस न खाने पर अगले जन्म में कोकड़ा (बगुला) के रूप में पुनर्जन्म होता है। इस प्रकार कोंध जनजाति में नवाखाई हर्षोउल्लास से मनाया जाता है।

5. सोहराई

यह त्यौहार **कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष** में मनाया जाता है। यह त्यौहार पालतू पशुओं और मानव के बीच गहरा प्रेम को प्रदर्शित करता है। जनजाति कृषि, दूध आदि के लिए पालतू पशुओं पर निर्भर है, इसलिए सोहराई में पशुओं को माता लक्ष्मी की तरह पूजा–पाठ की जाती है। इस दिन गोशाला को गोबर व छुही (सफेद मिट्टी) से लिपाई–पुताई करते है। गोशाला में निवास माने जाने वाले भाट्बरसी एवं गोरर्या देव की पूजा–अर्चना की जाती है और पशुओं की रक्षा, पशुओं में होने वाली बीमारी से रक्षा एवं पशुधन की मंनौती मांगा जाता है। तत्पश्चात् पशुओं को नहला धुलाकर माथे पर सिंदूर का टीका लगाते है, उनकी पूजाकर घर में बने पकवान को खिलाया जाता है। उसी में से थोड़ा भाग निकालकर प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्य ग्रहण करते है।

6. छेरता

इस त्यौहार को **पूसपुन्नी या छेरछेरा** त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। यह त्यौहार कृषि कार्य पूर्ण कर अनाज के भण्डारण की खुशी में मनाया जाता है। यह **पौष माह के पूर्णिमा** को अन्नदान के महापर्व के रूप में हर्षोउल्लास के साथ मनाया जाता है। छेरता पर्व कृषि प्रधान संस्कृति में दानशीलता की परम्परा को दर्शाता है। यह पर्व सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करने के लिए आदिकाल से चली आ रही है। इस दिन शुबह से ही बच्चे, युवक–युवतियॉ टोलियॉ बनाकर हाथ में बांस की टोकरी या थैला लेकर गॉव में प्रत्येक घर में धान का दान मांगते है। कुछ सदस्य शैला नृत्य करते हुए धान मांगते है। जिससे हर घर से धान, चावल अथवा नगद राशि मिलती है। घर का मुखिया अपने आराध्य देवी–देवता की पूजा–अर्चना कर बलि अर्पित करता है। और नये फसल की प्राप्ति के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता है। तत्पश्चात् सभी लोग घर में बने पकवान को खाकर खुशी मनाते है।

7. करमा

करमा उत्सव को कोंध जनजाति ग्राम के अन्य जातियों के साथ मनाती है। करमा त्यौहार आश्विन माह के

एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन ग्राम मुखिया के आंगन में करमा वृक्ष की डाल को गाड़ कर बैगा द्वारा ग्राम की खुशहाली, शांति, समृद्धि एवं निरोगी रहने की कामना करता है। महिलाएं एवं लड़कियॉ करमा डाल के आसपास धान, गेहूँ आदि का ज्वारा लगाती है, सभी उपस्थित लोग रात भर ''करमदेव'' का गुणगान लोकगीत एवं नृत्य के माध्यम से उनके लीलाओं का वर्णन करते है। अगली सुबह करमाडाल को हर्षोउल्लास के साथ पूरे ग्राम में घुमाकर पूजा–अर्चना कर नदी, तालाब आदि में विसर्जित कर देते है।

इसके अतिरिक्त इस समुदाय में हिन्दू धर्म के अन्तर्गत मनाये जाने वाले त्यौहारों जैसे – दीपावली, दशहरा, होली, रक्षाबंधन, गणेश उत्सव, नवरात्री, महाशिवरात्री, रामनवमीं, गन्ना त्यौहार आदि को भी हिन्दू रीति–रिवाज अनुसार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है।

8.4 आत्मा

कोंध जनजाति आत्मावादी विचारधारा में विश्वास करती है, ये आत्मा के अस्तित्व को मानते है, और मृत्यु उपरांत अलग–अलग शरीर (जीव) के माध्यम से पुनर्जन्म में विश्वास है। इनका विश्वास है कि पितर (पूर्वज देव) इनके सपने में आकर अपने वंशज का मार्गदर्शन करते है, इसलिए इनमें किसी सदस्य की मृत्यु पश्चात् दशगात्र के दिन मृत आदमी की आत्मा को पूर्वजों की आत्मा से मिलाकर पूर्वज देव के रूप में स्थापित किया जाता है। इसी प्रकार जन्म संस्कार में नवजात शिशु का छठी संस्कार के दिन अनेक विधियों से पुनर्जन्म में मृत पूर्वज की आत्मा ज्ञात कर ही नवजात शिशु का नामकरण किया जाता है।

8.5 भूत–प्रेत

कोंध जनजाति भूत–प्रेत पर भी विश्वास करती है। इनका मानना है कि यदि किसी की मृत्यु आकस्मिक, दुर्घटनावश, जंगली पशु, गंभीर बीमारी आदि से होता है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है जो लोगों को डराने, परेशान करने, हानि पहुंचाने आदि का कार्य करती है। यह जनजाति इस प्रकार की बुरी आत्माओं को भूत–प्रेत, चुड़ैल, ठेगा, परैत–परैतिन, मौली आदि नामों से जानती है।

कोंध समुदाय मानती है कि भूत–प्रेत का निवास श्मशान, इमली–आम के सूखे पेड़, नदी, नाला एवं तालाब के किनारे, खण्डहर मकान आदि में होता है। ऐसे स्थानों पर गर्भवती महिलाओं का अकेले में जाना निषेध होता है

तथा सामान्य व्यक्तियों को भी रात्री या सुने में जाने की मनाही होती है साथ ही ऐसे स्थानों पर मल–मुत्र त्याग करने से भूत–प्रेत के प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है। सामान्यतः भूत–प्रेत अमावस्या की रात को अधिक प्रभावशाली होते है और विचरण करते है।

इनका मानना है कि भूत–प्रेत से ग्रसित व्यक्ति सामान्य व्यवहार नहीं करता है, पागलों जैसे हरकते करता है, आखों का रंग बदलता है, आवाज में भारीपन आ जाता है, शरीर सुखने लगता है आदि लक्षण दिखाई देता है। यदि किसी महिला के प्रसव के समय मृत्यु हो जाती है, तो उसकी आत्मा जब किसी गर्भवती महिला को पकड़ती है जिससे उसकी संतान मृत पैदा होती है या वह बांझ हो जाती है। ऐसी अवस्था में बैगा/गुनिया द्वारा प्रथमतः वस्तु स्थिति ज्ञात की जाती है, पुष्टि होने के पश्चात् वह धार्मिक–जादुई कर्मकाण्ड़ कर भूत–प्रेत से मुक्त करता है, या भूत–प्रेत के प्रभाव को कम करता है।

8.6 जादू–टोना

कोंध जनजाति जादू–टोना में भी बहुत विश्वास करती है। इस क्षेत्र में जादू करने वाले **पुरूष सदस्य को टोन्हा** एवं **महिला को टोन्ही (डायन)** कहा जाता है। ग्राम में ऐसे लोगों से दूर रहने या औपचारिक संबंध रखने की सलाह दी जाती है।

जादू– टोने से ग्रसित व्यक्ति असामान्य व्यवहार करता है वह हमेशा बीमार रहता है उसका शरीर सुखने लगता है, वजन घटने लगता है, वह अपना संतुलन खो देता है, गर्भावस्था में शिशु की मृत्यु या प्रसव पश्चात् शिशु की मृत्यु आदि लक्षण दिखाई देता है।

कोंध समुदाय के मान्यतानुसार टोन्ही बांझ या विधवा महिला होती है और इस दुर्गण को विशेष तप एवं निषेध का पालन कर सीखा जाता है तथा इसका उद्देश्य बदला लेना, हानि पहुंचाना, आपसी मनमुटाव आदि के लिए उपयोग किया जाता है जिसके लिए संबंधित व्यक्ति के पैर की धूल, बाल, कपडे के टुकड़े आदि के माध्यम से उस पर टोटका करती है अथवा अपने वश में कर ईच्छानुसार कार्य करती है।

इस जनजाति के सदस्य जादू–टोने से ग्रसित व्यक्ति को लक्षण के आधार पर **बैगा/गुनिया** के पास लाया जाता है। बैगा लक्षणों के आधार पर कारण का पता लगाकर उसका ईलाज भी जादू–टोटके से ही करने का प्रयास करता है। वह अपने अलौकिक शक्तियों का उपयोग जादू–टोना ग्रसित व्यक्ति पर करता है जिससे

प्रभावित व्यक्ति पर जादू का प्रकोप धीरे–धीरे कम होने लगता है इसके लिए बैगा खून चढ़ाने, मुर्गा की बलि, नीबू काटने आदि अनेक कर्मकाण्ड एवं मंत्रोच्चार करता है।

8.7 रोग निदान एवं उपचार

कोंध जनजाति में किसी सदस्य की अस्वस्थता या बीमारी को अलौकिक आत्मीय घटना मानता है तथा उसका उपचार भी उसी माध्यम से कराने का प्रयास करता है। यह जनजाति वनों से घनिष्ट संबंध होने के कारण वनौषधियों का भी ज्ञान रखती है। समय–समय पर स्थानीय या लोक औषधि के माध्यम से उपचार कराते देखा भी जा सकता है।

यह जनजाति किसी भी प्रकार की अस्वस्थता का कारण भूत–प्रेत लगना, टोटका लगना, पूर्वज आत्माओं का नाराज होना, कुल देवी–देवता का कुपित होना, सामाजिक–धार्मिक निषेधों का उल्लघन आदि को माना जाता है। अतः उपचार हेतु अपनी सामाजिक मान्यता प्राप्त पांरपरिक चिकित्सक बैगा/गुनिया को प्राथमिकता दी जाती थी लेकिन वर्तमान में इस विचारधारा में धीरे–धीरे परिवर्तन आ रहा है।

बैगा/गुनिया किसी भी प्रकार की रोग या अस्वस्थता के लिए तीन प्रकार की प्रविधि का उपयोग करता है जैसे जादुई–धार्मिक कर्मकाण्डीय विधि, नाड़ी देखकर व लक्षण आधारित विधि द्वारा कारण का पता लगाकर उसका उपचार झाड़–फूंक, वनौषधियों आदि के माध्यम से करता है।

बैगा द्वारा बुखार, उल्टीदस्त, बात, पेट संबंधी समस्यायें, घाव, सर्प एवं विच्छुदंश, कुत्ता काटने, हड्डी जोड़ने, अनियमित मासिक धर्म, खाना हजम आदि की औषधियॉ दी जाती है। उपचार पश्चात् बैगा को आर्थिक स्थिति अनुसार मुर्गा, शराब, चावल अथवा नगद चढ़ावा दिया जाता है।

8.7 शुभ–अशुभ विचार

कोंध जनजाति शुभ एवं अशुभ विचारों को भी मानती है इनका मानना है कि पानी भरकर आती हुई महिला को देखना, मारकाट का सपना देखना, नदी में डुबकर मरना, सपनें में जवारा देखना, धान बुआई करते देखना, हरियाली देखना, हाथी गाय आदि को देखना, बिल्ली का बाया से दाया काटना, लोमड़ी का लौटकर देखकर आदि **''शुभ''** माना जाता है।

अशुभ विचारों में कौवा जोड़ा को देखना, लोमड़ी या बिल्ली का दाये से बांये काटना, लकड़ी को नदी में बहते देखना, घोड़ा एवं कुत्ता देखना, नदी में बाढ़ आते देखना आदि **''अशुभ''** माना जाता है।

==========00==========

अध्याय –9

लोक परम्पराएं

लोक परम्परा वह परम्परा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी समुदाय में स्वतः हस्तांतरित होती रहती है। समुदाय के बच्चे बड़े–बुजुर्गों को देख–सुनकर सीख लेते है। कोंध जनजाति में भी लोकगीतों एवं लोकनृत्यों का विशेष महत्व होता है। विशिष्ट अवसरों एवं त्यौहारों जैसे– फागून में फॉगगीत, भाद्र–आश्विन माह में करमा नृत्य एवं गीत, विवाह के समय विवाह–गीत, कृषि कार्य के समय ददरिया गीत का विशेष महत्व होता है। यह समुदाय गीत–संगीत एवं नृत्य के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते है। इन लोकगीतों एवं नृत्यों में एकरूपता, लयबद्धता लाने के लिए अपने पारम्परिक वाद्ययंत्रों–ढोलक, मृंदग, झांझ, मंजीरा, खंझनी एवं टिमनी आदि से ताल भी दिया जाता है।

9.1 लोकगीत

कोंध जनजाति के सामाजिक जीवन में विभिन्न अवसरों, त्यौहारों, संस्कारों एवं आर्थिक गतिविधियों पर लोकगीतों का विशेष महत्व होता है। इनके लोकगीतों में आराध्य देवी–देवताओं की महिमाओं का बखान, प्रकृति की सुन्दरता, प्रेम एवं विरह का वर्णन, कृषि आदि से संबंधित लोकगीतों का प्रचलन देखने को मिलता है। इनके लोकगीतों का गायन सामुहिक रूप से किया जाता है। इनके लोकगीतों एवं नृत्यों में महिलाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। कोंध जनजाति में प्रचलित प्रमुख लोकगीत निम्न हैः–

1. करमा गीत

छत्तीसगढ़ की संपन्न लोक संस्कृति में करमा गीत एवं नृत्य का विशेष महत्व है। यहॉ कि अधिकांश जनजातियों में करमागीत एवं नृत्य प्रचलित है। जनजातियॉ अपने–अपने देवी–देवताओं का वास पेंड़–पौधों पर मानती आ रही है। इनमें प्राचीन काल से ही पशुओं एवं पेड़–पौधों के साथ–साथ पितरों की पूजा–अर्चना की परम्परा रही है। ये इनकी पूजा कर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते है। इनमें मुख्य रूप से सरई (साल), महुंआ एवं करम पेड़ आदि की पूजा की जाती है। करमा नृत्य एवं संगीत कर्म का परिचायक है, जो इनमें कर्म करने का संदेश देता है, इसलिए जनजातीय समूह वर्ष में एक बार करम पेड़ के नीचे एकत्रित होकर पूजा–अर्चना कर उत्सव

मनाते है। इस उत्सव में बच्चें, युवक–युवतियॉ, महिला–पुरूष सभी भाग लेते है। कोंध जनजाति में प्रचलित करमा गीत की कुछ पंक्तियॉ निम्न हैः–

करम सेनी, करम सेनी हो।
तुइका बन्दों मैं कर जोड़।।
करमा के एकादशी।
फूल फुटे बारामासी।।
करम सेनी, करम सेनी।
उठो, उठो करम सेनी हो।।
पहिगे बिहान, चलो जाबो।
गंगा स्नान, करम सेनी हो।।
करम सेनी, करम सेनी हो।

भावार्थ :– हे कर्म के देव ''करमदेव'' हम सब हाथ जोड़कर आपकी अर्चना करते है, आश्विन माह के एकादशी को बारह माह में एक बार खिलने वाला फूल से आपकी पूजा –अर्चना करने आये है। हे कर्म देव उठ जाएये सुबह हो गई है आज करमा का सातवां दिन है। हम सब गंगा स्थान के लिए चलेगें, हे करमसेनी देव जाग जायें, सुबह हो गई है।

2. ददरिया गीत

ददरिया को लोकगीतों का राजा कहा जाता है, इसमें मूलतः **श्रृंगार रस की प्रधानता** होती है। ददरिया में कृषि और आदिवासी संस्कृति पूर्णतः प्रतिविम्बीत होती है। पारम्परिक रूप से ददरिया खेतों में फसलों की निदाई–कटाई के समय, जंगल में वनोपज के समय लोगों द्वारा गायन किया जाता है। इस लोकगीत में वाद्ययंत्रों का उपयोग नहीं किया जाता है। ददरिया श्रम की साधना एवं प्रकृति की आराधना में रत कृषक, श्रमिकों एवं आदिवासियों का गीत है यह प्रेम एवं अनुराग की लोक अभिव्यक्ति है। ददरिया गीत सवाल एवं उसके जवाब के रूप में अभियुक्त होता है, एक समूह सवाल करता है और दूसरा समूह जवाब देता है। ददरिया की कड़ियॉ एक दूसरे के साथ पिरोई जाती है, इसको गाने वाले चाहे स्त्री हो या पुरूष इतने कुशल होते है कि अपनी कल्पना

शक्ति से तत्काल ददरिया की अगली पंक्ति जोड़ लेते है। ददरिया की कड़ियों को बीच–बीच में दोहराया भी जाता है। अध्ययनगत कोंध जनजाति में प्रचलित ददरिया की कुछ पंक्तियॉ निम्न हैः–

ये संझा के बेरा मा, बगिया के डेरा मा।
तोला कोन डाहर खोजो रे संगी।।
गहुँ के रोटी ला, जरोई डारे ना।
मोला मीठ बोली मा हरोई डारे ना।।
ये संझा के बेरा मा,.....
बासी ला खई के अढ़ाई कौरा।
तोला मिलए ल बुलाये हो, बगिया के चौरा।।
चंदा उग गेहे, सुरूज हो गे हे लाली ओ।
बखरी ल ढ़ेला मारेव, पिरित वाले वो।।
ये संझा के बेरा मा,.....

भावार्थ :– यह ददरिया गीत अपने प्रेमी का इन्तजार करती हुई महिला की मन की व्यथा का वर्णन है जिसका अर्थ –इस सुनहरी शाम के समय बगीचा के किस तरफ तुमको मैं खोजू। मैं तुम्हारे लिए गेहुं की बनी रोटी लाई हूँ, तुमने मुझे अपनी अच्छी–अच्छी बातों से मन को मोह लिये हो। मैं घर में बासी को आधा–अधुरा खा कर तुमसे मिलने के लिए बगीया के चौरा के पास आई हूँ। अब तो चांद के उगने का समय हो गया है। सूरज की लालिमा भी दिखाई देने लगी है। मैं इंतजार करते–करते बकरी को पत्थर मार चुकी, और मेरे मन के प्रीत तुम अभी तक नहीं आये।

3. हलिया गीत

कोंध जनजाति में कृषि कार्य के समय हलिया गीत का प्रचलन है। हलिया गीत भी ददरिया का ही एक रूप है। हलिया गीत का गायन एकल में किया जाता है। जब सावन में बरसात की फुहारें के साथ किसान धान की व्यासी करते समय करता है। हलिया गीत की कुछ पंक्तियॉ निम्नलिखित हैः–

चलो रे, चलो रे, चलो रे।
बलद मने, न करो गुमानी।।
खाईबु तु कनचा चारा।
पीईबु तु कोटना पानी।
बैइगा जागे मा गुम्छा।।
चढ़ाये चढ़गे डोगरी ला।
चढ़ीगे मझान तैकार बार।।
भेजथ्स नीबू के अथान।
आघूमा नागरिया फादें ला।
लबरिया पेजहारिन नई दिखबे।।
चलो रे, चलो रे, चलो रे।
बदल मने, न करो गुमानी।।

भावार्थ :– किसान हल चलाते हुए अपने बैलों से कहता है कि जल्दी चलो, कोई विचार मत करो, आलस मत करो, जल्दी काम समाप्त करो। घर पहुँचने पर हरा घास और धान की भूसीं वाला पानी पीने को मिलेगा। तुम सामने में हल चलाने वाले को देखो। जिसके लिए भोजन एवं नीबू का अचार नास्ते में आया था। उसका काम खत्म होने को आया है, अब तो दोपहर भी होने वाला है तुम लोग जल्दी–जल्दी काम को खत्म करो।

4. सुआ गीत

छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय लोकगीतों में से सुआ गीत एक है, जिसे इस क्षेत्र के साथ–साथ कोंध महिलाओं द्वारा भी गाये जाने वाला श्रृंगार प्रधान लोकगीत है। यह गीत **कार्तिक माह** में दीपावली से कुछ दिन पूर्व शुरू होकर दीपावली के दिन शिव–पार्वती (गौरा–गौरी) के विवाह के साथ सम्पन्न होता है। सुआ गीत में महिलाएं बांस की टोकरी में धान की नई बालियॉ रखकर मिट्टी की बनी तोते की प्रतीमा एवं शिव–पार्वती की प्रतिकात्मक स्वरूप मिट्टी की मूर्ति रखती है। टोकरी के चारों ओर सभी महिलायें करताल के साथ सुआ गीत गाकर नृत्य

करती है। इस लोकगीत में कोंध महिलायें सुआ अर्थात तोता के माध्यम से अपने मन की व्यथा को अपने प्रेमी के लिए व्यक्त करती है। सुआ गीत की कुछ पंक्तियॉ निम्न हैः–

तरी नरी ना रे सुआना।
तरी नरी ना रे सुआना।।
तुलसी के बिरवा करे सुगबुग सुगबुग।
नयना के दिया ला जलांव।।
नयना के नीर झरे, जस औरवांती।
तरी नरी ना रे सुआना.....
अचरा म लुकाय लेहव।
कांसे पीतल के अदली रे बदली।।
जोड़ी बदल नहीं जाए रे सुआना।
तरी नरी ना रे सुआना.....
रनभन, रनभन पड़की परौना।
मृगा बोले आधी रात मा।।
अति मीठा लागे, सुर सुते मा।
सुख बीते रात मा, रे सुआना।।
तरी नरी ना रे सुआना।
तरी नरी ना रे।।

भावार्थ :–इस गीत के माध्यम से प्रेमिका अपने प्रेमी का इंतजार करते हुए तोता से कहती है कि मैं तुलसी चौरा के नीचे अपने नैनों की दिया जलाकर उनके (प्रेमी) लौटने का इन्तजार कर रही हूॅ, मेरे आखों से निरन्तर आंसु बह रहे है। मेरे आखों के आसुंओं से मन की आशाओं की दीप न बुझ जाये इसलिए अपने आंचल में छुपा कर रखी हूॅ, कांसे एवं पीतल की अदला–बदली तो हो सकती है, लेकिन प्रेमी को नहीं बदला जा सकता है। हे तोता! पेड़–पौधों पर पक्षियों का करलव मधुर लगता है और आधी रात में हिरण की आवाज भी सुन्दर लगती है। इन आवाजों को सुन सब लोग सुखी–सुखी सो रहे है और मैं दिन–रात अपने प्रेमी का इंतजार कर रही हूॅ।

5. शैला गीत

यह गीत **फागुन माह** में शुरू होकर होली त्यौहार तक चलता है। कोंध जनजाति में फसल कटने, मिंजाई एवं भण्डारण के पश्चात् गीत–संगीत एवं नृत्य के माध्यम से खुशियॉ मनायी जाती है। छत्तीसगढ़ का सैलागीत एवं नृत्य इसी का एक रूप है। सैलागीत एवं नृत्य हाथ में डंडा लेकर टोलियॉ बनाकर किया जाता है। इसमें एक कुहकी होता है, जो गीत एवं नृत्य को गति एवं दिशा देता है, और बाकी नर्तक उसको दोहराते है। डंडा नृत्य में ताल का विशेष महत्व होता है। ताल देने के लिए ढोलक, मृंदग, झांझ एवं मंजिरा आदि वाद्ययंत्रों का उपयोग किया जाता है। सैला गीत की कुछ पंक्तियॉ निम्न हैः–

ठोको रे भैया, ठोको रे डंडा, गुरू को सुमिरन कर।
ठोको रे भैया, ठोको रे डंडा, जन्मदेऊ को सुमिरन कर।।
ठोको रे भैया, ठोको रे डंडा, गांव गोसाई ठाकूर देवता को सुमिरन कर।
ठोको रे भैया, ठोको रे डंडा, देवधामी को सुमिरन कर।।
ठोको रे भैया, ठोको रे डंडा, ठोको रे भैया, ठोको रे डंडा.....
ठोको रे भैया, ठोको रे डंडा, धरतीमाता को सुमिरन कर।
ठोको रे भैया, ठोको रे डंडा, पितर देवता को सुमिरन कर।।
ठोको रे भैया, ठोको रे डंडा, धरमदेवता का सुमिरन कर।
ठोको रे भैया, ठोको रे डंडा, सबो जनतु को सुमिरन कर।।
ठोको रे भैया, ठोको रे डंडा, ठोको रे भैया, ठोको रे डंडा.....

भावार्थ :– सुनो भैया, सब कोई सुनो पहला डंडा अपने गुरू के नाम को स्मरण कर डंडे से ताल दो, उसके पश्चात् जन्म देने वाले माता–पिता के नाम का डंडा से ताल दो, ग्राम रक्षक ठाकूर देव का नाम लेकर एक डंडा से ताल दो, इसी प्रकार सब अपने–अपने आराध्य देवी–देवताओं का नाम लेकर ताल दो, सब कोई डंडे से ताल दो, धरती माता के नाम से, अपने पूर्वज देवों का नाम लेने के बाद जगत के सभी जीव–जन्तु के नाम का डंडे से ताल दो।

6. विवाह गीत

कोंध जनजाति में विवाह के अवसर पर गीत गाये जाने की परम्परा उनके संस्कृति का अभिन्न अंग है। जब विवाह हेतु मंडप तैयार कर ली जाती है, तो वर एवं वधू को सुवासिन उनके घरों में तेल–हल्दी का लेप लगाते समय यह गीत गाया जाता है। कोंध समुदाय में गाये जाने वाले विवाह गीत की कुछ पंक्तियॉ निम्नलिखित हैः–

मंड़वा चौपाटी, मंड़वा चौपाटी।
कोना रे मघनो–मघनो।।
मंड़वा उपरे खेलो खेलिमा।
आमेह दुहे बरो कनिया।।
मंड़वा चौपाटी.....
दूरें पहाड़ी के पठारों मा।
सुन्दरो कनिया सुनेहि मिलेमा।।
सुना हो दुल्हादेव हमरो मंनौती।
वधु बरा सुन्दरो बरो मिलौती।।
मंड़वा चौपाटी.....

भावार्थः–सुनो सब लोग सुनों, विवाह के लिए मंड़प सज चुका है, दूर दूर से सगे–संबंधीयों का आगमन हो रहा है, आओ सब आओ मड़वा के नीचे नाचते गाते है। हम दुल्हे के लिए सुन्दर कन्या को विवाह कर लायेगें। हे दुल्हादेव हम आपसे प्रार्थना करते है कि हम लोगों ने सुना है कि उस छोर के पहाड़ी के नीचे पठार में सुंदर कन्यायें रहती है। हम आपसे अपने विवाह योग्य पुत्र के लिए आपसे सुन्दर कन्या के लिए मंनौती (वरदान) मांगते है।

9.2 लोक नृत्य

छत्तीसगढ़ राज्य के जनजातियों की संस्कृति में लोकगीत एवं नृत्य एक परिपूर्ण दृश्य प्रदान करता है। जनजातियों की पारम्परिक लोकनृत्य लम्बे समय से इनके आस्था की एक पवित्र अभिव्यक्ति रही है। इनमें लोकनृत्यों की लोकप्रियता सभ्य समाज की तुलना में कहीं अधिक होती है। अपने प्रत्येक पर्व–त्यौहार, शादी–विवाह, विशेष अवसरों, धार्मिक एवं सांस्कृतिक समारोह में नृत्य एक अभिन्न अंग रहा है। इनमें बच्चे,

युवक–युवतियॉ, महिला–पुरूष प्रत्येक वर्ग गीत एवं संगीत के दीवाने होते है। प्रत्येक जनजाति में नृत्य का अपना–अपना तरीका होता है। फिर भी छत्तीसगढ़ की अधिकांश जनजातीय समुदाय में सामूहिक नृत्य का प्रचलन अधिक देखने को मिलता है। इनके परम्परागत वाद्ययंत्रों मृंदग, मांदर, झांझ, खंजनी, मंजीरा की थाप पर नर्तकों के थिरकते पैर एवं लहराते शरीर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते है।

कोंध जनजाति में परम्परागत लोकनृत्य एवं वाद्ययंत्रों का विशेष महत्व होता है। इनके नृत्य एवं वाद्ययंत्र भले ही पुरातन शैली के है, लेकिन इनमें भावनात्मक कला के दर्शन होते है। अपने आराध्य देवी–देवताओं को प्रसन्न करने, अपने पापों से मुक्ति एवं बुरी शक्तियों के प्रकोप से रक्षा के लिए परम्परागत नृत्य एवं संगीत के माध्यम से स्तुति करते है। इनके लोकनृत्य एकल, सामुहिक अथवा मिश्रित प्रकार के होते है, सामुहिक नृत्य गोलाकार, वलयाकार या अर्द्धचन्द्राकार किया जाता है, और प्रयास किया जाता है कि लोकगीतों की सुरों में मृदंग की थाप पर नृत्यों में लयबद्धता बनी रहे। संक्षेप में इस जनजाति में प्रचलित प्रमुख लोकनृत्य निम्नलिखित हैः–

1. करमा नृत्य

करमा नृत्य **आश्विन माह में एकादशी** के दिन करमसेनी देवता की महिमाओं के गुणगान में किया जाता है। यह नृत्य कर्म के परिचायक के रूप में किया जाता है। इनमें विश्वास है कि जो व्यक्ति जिस प्रकार के कर्म (अच्छे या बुरे) करता है, उसे वैसा ही फल (प्रसाद) मिलता है। यह उत्सव सात दिन तक चलता है। इसमें करमा वृक्ष की डाल के लिये नाचते–गाते अपने धार्मिक बैगा के साथ जंगल जाते है, और करमा पेड़ की पूजा कर उसके डाल को लाते है, और उसे ग्राम के मध्य में गाड़कर उसके चारों ओर बच्चे, युवक–युवतियॉ, महिला–पुरूष सभी ढ़ोल, मृंदग, मंजीरा आदि वाद्ययंत्रों की थाप पर सामुहिक नृत्य करते है। नृत्य गोलाकार, अर्द्धचन्द्रकार, वलयाकार या पंक्तिबद्ध किया जाता है। ये अपने लोकगीत एवं नृत्य से करम देव से ग्राम की खुशहाली, फसलों की अच्छी पैदावार एवं बीमारियों से रक्षा आदि के लिए मंनौती (मन्नत) मांगते है।

2. सुआ नृत्य

सुआ नृत्य **कार्तिक माह** में दीपावली के कुछ दिन पूर्व से शुरू होकर दीपावली होने तक किया जाता है।

इस नृत्य में केवल महिलायें भाग लेती है। महिलायें बांस की टोकरी में **''गौरा (शिव) एवं गौरी (पार्वती)''** की मूर्ति और मिट्टी की बनी **''तोता''** को रखते है। गौरा–गौरी के सम्मुख एक दिया जलाया जाता है। महिलायें टोकरी को ग्राम के प्रत्येक घर जाकर चारों ओर गीत गाते हुए गोलाकार नृत्य करते है। सुआनृत्य में वाद्ययंत्रों का प्रयोग नहीं होता है। नृत्य करती महिलायें बीच–बीच में करताल से ताल देती है। इस नृत्य के माध्यम से महिलायें अपने मन की उमंग को प्रेमी के लिए अभिव्यक्त करते है।

3. शैला नृत्य

छत्तीसगढ़ में सैलानृत्य को **''डंडा नृत्य''** भी कहा जाता है, क्योकिं इस नृत्य में भाग लेने वाले प्रत्येक सदस्य के हाथ में डंडा होता है। डंडानृत्य में ताल का विशेष महत्व होता है। डंडों की मार से ताल उत्पन्न होता है, इसलिए इस नृत्य को मैदानी भाग में डंडा नृत्य और पर्वतीय भाग में सैलानृत्य कहते है। यह नृत्य **फागून माह** में होली त्यौहार आने तक किया जाता है। सैलानृत्य में केवल पुरूष सदस्य भाग लेते है। ग्रामीण अंचल में जैसे ही फागुन का महिना आता है। गांवों में चारो ओर मस्ती एवं उमंग की लहर में कोंध सदस्य टोलियों बनाकर घर–घर जाकर सैलानृत्य करते है। ढ़ोलक की ताल एवं डंड़ो की बान टोलियों की शान होती है। फसलों की कटाई, मिंजाई के बाद जब अनाज का भण्डारण घर में कर लिया जाता है और मेहनत का रंग खेत–खलिहानों से होकर घर –आंगन में बिखरने लगता है, तो चारो ओर हर्ष एवं उल्लास का महौल होता है।

सैला नृत्य सामान्यतः गोलाकार में किया जाता है, इस टोली में एक मृदंग वाला एवं एक झांझ या मंजीरा बजाने वाले होते है। बाकी बचे हुए नर्तक इनके चारों ओर गोला बनाकर एक ताल में नृत्य करते है। इसमें एक कुहकी देने वाला होता है, जिससे नृत्य की गति एवं ताल निर्धारित होता है। नर्तक एक दूसरे के डंडे से टकराते है। कभी उचकते हुए कभी नीचे झुककर और अगल–बगल के नर्तक को डंडा से ताल देते हुए फैलते–सिकुड़ते नृत्य करते है। इस प्रकार मनोरंजन के साथ–साथ हर्षोउल्लास से सैला नृत्य किया जाता है।

4. विवाह नृत्य

कोंध जनजाति में विवाह के विभिन्न अवसरों जैसे– चुलमाटी, तेल चढ़ाते समय, परघनी, भांवर, तेलवाही एवं देवतला आदि समय में विवाह गीत के साथ–साथ नृत्य का भी प्रचलन रहा है। वर्तमान में इनमें विवाह संस्कार

तीन दिन में सम्पन्न हो जाता है। जिसमें प्रथम दिन शाम को बच्चे, महिला–पुरूष गौरी की मूर्ति के लिये चुलमाटी लेने ग्राम के बाहर जाते समय ढ़ोल–नगाड़ों के साथ गीत–संगीत एवं नृत्य करते है। वापस आकर जब वर या वधु को तेल–हल्दी लगाने के पश्चात् भी नृत्य किया जाता है। रात्रि में खाना खाने के पश्चात् शराब पीकर वर/वधु को गोद में उठाकर विवाह नृत्य किया जाता है। विवाह हेतु बारात निकालते समय एवं वधू के ग्राम में पहुंच कर परघनी होते तक नृत्य करते है। इस प्रकार कोंध जनजाति में विवाह के प्रत्येक रात में सामुहिक रूप से महिला एवं पुरूषों द्वारा विवाह नृत्य किया जाता है।

5. रथ नृत्य

इस क्षेत्र में रथ नृत्य का विशेष महत्व होता है। यह नृत्य **आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष** के दूसरे दिन से शुरू होती है। इसमें भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा के समय पुरूषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, इसमें ढ़ोल मृंदग, झांझ आदि वाद्ययंत्रो के साथ सामूहिक रूप से कतार, गोलाकार या लम्बवत में नृत्य किया जाता है। जब भगवान जगन्नाथ, सुभ्रदा एवं बलभद्र की झांकी रथ में निकाली जाती है, तो उनके गुणगान में रथनृत्य किया जाता है। यह नृत्य कोंध जनजाति अन्य समाज के सदस्यों के साथ मिलकर किया जाता है।

9.3 लोकोक्ति एवं कहावतें

कोंध जनजाति की लोक परम्पराओं में लोकोक्ति एवं कहावत का विशेष महत्व होता है। ये अपने दिनचर्या में विभिन्न प्रकार की लोकोक्ति एवं कहावतों का उपयोग करते है। लोकोक्ति लोगों के द्वारा कही गयी उक्ति या बात होती है, जो सुनने वाले के मन में गहरा प्रभाव डालती है, इसमें कहीं न कहीं वास्तविक सच और लम्बा अनुभव छिपा रहता है। अपनी बातों को सटीक एवं संक्षिप्त में व्यक्त करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है।

लोकोक्ति एवं कहावतें इनके दैनिक जीवन के विभिन्न पहलूओं से जुड़ी हुई होती है, जिसे लंबे समय से जन समुदाय द्वारा बोलचाल के समय उपयोग किया जाता रहा है। ये लोकोक्ति एवं कहावतें वार्तालाप के समय अपनी बात को सटीक एवं संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने में मदद करती है। कोंध जनजाति में उपयोग की जाने वाली कुछ लोकोक्ति एवं कहावतें निम्न हैः–

1. सावन के खेती अदखन, आषाढ़ खेती करे संचार।

अर्थ :– आषाढ़ माह में खेती करने से फसल अच्छी होती है, और सावन माह में फसल पिछड़ने से बीमारी आदि से ग्रसित हो जाती है।

2. लरक–लरक बोय किसान, जेकर उपजे ते सियान

अर्थ :– सभी किसान अपने–अपने खेतों में फसल लगाते है, लेकिन जिसकी फसल अच्छी होती है, वही होशियार किसान कहलाता है।

3. सिलकी तो सिलकी राजा घर चोर पेले कति से निकली।

अर्थः– यह एक पहेली है जिसका उत्तर मछली पकड़ने का साधन ''धीर'' होता है।

4. कौवा के करें ले ठोर न मरे।

अर्थ :– कौंआ के कॉव–कॉव करने से पशु नहीं मरता है। यह एक कहावत है कि किसी के बड़बड़ाने या कुछ कहने से दूसरे का कुछ नही बिगड़ता है।

5. आषाढ़, सावन गौतरी करें, कार्तिक में खेले जुआ,
पारा–परोस मन पूछे लगीन कतक धान लुआ।

अर्थ :–जो व्यक्ति खेती करने के समय (आषाढ़–सावन माह में) दूसरे गांव घूमता–फिरता है तथा कार्तिक माह में जुआ खेलता है, उन्हें फसल कटाई के समय आस–पास के लोग पूछने लगते है कि इस वर्ष कितनी फसल काटे हो।

6. का बरसा जब खेत सुखावत

अर्थः– अवसर बीत जाने पर साधन बेकार हो जाते है।

7. गांव के जोगी जोजवा, आनगांव के योगी

अर्थ :– गुण की पहचान अपनों की अपेक्षा बाहरी लोग अधिक करते है।

8. फसल खाये गद्हा, मोर खाये जोलाहा

अर्थ :– गलत करे कोई और सजा कोई दूजा भोगे।

उपरोक्त कहावतें एवं लोकोक्ति कोंध जनजाति के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित होती है। जिनका समुदाय द्वारा अपनी बातों को सटीक एवं संक्षिप्त रूप में उलाहना के रूप में उपयोग किया जाता है।

==========00==========

अध्याय –10

परिवर्तन एवं समस्याएँ

10.1 परिवर्तन

कोंध जनजाति के सर्वेक्षण के दौरान उनके सामान्य जन–जीवन में शिक्षा, संचार, आवागमन, अन्य संस्कृतियों के साथ सम्पर्क तथा नयी तकनीकों के प्रयोग के कारण जीवन शैली, रहन–सहन आदि में परिवर्तन स्पष्ट परिलक्षित होता है। इन नवीन आयामों के कारण प्राचीन रीति–रिवाज, परम्पराओं एवं भौतिक संस्कृति में बदलाव दिखाई देता है। कोंध जनजाति में होने वाले परिवर्तन को निम्न बिन्दुओं में दर्शाया गया है :–

1. भौतिक संस्कृति में परिवर्तन

कालान्तर में औद्योगीकरण, नगरीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप कोंध जनजाति क्षेत्रों में अप्रत्याशित रूप से बदलाव आया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने पहुंच विहिन छोटे–छोटे ग्रामों, मजरा, टोला को मुख्य मार्ग से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। कोंध निवासित कुछ ग्राम पक्की सडकों से जुडे हुये पाये गये है। जिससे क्षेत्र में आवागमन के साधनों का प्रचलन भी बढ़ा है। वर्तमान में प्रत्येक ग्राम के विद्युतीकरण होने से हर घर बिजली से रोशन है। आज पूरी दूनिया में संचार के साधन बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। जिससे कोंध निवासित क्षेत्रों में भी संचार माध्यमों का विस्तार तेजी से हो रहा है।

कोंध जनजाति में आवागमन एवं संचार के साधनों में महत्वपूर्ण परिवर्तन परिलक्षित होते है। वर्तमान में यातायात के साधन उपलब्ध होने से ये लम्बी दूरी की यात्रा भी करने लगे है। कोंध समुदाय आवागमन के लिए सायकल, मोटरसायकल एवं बसों आदि का उपयोग करते है। ये संचार के आधुनिक संसाधन टेलीफोन, मोबाइल के बारे में जानकारी रखने के साथ–साथ उसका बहुतायत में उपयोग करने लगे है। अधिकांश घरों में रेडियो, दूरदर्शन, टी.व्ही. एवं मोबाइल देखे जा सकते है। आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों के पास कम्प्युटर, लेपटाप, इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। कोंध जनजाति के युवा वर्ग स्मार्ट फोन से सोशस साईट जैसे– फेसबुक, वाट्सअप एवं इंटरनेट का उपयोग करते देखे जा सकते है। अपने सगे–संबंधी से बात करने, निमन्त्रण देने, संदेश भेजने आदि के लिए मोबाइल एक सशक्त माध्यम का रूप ले चुका है। संक्षेप में कोंध जनजाति के भौतिक संस्कृति में होने वाले परिवर्तन निम्नलिखित हैः–

(i) इस समुदाय में परंपरागत आवास के स्थान पर नयी शैली के आवास का निर्माण होने लगा है। दीवालों हेतु मिट्टी के स्थान पर ईंट, पत्थर आदि का उपयोग किया जाने लगा है। आवास में छत के नीचे इमारती लकड़ी का पटाव देखा जा सकता है। दीवालों की पुताई ''छुही'' के स्थान पर चूने से दिखाई देने लगी है।

(ii) कोंध निवासित ग्राम के विद्युतीकरण होने के कारण अधिकांश घरों में **''दीये''** के स्थान पर रोशनी हेतु एकलबत्ती बिजली की व्यवस्था देखने को मिलता है। अधिकांश घरों में बिजली से चलने वाले आधुनिक उपकरण जैसे–टी.वी., रेडियों, मोबाइल, सिलिंग पंखा, आयरन, टार्च आदि देखने को मिलता है।

(iii) दैनिक उपयोग की वस्तुओं में मिट्टी के बर्तनों के स्थान पर स्टील, कांसा, पीतल व एल्युमिनियम के बर्तनों का उपयोग होने लगा है। वर्षाकाल आदि में छाता, रेनकोट, जूते, चप्पल आदि का उपयोग होने लगा है। घरों में प्लास्टिक की चटाई, कुर्सियाँ, डिब्बे, बाल्टियाँ आदि सहज ही दिखाई देता है।

(iv) वर्तमान परिवेश में कोंध जनजाति में परम्परागत आभूषण एवं गहनों का प्रचलन धीरे–धीरे कम हो रहा है। परम्परागत आभूषण एवं गहने केवल वृद्ध महिलाओं तक सीमित हो गये है। वर्तमान में प्रचलित आधुनिक आभूषण एवं गहने सस्ते एवं आसानी से उपलब्ध हो जाते है। कोंध महिलायें वैवाहिक एवं अन्य सांस्कृतिक क्रार्यकमों में आधुनिक आभूषण, रंगीन चूड़ियॉ, काले मोतियों एवं चांदी की बनी मंगलसूत्र, फैन्सी पायल, टाप, कर्णफुल, क्रिस्टल की अंगूठी आदि पहनने लगी है। आर्थिक स्थिति अच्छी होने पर सोने की माला एवं चैन, मंगलसूत्र, कर्णफुल एवं अंगूठी आदि का भी धारण किया जाने लगा है। पुरूष वर्ग में साज–श्रृंगार के आधुनिक साधन जैसे–घड़ी, चश्मा, बेल्ट, टोपी आदि का प्रचलन सहज ही देखने को मिलता है।

(v) शारीरिक स्वच्छता एवं सौन्दर्य प्रसाधन में दातून के स्थान पर टूथब्रश व टूथपेस्ट, स्नान हेतु बाजार से खरीदे गये खुशबूदार साबून, कपड़े धोने हेतु डिटर्जेन्ट पावडर, श्रृंगार हेतु सुगंधित तेल, पावडर, बिंदिया, क्लिप का उपयोग करने लगे हैं। वस्त्रों में जींस, टी–शर्ट, कुर्ता, पैजामा, सलवार, रंग–बिरंगी साड़िया आदि का उपयोग करने लगे हैं।

(vi) मनोरंजन के परम्परागत साधनों जैसे– खेलकुद, लोकगीत–नृत्य, वाद्ययंत्र आदि का स्थान पर मोबाइल, टी.वी., सीडी प्लेयर, रेडियो, लाउडस्पीकर ले रहे है।

(vii) आवागमन के परम्परागत साधनों के स्थान पर सायकल, मोटरसायकल, ट्रेक्टर, बस, जीप, आदि का उपयोग किया जाने लगा है।

2. आर्थिक परिवर्तन

कोंध जनजाति में शिक्षा का प्रसार, जागरूकता, वनोपज की घटती उत्पाद, आधुनिक यंत्र एवं उपकरण आदि से अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए परम्परागत व्यवसायों को समय के अनुरूप नये व्यवसाय की ओर अग्रसर हो रहे है। कुछ सदस्य शिक्षा अर्जित कर शासकीय सेवाओं में पदस्थ है, तो कुछ परिवार किराना दूकान, राज मिस्त्री, टेलरिंग, सब्जी बेचने आदि कार्यो को अपना रहे है। कृषि में आधुनिकीकरण के फलस्वरूप परम्परागत कृषि के स्थान पर आधुनिक यंत्र एवं उपकरणों का उपयोग किया जाने लगा है। संक्षेप में इनके आर्थिक परिवर्तन को निम्नलिखित बिन्दूओं में दर्शाने का प्रयास किया गया हैः–

(I) कोंध जनजाति के शिक्षित एवं जागरूक परिवार परम्परागत कृषि पद्यति के स्थान पर आधुनिक खेती की ओर अग्रसर है। कुछ परिवारों के पास छोटे–छोटे सिंचाई के लिए पंप, बोरबेल्स भी देखे जा सकते है। कोंध जनजाति में यह जागरूकता उनके भावी जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन की ओर संकेत देते है।

(ii) कोंध जनजाति के द्वारा कृषि पूर्व में गोबर खाद का प्रयोग किया जाता था लेकिन अब अधिकांश परिवारों द्वारा गोबर खाद के साथ–साथ रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने हेतु उर्वरक एवं कटाई, मिंजाई हेतु थ्रेसर मशीन आदि का उपयोग किया जाने लगा है।

(iii) यह जनजाति पूर्व में वनोपज संग्रहण, शिकार तथा सीमित कृषि पर आश्रित थे, लेकिन वर्तमान परिवेश में अधिकतर परिवारों के पास कृषि भूमि है। इसके अलावा कृषि, मजदूरी एवं वनोपज विक्रय आदि कार्य कर अपना जीवकोपार्जन कर रहे हैं।

(iv) इस समुदाय में पूर्व में वस्तु विनिमय प्रथा प्रचलित थी, किन्तु वर्तमान में अधिकांश परिवारों द्वारा नगद व्यवहार किया जाता है।

(v) ये अब कृषि कार्यों हेतु ऋण के लिये साहूकारों पर ही आश्रित नहीं है, वरन् इनके द्वारा शासकीय बैंक या सहकारी समितियों से ऋण लिया जा रहा है।

(vi) कोंध जनजाति में शिक्षा का प्रसार एवं जागरूकता आने के कारण पूंजी के संधारण करने की प्रवृत्ति देखने को मिलता है। यह समुदाय अपनी पूंजी को जमीन खरीदने, बचत के रूप में बैंकों में, आभूषण आदि के रूप में पूंजी का संधारण करने लगे है। कुछ परिवार अपनी बचत पूंजी को मोटरसायकल, टी.व्ही, फ्रीज, मोबाइल आदि आधुनिक संसाधनों के क्रय में व्यय कर रहे है।

3. सामाजिक परिवर्तन

कोंध जनजाति के जनजीवन में अशिक्षा, असमानता, रूढ़िवादिता एवं सहजता लम्बे समय से लोगो के दैनिक व्यवहार एवं नैतिक परम्पारिक दृष्टिकोण का लक्षण रहा है। इनकी सामाजिक संरचना एवं मूल्य परम्परागत है, एवं सामाजिक व्यवस्था में अभी तक परम्परागत सामाजिक संस्थाएं प्रचलित है। जो कालान्तर में आधुनिकीकरण, जागरूकता, नगरीकरण तथा शासकीय योजनाओं के फलस्वरूप निरन्तर परिवर्तित हो रहा है जिससे वर्तमान परिवेश में कोंध जनजाति की सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों में गतिशीलता दिखायी देता है। इनमें होने वाले सामाजिक परिवर्तन को निम्न बिन्दुओं में दर्शाने का प्रयास किया गया है:–

(I) कोंध जनजाति में पूर्व में पारिवारिक सुरक्षा की दृष्टि से संयुक्त परिवारों को उचित माना जाता था। लेकिन अब संयुक्त परिवार विघटित होकर एकाकी या सीमित आकार के परिवारों में परिवर्तित होते जा रहे हैं।

(ii) कोंध जनजातीय में परम्परागत रूप से कार्यो के विभाजन में लिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसी के अनुसार महिला–पुरूष सदस्यों में एक ऊंच–नीच का संस्तरण पाया जाता है जो इनमें सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आदि क्षेत्रों में स्त्रीयों की तुलना में पुरूषों को ज्यादा अवसर प्रदान करती है। वर्तमान में इनमें सिथिलता देखने को मिलता है।

(iii) आधुनिकीकरण, जागरूकता, नगरीकरण, अन्तर्जातीय सम्पर्क तथा शासकीय योजनाओं के फलस्वरूप इनके कठोर रीति–रिवाज, खान–पान संबंधी पारम्परिक नियमों में शिथिलता देखने को मिलता है।

(iv) पूर्व में घर का मुखिया पारिवारिक निर्णय लेने को स्वतंत्र था, जिसे सभी स्वीकार्य करते थे, किन्तु आधुनिक परिवेश में पारिवारिक निर्णय आपसी सहमति के आधार पर होने लगा है।

(v) कोंध जनजाति परिवारों का मुखिया बुजुर्ग पुरूष के हाथों में था। लेकिन वर्तमान में परिवार का मुखिया पिता अथवा आय अर्जित करने वाले सदस्य मुखिया का उत्तरदायित्व संभालता है।

(vi) कोंध जनजाति में सामाजिक रूप से पैतृक संपत्ति पर पुत्री का कोई अधिकार नहीं होता था लेकिन शासकीय कानून व्यवस्था के अन्तर्गत वर्तमान में पिता की संपत्ति पर पुत्रियों का समान अधिकार माना जाता है।

4. जीवन संस्कार में परिवर्तन

(i) पूर्व में प्रसव पारम्परिक दाई द्वारा सम्पन्न कराया जाता था, किन्तु वर्तमान में प्रशिक्षित दाई/नर्स की देखरेख में प्रसव कराने लगे हैं। अधिकांश शिक्षित, जागरूक एवं आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों द्वारा अस्पताल में प्रसव कराया जाने लगा है।

(ii) जनजातीय क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार सतत रूप से प्रयासरत है। जिसके लिए 1000 की आबादी वाले ग्रामों या ग्रामों के समूह में एक उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना का प्रावधान है। जिसके फलस्वरूप जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हो रहा है और कोंध जनजाति के सदस्य इसका भरपूर लाभ ले रहे है।

(iii) बच्चों को लगने वाले टीके जैसे– खसरा, रूबेला, हेपेटाइटिस, चेचक, इंफ्लुएंजा, डी.टी.पी., एवं बी.सी.जी. आदि टीकाकरण के प्रति जागरूकता देखने को मिलती है।

(iv) जन्म, विवाह एवं मृत्यु संस्कारों में भी नाई, धोबी एवं पंड़ित की सेवा लेने लगे है।

(v) जन्म एवं विवाह संस्कारों में आधुनिक वाद्ययंत्रों जैसे– बैंडबाजा, डी.जे., लाउडस्पीकर आदि आधुनिक वाद्ययंत्रों का उपयोग किया जाने लगा है।

(vi) पूर्व में इनमें विवाह की आयु अपेक्षाकृत कम थी। वर्तमान परिवेश में शिक्षा एवं अन्य जातियों के प्रभाव के फलस्वरूप विवाह आयु में वृद्धि हुई है।

(vii) वर्तमान में आंगनबाड़ी तथा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के फलस्वरूप माता एवं शिशु के पोषण की स्थिति में सुधार दिखाई देता है।

(viii) वर/वधु के चुनाव में परिवार का मुखिया एवं घनिष्ट रिश्तेदारों की भूमिंका महत्वपूर्ण होती थी, लेकिन वर्तमान में युवक–युवतियों की सहमति से ही विवाह सम्पन्न कराया जाने लगा है।

(ix) गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य एवं टीका के प्रति जागरूकता देखने को मिलता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं ग्राम मितानिन की सहायता से गर्भवती महिलाओं को सही समय पर जांच, आयरन, कैल्शियम की गोली, टीका लगाने एवं उचित पोषण आहार से संबंधी जानकारी उपलब्ध कराती है और प्रसव भी अस्पताल में कराने लगे है।

(x) विवाह संपन्न कराने में धार्मिक मुखिया एवं **सुवासा, सुवासिन** की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो विवाह

संस्कार के समस्त रस्मों का संपादन करते है, लेकिन वर्तमान परिवेश में शिक्षित एवं सक्षम परिवार पंडित से विवाह संस्कार संपन्न कराने लगे है।

5. शैक्षणिक स्थिति में परिवर्तन

शिक्षा किसी भी समाज के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोंध जनजाति में अंधविश्वास एवं अतार्किक व्यवहार में कमी का कारण भी आधुनिक शिक्षा है। आज इनमें शिक्षा की दर में लगातार वृद्धि हो रही है। कोंध जनजाति प्राचीन काल से ही परम्पराओं के अनुयायी रही है, लेकिन आज आधुनिकता से वे भी अछुते नहीं है। इनमें शिक्षा, आवागमन एवं संचार के साधन, रेल, मोटर–कार, प्रशासन एवं सामुदायिक योजनाओं आदि ने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया है, जिससे उनमें भौतिक परिवर्तन के साथ–साथ शैक्षणिक स्थिति में भी परिवर्तन हुए है। वहीं नये मूल्य, संबंध व अपेक्षाएं भी जन्म ले रही है।

निःशुक्ल एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 शिक्षा के सार्वभौमिक अधिकार को सुनिश्चित करने का एक वैधानिक प्रयास है। जिसमें 6–14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक अपने घर के पास स्थित स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। कोंध जनजाति में आधुनिकीकरण से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बदलाव आया है, शिक्षा के कारण कोंध जनजाति के लोगों की मानसिकता में भी आधुनिक सोच का प्रसार तीव्र गति से होने लगा है। इनके रीति–रिवाज, खान–पान, वेशभूषा एवं जीवन स्तर आदि में शिक्षा के कारण परिवर्तन दिखाई देता है। संक्षेप में इनके शैक्षणिक स्थिति में होने वाले परिवर्तन को निम्न बिन्दुओं पर दर्शाया गया है:–

(I) कोंध जनजाति में पूर्व में बालिका शिक्षा दर कम थी। बालिकाओं को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक निःशुल्क शिक्षा, गणवेश, पुस्तक, छात्रवृत्ति एवं सायकल वितरण के फलस्वरूप इनमें बालिका शिक्षा के क्षेत्र में धीरे–धीरे सुधार हो रहा है।

(ii) कोंध जनजाति में शासन एवं प्रशासन के विभिन्न प्रयासों के फलस्वरूप युवक–युवतियों के समान शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलता है।

(iii) पूर्व में इस जाति के लोग अपने बच्चों को प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा को पर्याप्त मानते थे, परंतु शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता एवं अन्य संस्कृतियों के प्रभाव के कारण अब ये लोग उच्च शिक्षा की ओर उन्मुख हुये है।

(iv) वर्तमान में कोंध युवक–युवतियॉ जिला मुख्यालय अथवा राज्य स्तर पर शिक्षा/नौकरी हेतु प्रयास करने लगे है।

(v) कोंध जनजाति में शिक्षा के विस्तार से उनके रहन–सहन, खान–पान, वेशभूषा आदि मनोवृत्तिओं में परिवर्तन देखने को मिलता है।

6. राजनैतिक जीवन में परिवर्तन

शिक्षा के प्रसार से ज्ञान एवं कला में वृद्धि होती है, और स्वतंत्रता, समानता एवं राष्ट्रीय एकता जैसे भावनाओं का विकास होता है कोंध जनजाति में भी शिक्षा एवं जागरूकता, अन्य जनजाति संगठन का प्रभाव, आधुनिक ग्राम पंचायत का प्रभाव, आवागमन एवं संचार साधनों का प्रभाव, आधुनिक कानून व्यवस्था एवं नगरीय सम्पर्क का प्रभाव से राजनैतिक चेतना का विकास हुआ है। वर्तमान परिवेश में कोंध जनजाति के परम्परागत जाति पंचायतों की संरचना, स्वरूप एवं कार्यो में आमुलचुल परिवर्तन देखने को मिलता है। आज पढ़े–लिखे युवा वर्ग जाति पंचायतों का प्रतिनिधित्व करने लगे है। वे अपने सामुदायिक हितों की रक्षा एवं संरक्षण के लिए परम्परागत जातीय पंचायतों को सुदृढ़ करने प्रयासरत है। इनके राजनैतिक जीवन में होने वाले परिवर्तन निम्नलिखित हैः–

(I) परम्परागत जातीय पंचायतों में स्त्रियों की भूमिका नहीं होती थी, किन्तु वर्तमान परिवेश में समाज द्वारा गठित संस्थाओं में स्त्रियों की भागीदारी पायी जाती है। साथ ही आधुनिक ग्राम पंचायतों में स्त्रियां विभिन्न पदों में आसीन है।

(ii) पूर्व में जातीय पंचायत का पद या मुखिया परम्परागत होता था, किन्तु वर्तमान में इनका प्रतिनिधित्व पढ़े लिखे लोग करने लगे है।

(iii) कोंध जनजाति के परम्परागत जनजाति पंचायत की संरचना एवं पद में परिवर्तन दिखाई देता है। परम्परागत पद सयाना, पंच, सदस्य एवं कोटवार आदि पद होते थे, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में आधुनिक ग्राम पंचायतों, समिति, संस्थाओं के प्रभाव से इन पदों को संरक्षक, अध्यक्ष, सभापति, सचिव कोषाध्यक्ष एवं चपरासी आदि में उन्नयन किया गया है।

(iv) कोंध जनजाति में राजनैतिक चेतना के फलस्वरूप आधुनिक ग्राम पंचायतों में कुछ सदस्य पंच एवं सरपंच पदों पर आसीन है। स्थानीय स्तर पर होने वाले ग्राम पंचायत, जनपत पंचायत, मण्डी आदि के चुनाव में इनकी सहभागिता भी देखने को मिलता है।

(v) कोंध जनजाति के परम्परागत जाति पंचायतों में कोई लिखित निमयावली नहीं होती थी। वे समुदाय में प्रचलित मान्यताओं, परम्पराओं एवं निषेधों आदि को कठोरता के साथ समुदाय के सदस्यों पर लागू किया जाता था। लेकिन वर्तमान में इनके जाति पंचायतों में समुदाय के उत्थान एवं विकास हेतु लिखित नियमावली देखने को मिलता है। जिसमें मुख्य रूप से समुदाय में प्रचलित कुरितीयों, प्रथाओं एवं रूढ़ियों में शिथिलता लाने का प्रयास किया जा रहा है।

7. धार्मिक जीवन में परिवर्तन

कोंध जनजाति कई दशकों से हिन्दू संस्कृति के सम्पर्क में निवास करता आ रहा है। जिसके फलस्वरूप उसके समस्त जीवन पर हिन्दू संस्कृति का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, जिसमें पर्व एवं त्यौहार भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। वर्तमान में कोंध जनजाति अपने तीज–त्यौहारों को हिन्दू पूजा विधि, उपवास एवं व्रत रखने लगे है। पूजा सामाग्री में नारियल, धूप, अगरबत्ती, दूध, घी, गंगाजल, कपूर, गुलाल, रक्षाधागा आदि का उपयोग सामान्य ढ़ंग से देखा जा सकता है। अपने आराध्य देवी–देवताओं की आराधना में आरती, भजन एवं हवन आदि का प्रचलन देखने को मिलता है।

कोंध समुदाय अपने सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठानों में पारम्परिक वांद्ययंत्रों के ताल पर लोकगीत एवं नृत्य संगीत से हर्षोउल्लास करते है। जिसका प्रचलन धीरे–धीरे कम होते जा रहा है। ये अपने जातिगत त्यौहारों के साथ–साथ हिन्दू त्यौहारों जैसे दीपावली, दशहरा, होली, गणेश उत्सव, नवरात्री, महाशिवरात्री, मकरसक्रांति, रामनवमी आदि त्यौहारों को भी हर्षोउल्लास से मनाने लगे है। इससे इनके पर्व एवं त्यौहार मनाने के तरीके में परिवर्तन आ रहा है। वर्तमान में कोंध जनजाति के पर्व एवं त्यौहार अपने आराध्य देवी–देवताओं में बलि देने एवं शराब की नशे में धुत रहने का नहीं रह गया बल्कि हिन्दू संस्कृति की भांति सांस्कृतिक संमगम एवं सामाजिक भाईचारा के रूप में उभर कर सामने आ रहा है।

कोंध जनजाति मौलिक रूप से प्रकृति, आत्मा अलौकिक भाक्तियों पर विश्वास करती है एवं अपने पूर्वज देव, ग्राम–देव व अन्य देवी–देवताओं की पूजा करती है, किन्तु हिन्दू संस्कृति के सम्पर्क के कारण अब ये लोग श्री राम, गणेश, हनुमान, राधा–कृष्ण आदि देवी–देवताओं की भी पूजा करते हैं।

8. लोक परम्पराओं में परिवर्तन

आज के बदलते परिवेश में वैश्वीकरण, विज्ञान की उन्नत तकनीकि, संचार के व्यापक संसाधनों आदि के कारण से कोंध जनजाति में अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित मान्यताओं, आस्थाओं एवं परम्पराओं की मौलिकता का हनन हो रहा है। वह अपने परम्परागत मूल्यों से हटकर उपभोगतावादी संस्कृति को अपनाती जा रही है। जिसके फलस्वरूप इनके लोक–कला के स्थापित स्वरूपों में परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है। इस जनजाति में कर्मा नृत्य, सुवा नृत्य, ददरिया नृत्य एवं लोक गीतों का प्रचलन धीरे–धीरे कम हो रहा है। अपने परम्परागत लोकगीतों एवं नृत्यों में युवा वर्ग की रूचि कम हो रही है।

इनके पर्व एवं त्यौहारों में गाये जाने वाले लोकगीत एवं नृत्यों में फिल्मी गीतों, भक्ति गानों, लाउडस्पीकर, सी.डी. प्लेयर, मोबाइल आदि का प्रचलन बढ़ते जा रहा है। परम्परागत वाद्ययंत्रों को आधुनिक वाद्ययंत्रों के साथ मिलाकर प्रयोग करने लगे है, जैसेः– हारमोनियम, केशियों एवं आधुनिक ड्रम के साथ परम्परागत मृंदग, झांझ, खंजनी, मंजीरा आदि का प्रयोग विवाह एवं धार्मिक समारोह में करने लगे है।

10.2 समस्याएँ

कोंध जनजाति में पायी जाने वाली समस्याएं निम्नलिखित हैं :–

1. सामाजिक समस्याएँ

(I) कोंध समुदाय में अधिकांश महिला–पुरूषों में नशे की लत (नशाखोरी) प्रमुख समस्या है। त्यौहारों, उत्सवों या विशेष अवसरों पर इनके द्वारा मादक पदार्थ के रूप में दारू (महुंआ की बनी कच्ची शराब) का सेवन किया जाता है, जो स्वास्थ्य के साथ–साथ, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से भी नुकसानदायक है।

(ii) इस समुदाय में निर्धारित आयु के पूर्व ही अधिकांश युवक–युवतियों का विवाह कर दिया जाता है।

2. आर्थिक समस्याएँ

(I) कोंध जनजाति की कृषि भूमि असिंचित व मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। फलस्वरूप वर्ष में एक फसल ही ले पाते हैं। साथ ही पारम्परिक पद्धति व उपकरणों से कृषि कार्य करते है।

(ii) वनोपज के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने एवं उसका उचित मूल्य न मिलने के कारण भी इनकी आय कम है।

(iii) इनकी वार्षिक आय से पारिवारिक आवश्यकताओं व आकस्मिक व्यय की पूर्ति नहीं हो पाती है। अतः इन्हें साहूकारों आदि से कर्ज लेना पड़ता है। इस प्रकार ऋणग्रस्तता भी इनकी एक प्रमुख समस्या है।

(iv) इनकी अर्थव्यवस्था में मजदूरी का महत्वपूर्ण योगदान है, किन्तु पर्याप्त रोजगार के अवसर का न मिल पाना भी एक समस्या है।

3. शैक्षणिक समस्याएँ

कोंध जनजाति में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है। अधिकांश सदस्य प्राथमिक स्तर तक ही शिक्षित है। इस जनजाति में बालिका साक्षरता की दर बहुत कम है, जिसका प्रमुख कारण बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा के पश्चात् वनोपज संकलन, घरेलू काम–काज, पशुचारन, छोटे भाई–बहनों की देखरेख आदि कार्यो में संलग्न करा देते है।

4. स्वास्थ्य समस्याएँ

(i) कोंध जनजाति में जादू–टोना, भूत–प्रेत संबंधी अनेक भ्रांतियां तथा अंधविश्वास व्याप्त है। किसी भी प्रकार के रोगग्रस्त होने की स्थिति में ये अपने पारम्परिक चिकित्सक बैगा के पास जाते हैं। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का न होना भी एक महत्वपूर्ण समस्या है।

(ii) कोंध जनजाति में जागरूकता की कमी के फलस्वरूप कुछ परिवार घर पर ही परम्परागत दाई ''सुईन'' से प्रसव करवाते हैं, जिसमें जच्चा–बच्चा दोनों को खतरा बना रहता है।

(iii) कोंध निवासित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल एवं स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है।

==========00==========

अध्याय –11

विकास

क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को **''विकास''** कहते है। मनुष्य का विकास जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें सर्वांगीण पक्षों का विकास होता है। विकास की प्रक्रिया में शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, संवेगात्मक एवं भाषागत विकास इत्यादि पक्षों का समावेश होता है। विकास आन्तरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को दर्शाता है। विकास सामान्य से विशेष की ओर, सरल से जटिल की ओर चलती है। कुछ क्षेत्रों में विकास बहुत तेज गति से वृद्धि को दर्शाता है तो कुछ क्षेत्रों में धीमी गति से वृद्धि को दर्शाता है।

वर्तमान समय में हमारा देश विकास की ओर निरन्तर गतिशील है। औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, शिक्षा का प्रसार, आधुनिकीकरण एवं जागरूकता आदि ने न केवल ग्रामीण क्षेत्रों को बल्कि जनजातीय समुदाय को भी बहुत हद तक प्रभावित किया है जिससे आज जनजातियों के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक, एवं शैक्षणिक आदि क्षेत्रों में तीव्र परिवर्तन परिलक्षित हो रहे है। केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा जनजाति वर्गो के विकास एवं हितो के संरक्षण हेतु शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान के साथ अनुपूरक कल्याणकारी योजनायें संचालित की जा रही है जिससे राज्य में निवासरत जनजातियों के साथ कोंध जनजाति भी अपनी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक उन्नति की ओर अग्रसर है।

सामाजिक–सांस्कृतिक गतिशीलता

कोंध जनजाति पितृवंशीय, पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था वाला समुदाय है जिसमें संयुक्त परिवार की प्रधानता होती थी। यद्यपि वर्तमान में परिवर्तन के नवीन साधनों विशेषकर शिक्षा के प्रसार, संचार साधनों, नगरीकरण एवं आर्थिक व्यावसायिक क्षेत्रों में परिवर्तन के फलस्वरूप संयुक्त परिवार एकाकी या सीमित आकार के परिवारों का विकास हो रहा है। कोंध जनजाति परिवारों का मुखिया बुजुर्ग पुरूष के हाथों में था। लेकिन वर्तमान में परिवार का मुखिया पिता अथवा आय अर्जित करने वाले सदस्य मुखिया का उत्तरदायित्व संभालता है। पितृवंशीय सामाजिक व्यवस्था होने के कारण संपत्ति का स्वामित्व पिता से पुत्र को प्राप्त होता है। सामाजिक मान्यतानुसार पुत्री को पिता की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त नहीं होता है लेकिन वर्तमान में पुत्री भी अगर चाहे तो पिता की संपत्ति

की उत्तराधिकारी बन सकती है। मुखिया के मृत्यु पश्चात् पत्नी एवं पुत्री में भी संपत्ति का हस्तान्तरण होता है। कोंध परिवार में पुत्र के अभाव में पुत्री को ही संपत्ति का हस्तान्तरण किया जाता है। पूर्व में मुखिया के निर्णय को सभी सदस्य स्वीकार करते थे लेकिन वर्तमान में मुखिया के निर्णय पर तर्क/वितर्क अथवा उचित/अनुचित की चर्चा की जाती है।

कोंध जनजाति में विवाह के लिए गोत्र एवं जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यह समुदाय अन्तःविवाही एवं गोत्र बहिर्विवाही वाला समूह है। पूर्व में सामान्यतः लड़का एवं लड़कियों का विवाह अपने–अपने दैनिक कार्यो में निपूण हो जाने पर संपन्न करा दिया जाता था लेकिन वर्तममान में शासन द्वारा निर्धारित आयु पूर्ण करने पर ही विवाह संपन्न किये जाते है। इनमें पूर्व में परिवार का मुखिया एवं घनिष्ट रिश्तेदार ही वधू को देख–पसंदकर विवाह तय कर दी जाती थी लेकिन वर्तमान में लड़का एवं लड़की के पसंद को प्राथमिकता दी जाती है। इनमें परम्परागत रूप से विवाह संपन्न कराने में समाज का धार्मिक मुखिया एवं सुवासा/सुवासिन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है लेकिन वर्तमान में आर्थिक रूप से सक्षम एवं शिक्षित परिवार पंडित से विवाह संपन्न कराने लगे है। वर्तमान में अधिकांश परिवार विवाह संस्कार में आधुनिक संसाधनों जैसे– लाउडस्पीकर, बैड़बाजा एवं डी.जे. आदि का उपयोग किया जाने लगा है। पूर्व की तुलना में वधूमूल्य प्रथा में शिथिलता देखने को मिलता है।

कोंध जनजाति पूर्व में अस्वस्थ या बीमारी होने का कारण देवी/देवता का कुपित होना, निषेधों का उल्लंघन, जादू–टोना लगना एवं भूत–प्रेत को मानते थे और इलाज बैगा/गुनिया से कराते थे लेकिन वर्तमान में शासन द्वारा प्रत्येक नागरिक को गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता प्रदान करने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा के तहत जारी स्मार्ट कार्ड का उपयोग करते हुए शासकीय अस्पताल/निजी अस्पताल आदि में ईलाज कराने लगे है। बच्चों को पोलियो, खसरा, रूबेला, हेपेटाइटिस, चेचक, डी.टी.पी. एवं बी.सी.जी. आदि का टीका निर्धारित समय पर लगवाया जा रहा है। कोंध जनजाति की गर्भवती महिलायें पूर्व में सामाजिक मान्यताओं के कारण कोई टीकाकरण नहीं कराते थे लेकिन वर्तमान में ग्राम मितानिन, स्वास्थ्य कार्यकर्ता आदि के माध्यम से टीपैड, फलू, हेपेटाइटिस आदि का टीकाकरण कराया जाने लगा है। गर्भावस्था के दौरान उचित आहार समय–समय पर जांच एवं टीकाकरण के लिए जागरूकता लाने शासन की मातृत्व लाभ योजना आदि माध्यम से भरकस प्रयास रहा है। जिसके लिए ग्राम मितानिन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा समय–समय पर निरीक्षण कर पौष्टिक दलिया, आयरन, कैल्सियम की गोली एवं टीकाकरण संबंधी जानकारी प्रदाय की जा रही है।

कोंध जनजाति में गर्भणी का प्रसव घर में अलग से कक्ष में कराया जाता था लेकिन वर्तमान में जागरूकता, शिक्षा का प्रसार एवं शासन के प्रयास से अधिकांश परिवार अस्पताल में प्रसव कराने लगे है। जनजातीय क्षेत्रों में शासन द्वारा जननी सुरक्षा अन्तर्गत प्रसव कराने पर प्रोत्साहन राशि, आकस्मिक समय पर 108 गाड़ी की उपलब्धता, घर से अस्पताल जाने एवं आने का सम्पर्ण खर्च आदि कारणों से प्रसव अस्पताल में कराने लगे है। पूर्व में कोंध जनजाति में प्रसव पश्चात् एक दिन तक माता का प्रथम दूध नवजात को न देकर धरती मॉ को अर्पित कर देते थे और माता को कुछ भी खाने को नहीं दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में डॉक्टर के सुझाये अनुसार जन्म के तुरन्त बाद नवजात् शिशु को कोलोस्ट्रम युक्त दुग्धपान कराया जाने लगा है साथ ही माता को दवाई व अन्य जरूरी आहार दिया जाने लगा है।

कोंध जनजाति में सामाजिक–धार्मिक मान्याताओं क अनुसार रजस्वला युवती या स्त्री को अशुद्ध माना जाता था और इस दौरान उसे कुछ सामाजिक निषेधों का पालन करना आवश्यक होता था जिसमें रसोई एवं भगवान कक्ष में प्रवेश करना, खाना बनाना, पानी लाना एवं धार्मिक क्रियाकलाप आदि निषेध होता है लेकिन वर्तमान में इन सामाजिक मान्यताओं में शिथिलता देखने को मिलती है वर्तमान में अधिकांश परिवार अब इसे स्वाभाविक प्राकृतिक घटना मानते है और धार्मिक कर्मकाण्ड का छोड़कर सभी कार्यो के लिए छुट दिये जाने को बुरा नहीं माना जाता है।

कोंध जनजाति में महुंआ से बनी कच्ची शराब (दारू) का सेवन बहुतायत में किया जाता है। सामान्यतः उत्सवों, त्यौहारों, मेहमान नवाजी एवं विशेष अवसरों पर महिला–पुरूष सभी शराब का सेवन करते थे धार्मिक कर्मकाण्डों को संपादित करते समय भी अपने आराध्य देवी–देवताओं में शराब का तर्पण किया जाता था और बकरा, सुअर एवं मुर्गा की बलि अनिवार्य रूप से दी जाती थी लेकिन वर्तमान में शिक्षित एवं जागरूक परिवार शराब का सेवन करने से परहेज कर रहे है और शराब के स्थान पर दूध अथवा गंगाजल से तर्पण करने लगे है पशुओं की बलि के स्थान पर नारियल, धुप अगरबत्ती आदि से पूजा–पाठ करने लगे है।

कोंध जनजाति में शिक्षा का प्रसार, जागरूकता एवं आधुनिकीकरण आदि से उनके रहन–सहन, खान–पान, वेषभूषा, रीति–रिवाज आदि से संबंधित मनोवृत्तियों में परिवर्तन देखने का मिलता है। उनमें राजनैतिक जागरूकता के फलस्वरूप शासन द्वारा अनुसूचित जनजातियों को प्रदत्त शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। वर्तमान में कोंध जनजाति के प्रत्येक परिवार सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत राष्ट्रीय परिवार लाभ

योजना, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, परिक्तता पेंशन आदि योजनाओं का लाभ ले रहे है।

2. आर्थिक विकास

जनजातीय समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक साधनों का प्रयोग कर जीवकोपार्जन करते है। किसी क्षेत्र विशेष की व्यवसाय का निर्धारण वहॉ कि भौगोलिक, सामाजिक और धार्मिक पहलूओं पर आधारित होता है। इसी प्रकार कोंध जनजाति भी कृषि, मजदूरी, वनोपज एवं पशुपालन आदि मिश्रित अर्थव्यवस्था पर निर्भर रही है। इनकी अर्थव्यवस्था का वृहष्द भाग प्रकृति पर आश्रित है लेकिन वर्तमान में कोंध जनजाति औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, शिक्षा एवं जागरूकता आदि कारणों से आर्थिक विकास की ओर उन्मुख होती जा रही है।

वर्तमान परिवेश में कोंध जनजाति कृषि एवं कृषि मजदूरी को अपने अर्थव्यवस्था में प्राथमिकता के साथ करती है। पूर्व में यह जनजाति **''पेन्दा'' (झुम कृषि),** आखेट एवं वनोपज पर आश्रित थे। लेकिन समय के साथ इनके कृषि क्षेत्र में भी परिवर्तन आया है। वर्तमान में अधिकांश कोंध परिवारों के पास छोटे आकार के कृषि भूमि है तो वन निवासित क्षेत्रों में वन भूमिं पर काबिज कोंध परिवारों को जमीन का शासन द्वारा वन अधिकार मान्यता पत्र प्राप्त हो चुका है। जिसमें वे कृषि कार्य कर अपना जीवकोपार्जन कर रहे है। अधिकांश कोंध परिवार जिन्हें वन भूमिं का मान्यता पत्र मिला है उन्हें शासन द्वारा भूमिं समतलीकरण, मेड़ निर्माण, सिंचाई सुविधा आदि सहयोग राशि भी प्राप्त हुआ है।

आधुनिकीकरण के फलस्वरूप वर्तमान में कोंध जनजाति में भी नवीन कृषि उपकरण एवं तकनीक का उपयोग किया जाने लगा है। कोंध जनजाति के शिक्षित एवं जागरूक परिवार खेत जोतने के लिए ट्रेक्टर, सहकारी समिति से उन्नत बीज, रासायनिक खाद का प्रयोग करने लगे है। फसलों को बीमारी से बचाने बाजार से कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया जाने लगा है। फसलों की कटाई एवं मिंजाई भी थ्रेसर मशीनों से किया जाने लगा है। कुछ परिवार ट्यूबवेल, कुंआ, टुल्लू पंप आदि से सिंचाई भी करते देखे जा सकते है। कोंध जनजाति में यह जागरूकता उनके भावी जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन की ओर संकेत देते है।

कोंध जनजाति में शिक्षा के प्रसार एवं जागरूकता से युवक–युवतियॉ पढ़ लिखकर शासकीय सेवा में कार्यरत है। वर्तमान में अधिकांश परिवारों के परम्परागत व्यवसाय में परिवर्तन आया है। अब वे कृषि, मजदूरी एवं

वनोपज के अतिरिक्त भी आय के अन्य स्त्रोतों से जुड़ते जा रहे है। इस प्रकार कोंध जनजाति अन्य समाज के सम्पर्क, जागरूकता, वनोपज की घटती उत्पाद, कृषि के आधुनिक यंत्र एवं उपकरण आदि से अपनी आर्थिक समृद्धि के लिये नये आयाम की ओर अग्रसर हो रहे है, जिससे उनके जीवन स्तर में धीरे–धीरे सुधार आ रहा है।

3. भौतिक विकास

कोंध जनजाति में शिक्षा का विस्तार, आवागमन, संचार साधनों एवं जागरूकता आदि का सबसे ज्यादा प्रभाव उनके भौतिक संस्कृति पर पड़ा है। कोंध जनजाति के परम्परागत आवास कच्चे एवं घासफूंस के बने होते है परन्तु वर्तमान परिवेश में शासन द्वारा प्रदत्त प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास, नगरीकरण एवं आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने आवास क स्वरूप को प्रभावित किया है। इनके पूर्व के घर कच्चे ही है लेकिन वर्तमान में बनने वाले घर सामान्यतः पक्के या अर्द्धपक्के होते है। परम्परागत आवास में प्रयुक्त सामाग्री जैसे–लकड़ी, बांस, घास–फूंस, देशी खपरैल आदि के स्थान पर ईंट, छड़, सीमेंट एवं रेती आदि का उपयोग किया जाने लगा है।

वस्त्र विन्यास कोंध जनजाति की संस्कृति का अभिन्न अंग है। इनके परम्परागत रूप से कोंध पुरूष लंगोटी एवं सिर पर गमछा धारण करते थे वहीं महिलायें लुगड़ी एवं युवतियॉ पोटका पहनती थीं लेकिन आधुनिक परिवेश में कोंध जनजाति में आधुनिक वस्त्रों के प्रति आकर्षण बढ़ा है। युवक–युवतियों में आधुनिक परिधान का प्रचलन दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। परम्परागत वस्त्र विन्यास बुजुर्ग महिला–पुरूष तक ही सीमित हो गये है। कोंध जनजाति के परम्परागत आभूषण एवं गहनों में कलदार, सुता, ठार, करछी, बहुटा, नागमोरी, ककनी, करधनी एवं पैरी आदि शामिल है जो एल्युमिनियम, चांदी अथवा गिलट आदि की बनी होती है जिसे महिलायें वैवाहिक एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में श्रृंगारित होती है लेकिन वर्तमान परिवेश में परम्परागत आभूषण एवं गहनों का प्रचलन धीरे–धीरे कम हो रहा है और आधुनिक आभूषण जैसे–चांदी की बनी मंगलसूत्र, फैंसी पायल, टाप, कर्णफूल, रंगीन चुड़िया आदि का प्रचलन दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है।

कोंध जनजाति में समय के साथ दैनिक उपयोग की परम्परागत वस्तुओं में बदलाव आता जा रहा है। वर्तमान में आधुनिक भौतिक संसाधन आकर्षक एवं किफायती होने के साथ–साथ सहजता से उपलब्ध भी होते है। यह समुदाय अब मिट्टी के वर्तनों के स्थान पर स्टील, कांसे एवं एल्युमिनियम के वर्तनों का उपयोग करने लगे है।

अधिकांश घरों में प्लास्टिक की कुसीयॉ, डिब्बे बाल्टियॉ, चटाई आदि का उपयोग करते सहज देखा जा सकता है। अधिकांश घरों में आधुनिक वस्तुयें जैसे–टी.व्ही., रेडियों, मोबाइल, दिवाल घड़ी, पंखा, छाता, रैनकोट, टार्च, जूते आदि का प्रचलन दिखाई देता है। आज कोंध जनजाति के सदस्य आधुनिक जीवन शैली से जुड़े वस्तुओं का उपयोग बहुतायत में किया जाने लगा है। भोजन बनाने एवं अन्न के परम्परागत भण्डारण में भी परिवर्तन दिखाई देता है। अनाज कुटने–पीसने के परम्परागत साधनों जैसे– ढ़ेकी, जाता, मुसल, कुटेला के स्थान पर बिजली से चलने वाले मशीनों का उपयोग किया जाने लगा है।

वर्तमान में कोंध निवासित ग्रामों में विद्युत सुविधा उपलब्ध होने के कारण प्रकाश के परम्परागत तरीकों का चलन कम ही है। भोजन बनाने हेतु लकड़ी के स्थान पर शासन द्वारा उज्जवला योजना के तहत प्रदत्त गैस सिंलेण्डर का उपयोग किया जा रहा है। शिक्षित एवं आर्थिक रूप से सक्षम परिवार कुकर, नानस्टीक आदि आधुनिक वर्तनों का उपयोग करने लगे है। कोंध जनजाति पूर्व में प्रकाश हेतु चिमनी, लालटेन अथवा दीया का उपयोग करते थे लेकिन वर्तमान में अधिकांश घरों में शासन द्वारा प्रदत्त एकलबत्ती बिजली की व्यवस्था देखने को मिलता है। आज कोंध परिवारों के अधिकांश घरों में आवागमन हेतु सायकल, मोटरसायकल एवं संचार के साधन के रूप में मोबाइल उपलब्ध है।

वर्तमान में समाज व्यक्ति के गुण–दोषों का मूल्यांकन उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर करता है इसी कड़ी में कोंध जनजाति में शिक्षा का प्रसार, जागरूकता आने के कारण पूजीं के संधारण करने की प्रवृत्ति देखने को मिलता है वे अब अपने बचत को जमीन, आभूषण, नगद एवं आधुनिक भौतिक संसाधनों के रूप में संधारण करने लगे है। इस प्रकार कोंध जनजाति रोजगार के नवीन साधनों को अपनाना शुरू कर दिये है जिससे कोंध जनजाति में धन का महत्व बढ़ता जा रहा है।

4. शैक्षणिक विकास

भारत में औद्योगिकिरण, नगरीकरण एवं आधुनिकीकरण से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बदलाव आया है, जिसके कारण कोंध जनजाति के लोगों की मानसिकता में भी आधुनिक सोच का प्रसार तीव्र गति से होने लगा है। पूर्व में कोंध समाज लोकगीतों, दंतकथाओं, लोकोक्तियों आदि माध्यम से अनौपचारिक परम्परिक शिक्षा दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन आया है। राष्ट्र की मुख्य धारा में जनजातियों के एकीकरण में शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संवैधानिक उपाय किये गये। संविधान के 86वें संशोधन 2002 द्वारा 21 (ए) जोड़ा गया, जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 शिक्षा का सार्वभौमिक अधिकार को सुनिश्चित करने का वैद्याानिक प्रयास है।

कोंध जनजाति पर्वतीय एवं जंगली क्षेत्रों में निवासरत है जहॉ आवागमन एवं संचार के सीमित साधन है और सामाजिक जागरूकता की कमी है, जिसके फलस्वरूप यह जनजाति शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई है। इनमें पुरूषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति और भी कमजोर है लेकिन आज आधुनिकता से कोंध समुदाय भी अछुते नहीं है। आवागमन के साधन, संचार साधनों की उपलब्धता, शासन–प्रशासन की योजनाओं आदि ने इनमें आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया है, जिससे इनमें भौतिक परिवर्तन के साथ–साथ शैक्षणिक जागरूकता आयी है।

कोंध जनजाति के अधिकांश सदस्य प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर छोड़ चुके है। कुछ ही सदस्य उच्च शिक्षा प्राप्त किये हुये है। और शासकीय एवं अर्द्धशासकीय सेवा में कार्यरत है। वर्तमान में शैक्षणिक विकास के लिए विभिन्न योजनाओं जैसे– उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तक निःशुल्क शिक्षा, गणवेश, पाठ्यसामग्री, सायकल वितरण, छात्रावास सुविधा, शिक्षा का अधिकार आदि से भी कोंध जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार में विकास हुआ है। आज कोंध समुदाय में भी बालक के साथ–साथ बालिकाओं को भी शिक्षा का अवसर दिया जाने

लगा है। वर्तमान में अधिकांश कोंध परिवार लड़का–लड़कियों के समान शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते है। आर्थिक रूप से सक्षम एवं शिक्षित परिवार लड़कों की भांति लड़कियों को भी शिक्षा/नौकरी के लिए जिला एवं राज्य स्तर तक बाहर भेजने लगे है। वर्तमान में कोंध जनजाति भी अनुसूचित जनजातियों को देय आरक्षण के लाभ की ओर अग्रसर है। इस समुदाय के शिक्षित युवक–युवतियॉ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवा में कार्यरत है।

कोंध जनजाति में शिक्षा के विकास स्वरूप रहन–सहन, खान–पान, वेशभूषा आदि मनोवृत्तियों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। इस समुदाय में बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा के बाद घरेलू काम–काज में संलग्न कर दिया जाता था लेकिन वर्तमान में उच्च शिक्षा/नौकरी के लिए घर से दूर राज्य स्तर तक भी भेजने लगे है। क्योंकि वहॉ उनको रहने के लिए शासन द्वारा छात्रावास आदि सुविधायें उपलब्ध हो रहे है। वर्तमान में शिक्षा का प्रसार एवं जागरूकता आदि के प्रभाव से कोंध समाज में राजनैतिक चेतना का विकास हुआ है। आज वे अपने सामुदायिक हितों की रक्षा एवं संवैधानिक आरक्षण एवं अधिकारों के प्रति सजग दिखाई देते है।

5. राजनैतिक जागरूकता

शिक्षा के विस्तार से समानता एवं राष्ट्रीय एकता जैसे भावनाओं का विकास होता है और राजनैतिक चेतना का विकास होता है। कोंध जनजाति मे भी अपने सामुदायिक हितों की रक्षा एवं संरक्षण के लिए परम्परागत जातीय पंचायत पाया जाता है जो समुदाय में प्रचलित रीति–रिवाज, परम्परा एवं प्रथाओं को सामुदायिक रीति से सामन्जस्य बनाकर कार्य करती है और अपने समुदाय की समस्या, संस्कृति की रक्षा एवं सामाजिक एकता को बनाये रखने में सहयोग करती है। कोंध जनजाति की जातीय पंचायत एक बहुआयामी संस्था है जो शिक्षा के प्रसार, जागरूकता एवं आधुनिकीकरण से इनमें राजनैतिक जागरूकता का विकास हुआ है।

आधुनिक कानून व्यवस्था, ग्राम पंचायत एवं बाह्य कारको के प्रभाव से वर्तमान में इनके जातीय पंचायतों की संरचना, स्वरूप एवं कार्यो में परिवर्तन देखने को मिलता है। इनके उच्च स्तर के पंचायतों जैसे– गद्दी पंचायत को क्षेत्रीय पंचायत एवं महापंचायत को केन्द्रीय पंचायत के रूप में रूपान्तरित कर दिया गया है। जातीय पंचायत के पूर्व पदो जैसे– श्याना, पंच, कोटवार आदि के स्थान पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सभापति, कोषाध्यक्ष, सदस्य एवं चपरासी जैसे आधुनिक पद का नाम दिया गया है। जनजातीय पंचायतों का प्रतिनिधित्व पढ़े लिखे सदस्यों के द्वारा किया जाने लगा है। पूर्व में जातीय पंचायतों के पद पंरपरागत होते थे लेकिन वर्तमान में जातीय पंचायतों के विभिन्न पदों में महिलाओं की सहभागिता भी देखने को मिलता है। कोंध जनजाति की जातीय पंचायत जातिगत उत्थान, सामुदायिक नियमों, निषेधों एवं मान्यताओं में एकरूपता लाने, सहयोग की भावना जागृत करने एवं शिक्षा के प्रति समुदाय के लोगों को प्रोत्साहित करने का कार्य करती है।

कोंध जनजाति क शिक्षित एवं सक्षम परिवार के सदस्यों में राजनैतिक चेतना के फलस्वरूप आधुनिक ग्राम पंचायतों में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य आदि पदों पर आसीन है। स्थानीय स्तर पर होने वाले चुनाव जैसे– ग्राम पंचायत, जनपत पंचायत, मण्ड़ी आदि चुनाव में इनकी सहभागिता भी देखने को मिलता है। कोंध जनजाति में जागरूकता एवं शिक्षा के विस्तार से राजनैतिक चेतना का विकास हुआ है जिसके फलस्वरूप वे अपने सामुदायिक हितो की रक्षा, सामाजिक उत्थान एवं संरक्षण की ओर अग्रसर है।

सुझाव

प्रस्तुत प्रतिवेदन कोंध जनजाति के मानवशास्त्रीय अध्ययन छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़, महासमुन्द, बलौदाबाजार एवं गरियाबंद जिलों में निवासरत परिवारों में किया गया है। अध्ययन के निष्कर्ष के आधार पर इनमें शिक्षा, जागरूकता, नगरीकरण एवं आधुनिकीकरण का व्यापक प्रभाव पड़ा है। सकारात्मक प्रभाव के फलस्वरूप उनमें उत्थान एवं विकास हुआ है जबकि नकारात्मक प्रभाव के कारण उनमें सामाजिक–सांस्कृतिक विघटन हुआ है। अतः कोंध जनजाति के विकास के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते है :–

1. कोंध जनजाति की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए समुदाय में व्याप्त कुरीतियों यथा अधिक वधुमूल्य प्रथा, टोनही (डायन), भुत–प्रेत, बलि–प्रथा आदि के प्रति अंधविश्वास आदि का उन्मूलन के लिए उनके जनजाति पंचायत के माध्यम से जागरूकता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
2. कोंध जनजाति के अधिकांश परिवारों के पास कृषि योग्य भूमि का अभाव अथवा छोटे आकार की असिंचित भूमिं है। जिन्हें वन अधिकार की मान्यता अन्तर्गत वन भूमिं पर काबिज जमीन का पट्टा उपलब्ध कराकर कृषि हेतु प्रेरित किया जा सकता है।
3. कोंध समुदाय में अधिकांश महिला–पुरूष महुआ की बनी कच्ची शराब की लत (नशाखोरी) प्रमुख समस्या है, सामान्यतः उत्सवों, त्यौहारों या अन्य विशेष अवसरों पर कच्ची शराब का सेवन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। जो स्वास्थ्य के साथ–साथ सामाजिक–आर्थिक रूप से भी नुकसानदायक है। इसके लिए उनके जातीय पंचायत, सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर जागरूकता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
4. कोंध जनजाति में अस्वस्थ्ता, जादू–टोना, भूत–प्रेत, आत्मा संबंधी अनेक भ्रांतियॉ एवं अंधविश्वास है तथा रोगग्रस्त होने पर झाड़–फूंक, टोटका आदि का प्रचलन भी है साथ ही क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी भी है। इसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार एवं प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है।
5. वनोपज की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होना, उसका उचित मूल्य का न मिलना, पर्याप्त मजदूरी के अवसर का न होना, परम्परागत कृषि पद्धति आदि कारणों से कोंध परिवारों की वार्षिक आय बहुत कम होती है जिससे वे अपनी आवश्यकताओं एवं अन्य आकस्मिक व्यय की पूर्ति नही कर पाते है अतः कर्ज लेना पड़ता है जिससे इनमें ऋणग्रस्तता भी व्याप्त है। इसके लिए क्षेत्र में उचित मूल्य पर संग्रहण केन्द्र एवं रोजगार के

पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

6. कोंध जनजाति के अधिकांश सदस्य प्राथमिक स्तर तक ही शिक्षित है। वहीं महिला साक्षरता दर की स्थिति भी कम है। जिसके लिए सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों स्तर पर तीव्र प्रयास करने की आवश्यकता है।
7. कोंध जनजाति में कुछ परिवार अभी भी प्रसव घर पर कराते है, जिससे जच्चा एवं बच्चा दोनों को खतरा बना रहता है जिसके लिए क्षेत्र में संचार, आवागमन के साधन एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के साथ–साथ जागरूकता लाने की आवश्यकता है। ताकि विश्व वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साम्य स्थापित हो सके और कोंध समुदाय आधुनिकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर सके।
8. कोंध जनजाति में जिस स्तर पर राजनैतिक जागरूकता होनी चाहिए वह अभी प्राप्त नहीं कर सका है। इसके लिए उनके पारम्परिक मूल्यों में अनुकुलनशील परिवर्तन लाते हुए आधुनिक मूल्यों को अपनाने हेतु प्रयास किये जाने चाहिए। तभी वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हो सकेगें।
9. कोंध जनजाति की लोककला (गीत, संगीत, नृत्य, कथा, शिल्प एवं चित्र आदि) पतन की ओर अग्रषित है। इसके लिये शासन स्तर पर विकासखण्ड़, जिला एवं राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष आदिपर्व, आदि महोत्सव, आदिनृत्य एवं शिल्प की प्रतियोगिता का आयोजन कर इनकी परम्परागत कला को प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिससे उनकी लोक संस्कृति को संरक्षित एवं संवर्धित किया जा सके।
10. जनजातीय क्षेत्रों में जनसंचार माध्यमों जैसे दूरदर्शन, फिल्म, मोबाइल, इंटरनेट, मेल जैसी सुविधाओं के विस्तार से उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जागरूकता का विकास हो और उनमें राष्ट्रीय भावना में वृद्धि हो।

इस प्रकार उपर्युक्त सुझाव का क्रियावयन सही रूप से की जाए तो कोंध जनजाति की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया तीव्र हो सकती है।

संचालक
आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
नवा रायपुर, अटल नगर (छत्तीसगढ़)

Chhattisgarh
TRTI
TRIBAL RESEARCH AND
TRAINING INSTITUTE

संचालनालय आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

सेक्टर-24, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

फोन : 0771-2960530, E-mail : trti.cg@nic.in, web. : www.cgtrti.gov.in